लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

अंक ७, १९५४

(१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

अष्टम सूत्र १९५४

(खण्ड ७ म अंक २१ से अंक २९ तक है)

लोक-सभा सचिवालय ,

नई दिल्ली ।

603 LSD

विषय-सूची

खंड ७—अंक २१–२९ (१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)

अंक २१—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११४, १११८, से ११२२, ११२४, ११२५, ११२७, ११२८, ११३०, ११३२ से ११३४, ११३६ ११३८, ११४५, ११४७ से ११५०, ११५२, ११५४, ११५७, ११६१, ११६२, ११६४ और ११६६ . . १६९९—१७४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५ से ११:१७, ११२३, ११२६, ११२९, ११३१, ११३५, ११३७, ११४०, ११४२ से ११४४, ११४६, ११५१, ११५३, ११५५, ११५६, ११५८ से ११६०, ११६३, ११६५, ११६८ और ११६९ . १७४०—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१९ से ७४८ . . १७५२–१७७६

अंक २२— बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७१, ११७३, ११७६, ११७७ ११७९ से ११८२, ११८७, ११९०, ११९१, ११९३ ११९४, ११९६ से १२०१, १२०३, १२०४, १२०६, से १२०८, १२११, १२१३, १२१४, १२१६, १२१८, १२२१ से १२२३, १२२७ से १२३२ और १२३५ . १७७७—१८२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७०, ११७२, ११७४, ११७५, ११७८, ११८३ से ११८६, ११८८, ११८९, ११९२, ११९५, १२०२, १२०५, १२०९, १२१०, १२१२, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२४ से १२२६, १२३४, और १२३६ से १२४९ . १८२५—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७७० और ७७२ से ८०३ १८४९—८२

अंक २३—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२५४, १२५६, १२५८, १२५९, १२६२ से १२६४, १२६९, १२७१, १२७३ से १२७५, १२७७, १२७९, १२८२ से १२८५, १२८७, १२८८, १२९०, १२९१ और १२९३ से १२९७ . १८८३—१९२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५, १२५७, १२६० १२६१, १२६५ से १२६८, १२७०, १२७२, १२७६, १२७८, १२८०, १२८१, १२८६, १२८९, १२९२, १२९८, और १३०५ से १३०७ . . १९२५—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८१४ और ८१६ से ८१९ . १९३८—५०

अंक २४—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०८ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२१ से १३२३, १३२५, १३२६, १३२८, १३२९, १३३२, १३३३, १३३५ से १३३८, १३४१ से १३४५ और १३४७ . १९५१—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१४, १३१९, १३२०, १३२४, १३२७, १३३०, १३३१, १३३४, १३४०, १३४६ और १३४८ से १३६७ . . . . १९९७–२०१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० से ८५०, और ८५२ . . २०१८–२०३८

अंक २५—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३७२, १३७५ से १३७८, १३८०, १३८१, १३८३ से १३८५, १३८७ से १३९०, १३९२, १३९४, १३९५, १३९७ और १३९९ से १४०९ २०३९—८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . २०८५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७३, १३७४, १३७९, १३८२, १३८६, १३९१, १३९३, १३९६, १३९८, १४१० से १४२०, १४२२ और १४२३ . . . २०८७—९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५३ से ८८१ . . . २०९९—२११८

अंक २६—मंगलवार, २१ दिसम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४३८, १४४०, १४४१, १४४३ से १४४६, १४४८, १४४९, १४५१ से १४५५ २११९—६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३९, १४४२, १४४७, १४५०, १४५६, १४५९ से १४६९, १४७१ से १४७५ २१६४—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८२ से ८९१ . . २१७६—८०

अंक २७—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७६ से १४८३, १४८८ से १४९०, १४९२ से १४९४, १४९६, १४९७, १४९९, १५००, १५०२ और १५०४ से १५०७ . . . २१८१—२२२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ से १४८७, १४९१, १४९५, १४९८, १५०१, १५०३, १५०८ से १५२२, १५२२—क, १५२३ से १५३३ और १५३५ से १५५७ . . २२२९—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९२५ . . २२६३—८६

अंक २८—गुरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५८ से १५६१, १५६३ से १५६६, १५६९से १५७३, १५७५, १५७६, १५७८, १५७९, १५८१, १५८२ और १५८३ . २२८७–२३२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्नसंख्या १५६२, १५६७, १५६८, १५७४, १५७७, १५८०, १५८२–क, १५८४ से १५९३, १५९३–क, १५९४ से १६०१, १६०३ से १६२१, १६२१-क, १६२२ से १६२४, १६२४–क, १६२५ से १६२९, १६३१ से १६३५ २३२८–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२६ से ९७७ . . २३६४–९६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६, ७, ९, १० और ८ . २३९७—२४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६७३, १६७३क और १६७४ से १६८६ . . . . २४१९—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७८ से ९९४ . . २४५२—६४

———

GIPND—NSH—603 LSD—1-1-55—240

लोक सभा

गुरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बम्बई पत्तन में हड़ताल

*१५५८. **श्री राम सुभग सिंह:** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन न्यास के कुछ चालक पदाधिकारियों तथा कर-अधिकारियों ने हड़ताल कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ग) किस तारीख से हड़ताल प्रारम्भ हुई ;

(घ) कर्मचारियों की मांगें क्या हैं ;

(ङ) इस हड़ताल को रोकने के लिये पदाधिकारियों ने क्या प्रयत्न किये ; और

(च) क्या पत्तन में जहाजों के संचालन की कोई आपातकालीन व्यवस्था की गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग). बम्बई पत्तन

न्यास के कुल २९ चालक तथा कर-पदाधिकारियों ने ८ से १० सितम्बर तक हड़ताल की।

(घ) उन की मांगें वेतन-स्तर, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों से सम्बन्धित थीं।

(ङ) इन पदाधिकारियों ने केवल ३६ घंटे की पूर्व सूचना दे कर हड़ताल कर दी तथा यह आश्वासन देने पर भी, कि उन की मांगों पर १० दिन के अन्दर ही निश्चय कर दिया जायेगा, उन्होंने हड़ताल बन्द नहीं की ।

(च) वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पदाधिकारी तीन दिन पश्चात् काम पर लौट गये ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या उन की मांगें पूरी हो गईं अथवा वे बिना शर्त काम पर वापस आ गये ?

श्री अलगेशन: निस्संदेह वे बिना किसी शर्त पर आग्रह किये ही काम पर आ गये किन्तु इन मामलों की जांच करने के लिये बम्बई तथा कलकत्ता दोनों पत्तनों पर एक समिति नियुक्त कर दी गई है ।

डा० राम सुभग सिंह: क्योंकि कलकत्ता पत्तन के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों के मामलों का उपमंत्री ने भी निर्देश किया है, तो क्या कलकत्ता पत्तन न्यास के चालक तथा कर-पदाधिकारी बम्बई के पदाधिकारियों के मामले में सहानुभूति पूर्ण थे ?

श्री अलगेशन: हमें यह ज्ञात नहीं है ।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं इस नियुक्त समिति के निर्देश पदों को जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन: मैं निर्देश पद बता सकता हूं । इन का काम है कलकत्ता और बम्बई पत्तनों में नियुक्त वर्गों के कर्मचारियों के कार्य की शर्तों के प्रतिवेदन की जांच करना, तथा वेतन-स्तर, भत्ते, शुल्क चिकित्सा सुविधायें, इत्यादि का विशेष निर्देश कर सिफारिशें करना ।

श्री एस० एन० दास: क्या इस समिति की नियुक्ति के पूर्व भी इन श्रमिकों तथा पदाधिकारियों की शिकायतें सरकार के समक्ष थीं, और यदि हां, तो सरकार ने हड़-ताल होने के पूर्व कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री अलगेशन: इन पदाधिकारियों को, जिन का वेतन स्तर ८०० रुपये से १,५०० रुपये तक है, श्रमिक कहना नहीं है । भाषा किसी भी ढंग से प्रयुक्त करने पर भी इन्हें श्रमिकों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है । बम्बई पत्तन न्यास ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें कीं तथा मंत्रालय कलकत्ता के पत्तन पर उन की प्रतिक्रिया का अध्ययन कर रहा था, और वास्तव में हम शीघ्र ही निश्चय के लिये कार्यवाही कर रहे थे । वे इसे जानते भी थे, किन्तु फिर भी उन्होंने तरन्तु हड़ताल कर दी ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या मैं सरकार के सम्मुख प्रारम्भ में मांग को रखे जाने से निश्चय के समय तक की कुल अवधि जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन: बम्बई पत्तन न्यास नें निश्चित सिफारिश कुछ ही मास पूर्व की । मेरे पास तारीख नहीं है, किन्तु यह बहुत पहिले की बात नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई अवधि निश्चित की है ।

श्री अलगेशन: सामान्यतः अवधि निश्चित नहीं की जाती है, किन्तु उन से यथाशीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है और हम आशा करते हैं कि वे एक या दो मास के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ?

श्री धुलेकर: इस बात को ध्यान में रख कर कि सरकारी नौकर अथवा पदा-धिकारी हड़ताल करते हैं, क्या सरकार कोई ऐसा विधान बनाने का विचार कर रही है जिस से कि सरकारी पदाधिकारियों की हड़ताल अवैधानिक तथा दंडनीय करार दी जाय ?

श्री अलगेशन: श्रीमान्, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो नीति का प्रश्न है । नीति से सम्बन्धित, प्रश्न, प्रश्न काल में नहीं पूछे जाने चाहियें ।

रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

*१५५९. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ के दौरान उत्तरी रेलवे के कितने कर्मचारियों पर विभागीय अथवा अन्य रूप से भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया गया ; और

(ख) इस प्रकार के कितने मामले न्यायालयों को दिये गये तथा उसी अवधि में कितनों पर अभियोग लगाया गया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाह नवाज खां) (क) और

(ख). नवम्बर १९५४ तक १५४ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ११ को न्यायालय में ले जाया गया और उन पर अभियोग चलाया गया। उसी अवधि में कुल ४३ अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की गई।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस प्रकार के कुछ नियम या सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार प्राधिकारी यह निश्चय कर सकते हैं कि अमुक मामला कार्यवाही के लिए न्यायालय में भेजा जाएगा या उसकी विभागीय कार्यवाही की जाएगी ?

श्री शाहनवाज खां : यह सब तो उपलब्ध कानूनी साक्ष्य पर निर्भर करता है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें उन व्यक्तियों को न्यायालय को सौंपा गया किन्तु प्रमाण न मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। किन्तु इस पर भी उन पर विभागीय कार्यवाही की गई तथा दंड दिया गया।

श्री शाहनवाज खां : ऐसे भी कुछ मामले हो सकते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति जिस पर न्यायालय में अभियोग चलाया गया हो वह प्रमाण न मिलने के कारण अथवा टेकनिकल प्रश्न पर छोड़ दिया जा सकता है किन्तु इसके यह तात्पर्य नहीं होते कि वह व्यक्ति अपराधी नहीं है। कभी कभी उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती है।

श्री भागवत झा आजाद : सभा-सचिव ने बताया है कि एक सौ से ऊपर मामले थे जिनमें से लगभग तैंतालीस न्यायालय में भेजे गये तथा उन पर दंड दिया गया। क्या विभाग में अब भी कुछ मामले दंड के लिये निलम्बित पड़े हुये हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां। मैंने अपने उत्तर में यह बताया है कि १५४ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। कुछ पर कार्यवाही की गई है, तथा कुछ पर की जा रही है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि शिकायत की पुस्तिका में, भ्रष्टाचार से सम्बद्ध शिकायतों यहां तक कि संसद् सदस्यों की शिकायतों पर भी, गौर नहीं किया जाता तथा उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती ?

श्री शाहनवाज खां : मैं सविनय इस प्रश्न को अस्वीकार करता हूं.....

श्री एल० एन० मिश्र: यह तो एक सच बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य कहते हैं कि यह सच बात है और सभा-सचिव कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। हमें उनकी बात सुननी चाहिये।

श्री शाहनवाज खां : मेरा निवेदन है कि किसी भी शिकायत पर, जो शिकायत पुस्तिका में लिखी जाती है, पूरा ध्यान दिया जाता है। संसद् सदस्यों अथवा दूसरे आदरणीय सज्जनों की शिकायतों की छानबीन पूरी सावधानी से की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य शिकायत पुस्तिका की शिकायतों के अलावा दूसरी शिकायतों का ज़िक्र कर रहे हैं।

श्री शाहनवाज खां : किसी भी शिकायत पर, चाहे वह शिकायत-पुस्तिका में हो, मौखिक हो अथवा लिख कर की गई हो, रेलवे मंत्रालय गौर करता है।

सरदार हुक्म सिंह : इस अवधि में ऐसे कितने मामले थे जिन पर विभागीय कार्यवाही की गई तथा जिनमें ताड़ना तथा आगाही का दंड दिया गया ?

श्री शाहनवाज खां : विस्तृत ब्यौरे के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी।

भारत में विमानों का विकास

*१५६०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार हल्के, मितव्ययी विमान जो कम खर्च में ही निर्मित हो सकेंगे के विकास की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : हल्के मितव्ययी विमानों का उत्पादन, सभा रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत हाल ही में संस्थापित विकास तथा उत्पादन (वायु) निदेशालय की समस्याओं में से एक है । इस समय यह प्रस्ताव परीक्षा की प्रारम्भिक अवस्था में है ।

काफी श्रमिक

*१५६१. **श्री डी० सी० शर्मा**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि १९ से काफी के मूल्य बढ़ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो काफी के मूल्यों में वृद्धि हो जाने से काफी के बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की शुद्ध आय में कितनी वृद्धि हो गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १९५३ के मूल्य तल की तुलना में १९५४ में काफी के मूल्य में वृद्धि की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार इन श्रमिकों की सुविधाओं की मात्रा का निश्चय करते समय मूल्यों में वृद्धि या कमी का विचार करती है ?

श्री आबिद अली : जहां तक मजूरी का सम्बन्ध है, इन्हें न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार नियत किया जाता है । बोनस (लाभांश) के सम्बन्ध में, कभी कभी वर्तमान मूल्यों का विचार किया जाता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : काफी बागानों के इन श्रमिकों को पिछले तीन वर्षों में कितना बोनस दिया गया ?

श्री आबिद अली : इसके लिए मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि काफी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया है ?

श्री आबिद अली: इस के लिये भी मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी: क्या यह सच है कि जब मूल्य बढ़ जाते हैं तो मजूरी नहीं बढ़ती, पर जब मूल्य कम हो जाते हैं तो नौकरियों में कमी हो जाती है ? इस साझेदारी में श्रमिकों को सदा हानि उठानी पड़ती है, लाभ प्राप्त नहीं होता । क्या यही नीति है ?

श्री आबिद अली: कॉफी उद्योग में ऐसा कोई मामला कभी नहीं हुआ है ।

दिल्ली परिवहन सेवा

*१५६३. **श्री लाभी**: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने दिल्ली परिवहन सेवा, उस की नियमितता और समय की पाबन्दी को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : १९५५ के मध्य से ४०० बसों के चलाने की व्यवस्था की गई है । दो नये डिपो बनाये गये हैं और काम कर रहे हैं । कारोनेशन रोड़ पर एक केन्द्रीय मिस्त्रीखाना (वर्कशाप) इस महीने के अन्त से काम करना शुरु कर देगा । नियमितता और समय की पावन्दी में सुधार करने के लिए सेवाओं के चलाने के अन्य सभी पहलुओं का भी स्थायी रूप से पुनरीक्षण और गठन किया जा रहा है ।

श्री डाभी: पिछले तीन महीनों में प्रतिदिन औसतन कितनी बसें बिगड़ीं, और क्या यह सच है कि बसों के बिगड़ जाने पर उन के स्थान पर कोई अतिरिक्त बसें नहीं भेजी जातीं ?

श्री शाहनवाज़ खां : पिछले तीन महीनों में बसों के बिगड़ने की संख्या बताना एक बड़ा लम्बा प्रश्न है । बिगड़ने की कुछ घटनायें हुई हैं । ज्योंही हमें बिगड़ने की सूचना मिलती है हम रक्षित बसों की संख्या के अनुसार उन के स्थान पर नई बसें भेजने की कोशिश करते हैं ।

श्री जयपाल सिंह : चालकों की कुशलता को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, या की जाने वाली है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : नियमित रूप से प्रशिक्षण कक्षायें चलाई जा रही हैं और उन को प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम भी पढ़ाये जाते हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन सेवा के कर्मचारियों की शिकायतों पर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इसी कारण उन में अकुशलता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक बहुत बड़े विषय की ओर बढ़ रहे हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : नार्थ एवेन्यु, जो एक महत्त्वपूर्ण स्थान है, से एक बस सेवा चलती थी । उसे क्यों रोक दिया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस का सम्बन्ध कुशलता और नियमितता से है ? माननीय सदस्य उस सम्बन्ध में जानना चाहते हैं ।

श्री एल० बी० शास्त्री : वह इस में इसी लिए दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि संसद् सदस्य नार्थ एवेन्यु में रहते हैं । मैं उसे फिर चलाने का विचार करता हूं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने कहा कि बसों का जल्दी जल्दी आना १ दिसम्बर, १९५४ से बढ़ा दिया गया है । १ दिसम्बर, १९५४ तक बसें कितने मीलों में चलती हैं ।

श्री शाहनवाज़ खां : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । मैं बाद में आंकड़े दूंगा ।

सरदार हुकम सिंह : क्या यह सच है कि समय की अधिक पाबन्दी और अधिक कुशलता के उद्देश्य को ध्यान में रख कर दिल्ली परिवहन सेवा की समय-सारणी का हाल में संशोधन किया गया था, परन्तु संशोधित समय-सारणी के परिणाम उस के बिल्कुल विपरीत हुए ?

श्री शाहनवाज़ खां : हमारा उद्देश्य समय की अधिक पाबन्दी रखना और अधिक कुशलता से काम लेना है । यदि कोई बिगती हुई है तो उस का समय सारणी से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह किन्ही अन्य कारणों से हो सकता है ।

श्री डाभी: क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन सेवा की बहुत सी बसों में या तो सामने या पीछे उन के मार्गों के नाम का बोर्ड रहता है पर रात में उन्हें प्रकाशमान नहीं किया जाता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हो सकता है इस प्रकार की कुछ बसें हों । जब हमें ऐसा कोई बात दिखाई पड़ती है तो उसे ठीक किया जाता है ।

श्री डाभी : बसों से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का दैनिक औसत क्या है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यदि माननीय सदस्य श्री डाभी राजी हों तो मैं दिल्ली

परिवहन सेवा के प्रबन्धक से उन को तथा उन के कुछ अन्य मित्रों को डिपो तथा मिस्त्री खानों के देखने और एक से स्थानों पर रुक कर बसों की समय की पाबन्दी के देखने की व्यवस्था करा दूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को सवारी करने का एक अवसर मिलेगा ।

यात्रियों की सुविधायें

*१५६४. **श्री झूलन सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे के विभिन्न महाखंडों (ज़ोनों) में यात्रियों की सुविधाओं से सम्बन्धित सभी कार्यों को सहयोजित करने के लिये विशेष पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : सभी रेलवे प्रशासकों में इन अधिकारियों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है ।

श्री झूलन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन की नियुक्ति के उद्देश्य में यह भी शामिल है कि जो सुविधायें यात्रियों को दी जाती हैं वे ठीक उन को मिल जाया करें ?

श्री शाहनवाज़ खां : उस में सब से बड़ी बात तो यही है ।

श्री एस० एन० दास : क्या इन नियुक्त पदाधिकारियों ने अब तक किये गये कार्य के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन उपस्थित किया है ?

श्री शाहनवाज़ खा : जी हां, उन में से कुछ ने उपस्थित किया है । अन्य व्यक्तियों से हम ने प्रतिवेदन मांगे हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री परिषद् की इन सिफारिशों के बाद भी कि तेज जाने वाली और डाक गाडियों में उच्च श्रेणी के जनाना डिब्बों की व्यवस्था की जाय, सरकार ने उन की व्यवस्था नहीं की और इस से महिलाओं को बड़ी असुविधा हो रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : हमें इस का कुछ पता नहीं है । मैं महिलाओं से बहुत डरता हूं और मैं तुरन्त इस मामले पर विचार करूंगा ।

स्वास्थ्य पर मकान का प्रभाव

*१५६५. **श्री एस० एन० दास :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार को जनवरी १९५५ में केन्ट के पीछे कृषि कालेज में उष्णक बन्धीय देशों में स्वास्थ्य पर मकान के प्रभाव के सम्बन्ध में होने वाले उस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है जिसे स्थानीय तथा विदेशों में ग्रामीण जीवन की ब्रिटिश संस्था संगठित कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार को किसी ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों का पता है जो सम्मेलन में आमंत्रित किये गये हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) इंगलैंड स्थित भारतीय विद्यार्थियों और इंडिया हाउस, लंदन के एक प्रतिनिधि को आमंत्रण दिया गया है ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार को इस संस्था के ठीक ठीक कर्त्तव्यों और संगठन का पता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : सम्मेलन में, उष्ण कटिवन्धीय देशों में स्वास्थ्य पर मकानों के प्रभाव के सम्बन्ध में कुछ भाषण होंगे और कुछ भाषण समुदाय में आनन्द दायक जीवन पर होंगे ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस बात को ध्यान में रख कर कि हमारा ग्रामीण

जीवन बहुत महत्त्वपूर्ण है और हमें भी उसी प्रकार की एक संस्था बनाना है, हमारी सरकार इस संस्था की कार्य प्रणाली पर ध्यान देगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : मैं नहीं समझती कि हमारे देश में इस प्रकार की किसी संस्था की आवश्यकता है । हमें अपनी समस्याओं का खूब पता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो काम के लिये एक सुझाव है ।

श्री धुलेकर : कुछ महीने पूर्व, आदर्श मकानों की एक प्रदर्शनी हुई थी । क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस प्रदर्शनी से लाभ उठा कर ग्रामीण क्षेत्रों के मकान के लिये कोई योजना बनाई है ?

राजकुमारी अमृतकौर : स्वास्थ्य मंत्रालय आवास के सम्बन्ध में बहुत सतर्क है । पर, वास्तव में, मकानों की समस्या, निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के अधीन है ।

राजस्थान में रेलवे लाईन

*१५६६. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो नई रेलवे लाइनें बनने वाली हैं, उन में चूरू और फतेहपुर के बीच बनाई जाने वाली रेलवे लाइन के स्थान पर चूरू और रतनगढ़ के बीच रेलवे लाइन डाली जायेगी ; और

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इस के सम्बन्ध में कोई सुझाव दिये हैं ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि श्री कोलायत से जैसलमेर और हिन्दू मल कोट से पदमपुर की ओर से श्री गंगानगर तक नयी लाइन डालने की सरकार के विचाराधीन कोई योजना है ?

श्री अलगेशन : अभी हमारी योजना फतेहपुर से चूरू तक रेलवे लाइन बनाने की है ।

दिल्ली सुधार प्रन्यास

*१५६९. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली सुधारप्रन्यास ने लोधी कालोनी के पास मज़दूर शिविरों में नये मकान बनाने के लिए भारत सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) क्या सरकार ने कोई योजना मंजूर की है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या सरकार का ध्यान दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है, जो उन्होंने २०-१०-५४ को दिया था, कि उन्होंने सरकार को एक योजना प्रस्तुत की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : अभी मेरे साथी, निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि सरकार दिल्ली में निर्माण कार्य में लगे हुए मज़दूरों को क्वार्टर देने के प्रश्न पर विचार कर रही है । आज कल इस मामले की स्थिति यही है ।

बिना टिकट यात्रा

*१५७०. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे पर घोघो तथा भागलपुर के बीच विद्यार्थियों का बिना टिकट यात्रा करना सामान्य बात हो गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि विद्यार्थियों ने परीक्षा कर्मचारियों तथा विशेष दंडाधिकारियों को टिकट मांगने पर प्रायः पीटा है और उन के साथ दुर्व्यवहार किया है ; और

(ग) क्या भागलपुर स्टेशन के अधिकारियों ने ऐसी बिना टिकट की यात्रा को रोकने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : इस स्टेशन पर विद्यार्थियों की बिना टिकट यात्रा करने की सूचना मिली है।

(ख) पिछले सितम्बर में विद्यार्थियों के एक दल ने सबोर स्टेशन के कर्मचारियों पर आक्रमण कर के उन्हें घायल कर दिया था ।

(ग) जी नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सत्य है, जैसा कि उत्तर में भी स्वीकार किया गया है, कि विद्यार्थी शनिवार को और रविवार को बिना टिकट आते हैं, लेकिन फिर भी उनको राह दिखाने के लिए या सजा देने के लिए आज तक कोई उपाय नहीं किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : जो लोग बगैर टिकट के सफर करते हैं उन को सजा देने के लिए बाकायदा चैकिंग स्टाफ है और रेलवे मजिस्ट्रेट हैं। लेकिन जब बहुत बड़ी पार्टीज़ हों जो कि बाकायदा रेलवे स्टाफ पर हमले करती हों तो यह रेलवे स्टाफ की ताकत के बाहर की बात है कि वे उन का मुकाबला कर सकें । ऐसी हालत में यह ला एन्ड आर्डर का सवाल हो जाता है जिस में हमें स्टेट गवर्नमेंटस की मदद लेनी पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या रेलवे स्टेशन की सीमा में यह विधि तथा व्यवस्था की समस्या है ?

श्री भागवत झा आजाद : सवाल के उत्तर के भाग (ख) में यह कहा गया है, कि यह पार्टियां आती हैं और अगर इन को चैक किया जाता है तो वे स्टेशन को जला देती हैं । क्या इन की रोकथाम के लिये स्टेट गवर्नमेंट से सहायता लेने के अलावा कोई और उपाय किया गया ?

श्री शाहनवाज़ खां : मैं आनरेबिल मेम्बर को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि रेलवे मिनिस्ट्री की यह कोई खवाहिश नहीं है कि इस तरह के मामलों को नजर अंदाज़ कर दें या उन का नोटिस न लें । रेलवे का ऐसा इरादा नहीं है । अगर यह चीजें नहीं रुकती हैं तो हमें सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे और हम उन को उठायेंगे ।

श्री वीर स्वामी : इस भारी भय को, अर्थात्, रेलवे कर्मचारियों के प्रति विद्यार्थियों के अनुचित तथा हिंसात्मक आचरण, रोकने के लिए रेलवे मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ।

श्री शाहनवाज खां : हम रेलवे दण्डाधिकारियों को पुलिस दल के साथ भेज रहे हैं, और यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, तो हम उन के साथ बड़ा कठोर व्यवहार करेंगे ।

श्रीमती सूषमा सेन : क्या रेलवे अधिकारियों को भागलपुर मांकुर पहाड़ी क्षेत्र में

बिना टिकट यात्रा की कोई शिकायत मिली है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक विस्तृत रूप में फैला हुआ दुःस्वभाव है आशा है माननीय मंत्री उत्तर देंगे ।

रेलवे तथा परिहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं ने प्रश्न नहीं सुना था ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या रेलवे के किसी विशिष्ट क्षेत्र में, बिना टिकट यात्रा होती है ? मैं ने स्वयं यह उत्तर दिया था कि बिना टिकट यात्रा करना, विस्तृत रूप में फैला हुआ दुःस्वभाव है ।

श्री शाहनवाज खां : हमारी ओर से आप ने जो कहा है, हम उसे स्वीकार करते हैं ।

श्री ए० एम० थामस : औचित्य के प्रश्न पर । क्या पीठासीन व्यक्ति के लिए मंत्री को सुझाव देना या उस की ओर से उत्तर देना उचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करता हूं । मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा हूं । ऐसे प्रश्नों को जैसा कि यह है, सभा में नहीं पूछना चाहिये, जहां यह एक विस्तृत रूप में फैली हुई बात हो । साधारण प्रश्न यह है कि एक विशिष्ट क्षेत्र में चल रहे दुराचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, जहां विद्यार्थी, जब वे प्रत्येक शनिवार को घर जाते तथा सोमवार को वापस आते हैं, स्टेशन मास्टर को पीटते हैं। वह प्रश्न पूछा है। भारत में ३०,००० मील की लम्बाई पर रेलें फैली हुई हैं । यदि माननीय सदस्य यह पूछते हैं कि क्या त्रावनकोर के विशेष स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा होती है, तो क्या माननीय मंत्री इस का उत्तर दे सकते हैं । अतः मेरा विचार है कि इस का केवल यही उत्तर है । मैं तो एक पुतला नहीं हूं । मुझे यह देखना चाहिये कि हम किसी ऐसे प्रश्न द्वारा सभा का समय नष्ट तो नहीं करते जो सामान्य प्रकार का हो । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य स्वयं इस का ध्यान रखेंगे, और उन्हें मेरे सुझाव देने पर, वे विरोध नहीं करेंगे ।

पंडित डी० एन० तिवारी : गत आय-व्ययक सत्र में, रेलवे मंत्री ने विद्यार्थियों के लिए कुछ रियायतों की घोषणा की थी । क्या रियायतें दी जा रही हैं, और क्या कुछ और रियायतों पर विचार किया जा रहा है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस से पहिले कि हम उन्हें और रियायतें देने पर विचार करें, पहिले ही दी हुई रियायतों का प्रयोग किया जाना चाहिये ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या उस रियायत का प्रयोग किया गया है या उस का कुछ प्रभाव पड़ा है या नहीं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मेरा ख्याल है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि विद्यार्थियों ने उस रियायत का प्रयोग नहीं किया है ।

विस्थापित व्यक्तियों के बचत बैंक खाते

*१५७१. **श्री गिडवानी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन प्रमाणित नामावलियों का जिन का सम्बन्ध भारत से पाकिस्तान को और पाकिस्तान से भारत को डाकघर बचत बैंक खातों और पोस्टल सर्टीफिकेटों के स्थानान्तरण से है, विनिमय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो खाताधारियों को अपने खाते चलाने की अनुमति कब दी जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) कार्य में प्रगति हो रही है।

(ख) खाताधारियों को अपने खाते चलाने की अनुमति, सम्बद्ध डाक घरों को उन से सम्बद्ध प्रमाणित नामावलियां प्राप्त होने पर दी जायेगी।

श्री गिडवानी: प्रत्येक श्रेणी में ऐसे खातों की कुल कितनी संख्या थी जिन्हें पाकिस्तान सरकार से प्रमाणित कराना था, और तब से कितनी प्रमाणित हो चुकी हैं ?

श्री जगजीवन राम: कार्य में प्रगति हो रही थी और जब पाकिस्तान में मूल्यांकिन हुआ, पाकिस्तान सरकार ने प्रमाणीकरण का कार्य बन्द कर दिया। हम ने वह प्रश्न फिर उठाया, और इसी वर्ष अक्टूबर में हम ने करांची और लाहौर अपने सम्पर्क पदाधिकारी भेजे हैं। उन्होंने भी अपने अधिकारी भेजे हैं। इन अधिकारियों की नियुक्ति के पूर्व की स्थिति इस प्रकार थी :—

भारत में पंजीकृत दावों की कुल संख्या :

	मामलों की संख्या	उस में फंसी राशि
		रुपये
बचत बैंक	८७,७४०	४,४०,३५,५७६
सर्टीफिकेट	५७,५३५	२,८१,६९,६५६

अनिश्चित दावों की संख्या :

	मामलों की संख्या	उस में फंसी राशि
		रुपये
बचत बैंक	२५,११६	१,५१,१०,११३
सर्टीफिकेट	३१,५६६	१,४९,६२,९८२

इस के अतिरिक्त, लगभग १३,०६८ दावे हैं जिन के बारे में दावेदारों को खातों तथा सर्टीफिकेट का पूर्ण विवरण ज्ञात नहीं है। इन दावों में लगभग ६० लाख रुपये फंसे हैं।

श्री गिडवानी उठे—

श्री बो० के० दास: क्या मैं समझूं कि इन खातों में पूर्वी पाकिस्तान के खाते भी सम्मिलित हैं ?

श्री जगजीवन राम: मुझे ठीक पता नहीं है, परन्तु मेरा ख्याल है कि इस में पूर्वी पाकिस्तान के खाते सम्मिलित नहीं हैं।

श्री गिडवानी: इस प्रकार के खातों के बारे में क्या किया जायेगा : संयुक्त खाते, सरकारी खाते, ठेकेदारों के प्रतिभूति विक्षेप, ठेकेदारों द्वारा प्रतिभूति के रूप में रखे गये पोस्टल सर्टीफिकेट ?

श्री जगजीवन राम: जुलाई-अगस्त, १९५३ के करार में केवल बचत बैंक खातों तथा सर्टीफिकटों को सम्मिलित किया गया था, और ये अधिकारी इन दो खातों का प्रमाणीकरण कर रहे हैं। जहां तक संयुक्त खातों, सरकारी खातों, ठेकेदारों के प्रतिभूति निक्षेप खातों और ठेकेदारों द्वारा प्रतिभूति के रूप में रखे गये सर्टीफिकेट खातों का प्रश्न है, वे भिन्न श्रेणी के हैं और जुलाई-अगस्त की बैठक में यह स्वीरकार किया गया था कि दोनों देशों के वित्त मंत्रालय इन खातों पर पृथक पृथक रूप में पत्र व्यवहार आदि कर सकते हैं।

श्री गिडवानी: क्या यह मामला अधिकारियों के उस सम्मेलन में उठाया जायेगा, जो शीघ्र ही होने वाला है ?

श्री जगजीवन राम: मेरा ख्याल है कि जो अधिकारी कराची और लाहौर में रखे गये हैं, वे यह मामला नहीं उठायेंगे।

श्री बी० के० दास : क्या पूर्वी पाकिस्तान में बड़े खाते पर पृथक से विचार किया जायेगा ?

श्री जगजीवन राम : उन खातों पर भी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

सरदार हुक्म सिंह : इस बात की दृष्टि से कि पुनर्वास मंत्री ने जैसा कि मझे समाचार-पत्रों से विदित हुआ है, कराची जा कर अपने प्रतिरूप पदाधिकारी पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्री से मिलने की इच्छा प्रकट की है, क्या संचार मंत्रालय उन्हें यह कहेगा कि वे वहां विचार-विमर्श करते समय, इन खातों की भी जांच करें ?

श्री जगजीवन राम : अवश्य

गठिया रोग कीचिकित्सा

*१५७२. **डा० रामा राव :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गठिया रोग की चिकित्सा के बारे में देशीय औषधि कालेज, मद्रास द्वारा की गई गवेषणा के परिणामों सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार को कब तक प्रतिवेदन मिलने की आशा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) से (ग). मद्रास सरकार से प्रार्थना करने पर प्रतिवेदन की एक प्रति मिली है जो सभा-पटल पर रखी जाती है [देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३८]

डा० रामा राव : विवरण से पता चलता है कि रसना (अलपाइना) निकालने का एक और तरीका ढूंढ़ निकाला गया है । क्या औषधि के अतिरिक्त इस के प्रभाव का परीक्षण किया गया है । यदि हां, तो सेलियगलेटल और हाल ही में बनाई गई बहु-मूल्य औषधि कोर्टीज़ोन की तुलना में यह कैसी है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मैं इस समय इस का उत्तर नहीं दे सकती क्योंकि मेरा विचार है कि इस का परीक्षण नहीं किया गया है ।

सहायक विमान सेवायें

*१५७३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उन मुख्य नगरों को, जहां विमान द्वारा यात्रा की सुविधायें नहीं हैं, विमान द्वारा मिलाने के लिये सहायक सेवायें चालू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) इस योजना को चालू करने पर कितने व्यय का अनुमान है ;

(ग) अब तक सहायक सेवाओं के लिये कितने विमानों का आर्डर दिया गया है ; और

(घ) उनके कब तक पहुंचने की आशा है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). भारतीय विमान निगम की सेवायें देश के मुख्य मुख्य केन्द्रों की विमान परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं । आर्थिक स्थिति का उचित ध्यान रखते हुये सहायक सेवायें चालू करके दूसरे केन्द्रों के बीच विमान सेवायें चलाने की सम्भावना पर निगम निरन्तर विचार कर रहा है । इस नीति को कार्यान्वित करते हुये आठ नये ढंग के विमानों के लिये आर्डर दिया जा चुका है जिनके मूल्य का अनुमान ७४.२५ लाख रुपया (जिसमें अलग पुर्जों का मूल्य भी सम्मिलित है) है, उनके भारत पहुंचने पर कई सहायक सेवायें चालू हो जायेंगी ।

(घ) १९५५ के प्रारम्भ में ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : किस प्रकार के विमान के लिये आर्डर दिये गये हैं और प्रत्येक का मूल्य क्या है ? अभी अभी माननीय मंत्री ने कुछ लाख रुपये कहा । क्या वह एक विमान का मूल्य है या सब विमानों का ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्या ने मेरा उत्तर ध्यान से नहीं सुना है । मैंने आठ विमानों के खरीदने के लिये आवश्यक राशि बताई है । विमान हैरन प्रकार के हैं और प्रत्येक का मूल्य ७ लाख रुपये है । जो राशि मैं ने बताई है उस में अलग पुर्जों का मूल्य भी सम्मिलित है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सरकार को विदित है कि जिन विमानों का आर्डर दिया गया है क्या वे विश्व के अन्य भागों में भी प्रयोग में लाये जाते हैं ?

श्री जगजीवन राम : मेरा विचार है कि वे प्रयोग में लाये जाते हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि गोरखपुर से हो कर हवाई जहाज बनारस को हफ्ते में दो बार जाते हैं क्या सरकार मुनासिब नहीं समझती कि उस को रोज़ाना कर दिया जाये ?

श्री जगजीवन राम : यह प्रश्न पैदा तो नहीं होता है, लेकिन अगर सरकार यह देखेगी कि वहां यात्रियों की और असबाब और माल की तादाद काफ़ी है तो इस सर्विस को रोज़ाना किया जा सकता है ।

श्री बर्मन : क्या माननीय मंत्री दार्जीलिंग को प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली से मिलाने के लिये कोई सहायक सेवा चालू करने के विषय में विचार कर रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : इस पर विचार किया जा सकता है । आजकल भी दार्जीलिंग से दिल्ली आने में कोई कठिनाई नहीं है । माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या सरकार ने उन विशेष सहायक सेवाओं के बारे में कोई निश्चय किया है जो विमानों के पहुंचने पर चालू की जायेंगी ?

श्री जगजीवन राम : हमने प्रयोगात्मक रूप से कुछ सहायक मार्गों के बारे में निश्चय किया है परन्तु जैसे कि मैं ने बताया है कि निगम स्थिति का निरन्तर विचार कर रहा है और जब कभी वह नये मार्गों पर विमान चालू करना आवश्यक समझेगा वे चालू कर दिये जायेंगे ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं जानना चाहता था कि क्या माननीय मंत्री उन सहायक मार्गों के नाम बता सकते हैं ।

श्री जगजीवन राम : मैं कुछ नाम बता सकता हूं ।

कई माननीय सदस्य उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को पहले ही तीन चार मिनट दे चुका हूं और यदि मैं प्रत्येक प्रश्न को इतना समय देता रहा तो .....

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह मेरा प्रश्न है और मैं एक और अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि प्रश्न केवल जानकारी प्राप्त करने के लिये पूछे जाने चाहिएं । कितने सहायक मार्ग हैं ? क्या वह बता सकते हैं ?

श्री जगजीवन राम : मैं किसी भी अनु-पूरक प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं । उन को अनुमति देना आप पर निर्भर है । अभी हम ने चार सेवाओं को चालू करने का निश्चय किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री उन्हें पढ़ कर सुना दें ।

श्री जगजीवन राम : अगले वर्ष के पहले दिन से हमारा इन मार्गों को नये विमानों के पहुंचने से पूर्व डकोटा विमानों से चालू करने का विचार है और जब नये विमान आ जायेंगे तो उन्हें इन मार्गों पर चलाया जायेगा । वे मार्ग निम्नलिखित हैं :—

(१) दिल्ली-आगरा-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-औरंगाबाद-बम्बई;

(२) मद्रास – तिरुचिरापल्ली – मदुरा–त्रिवेन्द्रम – कोचीन – कोयम्बटोर – बंगलौर – मद्रास ;

(३) दिल्ली, बीकानेर–जोधपुर–अहमदाबाद–राजकोट ; और

(४) मद्रास – बंगलौर । कोयम्बटोर–कोचीन – त्रिवेन्द्रम – मदुरा – तिरुचिरापल्ली – मद्रास ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उन देशों के नाम क्या हैं जहां पर विमान प्रयोग में लाया जाता है ?

श्री जगजीवन राम : मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : कितने ज़िला केन्द्र विमान सेवाओं द्वारा मिले हुए नहीं हैं और क्या पहले पहल सब ज़िला मुख्यालयों को मिलाने की कोई योजना है ?

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के बारे में यह पूछ सकता हूं कि . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न को पहले ही बहुत समय दे चुके हैं । प्रत्येक प्रश्न को चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता । यदि माननीय सदस्य चाहें तो ऐसी व्यवस्था है जिस के अनुसार आध घंटे से ढाई घंटे तक चर्चा की जा सकती है और जो कोई चाहता हो वह ऐसी चर्चा के लिये प्रार्थना कर सकता है ।

सरदार ए० एस० सहगल : परन्तु हमें तो आध घंटे का भी समय नहीं मिलता है ।

टैंडर प्रणाली :

*१५७५. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विभिन्न रेलों में सामान उतारने व चढ़ाने के लिये टैंडर प्राप्त करने की बजाये बातचीत कर के ठेके दिये जा रहे हैं ;

(ख) टैंडर प्राप्त करने की बजाय बातचीत कर के ठेके देने के क्या कारण है ; और

(ग) १९५३ और १९५४ में टैंडर द्वारा और बातचीत कर के उत्तर पूर्व रेलवे में कितने ठेके दिये गये थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री साहनवाज़ खां) : (क) और (ख). सामान उतारने व चढ़ाने के ठेके सामान्यत: टैंडर द्वारा दिये जाते हैं । कभी कभी शीघ्र काम करवाने के लिये उन्हें बातचीत कर के दे दिया जाता है ।

(ग) १९५३ न तो टैंडर द्वारा और न ही बातचीत कर के कोई ठेका दिया गया था । १९५४ में एक टैंडर द्वारा और एक बातचीत कर के दिया गया था ।

पंडित डी० एन० तिवारी : सामान उतारने व चढ़ाने के ठेके बातचीत कर के देने में रेलों को क्या लाभ अथवा हानि होती है ?

श्री शाहनवाज खां: जैसा कि मैं ने पहले अपने उत्तर में कहा, कि शीघ्र काम करने के लिए ऐसा किया जाता है।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या यह सत्य है कि कई बार टैंडर खोलने पर अधिकतम टैंडर भी बदल दिये जाते हैं और निम्नतम टैंडर देने वाले ठेकेदार को ठेका लेने से वंचित कर दिया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय: इस विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों के यह कहने से कोई लाभ नहीं कि रेल में भ्रष्टाचार चल रहा है। संसद् के समक्ष केवल वे प्रश्न लाने चाहियें जिन से सम्बन्धित मामले माननीय मंत्री के ध्यान में लाये जा चुके हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछना व्यर्थ है कि "क्या इस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है" और यह कि क्या उच्चतम टैंडरों को निम्नतम टैंडरों में बदल दिया जाता है। केवल विशेष मामलों की ओर ध्यान दिलाना चाहिये। अन्यथा यह एक अनिश्चित प्रश्न है और इस का कोई विशेष उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

सरदार ए० एस० सहगल आपकी अनुज्ञा से मैं जानकारी देने को तैयार हूं। इस से पहले मैं माननीय मंत्री को एक पत्र भेज रहा हूं और यदि आप आज्ञा दें तो इसी विषय म मैं एक और पत्र भेज दूं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को विदित है कि माननीय रेलवे मंत्री को पत्र भेजने के लिये मेरी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में मैं भी यथासम्भव अधिकतम जानकारी प्राप्त करने के लिये बहुत उत्सुक हूं। मैं तो माननीय सदस्यों से केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि यदि उन के ध्यान में कोई विशेष मामले हों तो उन्हें पहले माननीय मंत्री को लिखना चाहिये . . . .

श्री जगजीवन राम: आपकी अनुज्ञा से।

उपाध्यक्ष महोदय: . . . और यदि उस का कोई उपचार न किया जाये तो तब उन्हें सभा के सामने रखना चाहिये। अन्यथा यह व्यर्थ है। ऐसे मामलों के बारे में भी यह सुझाव दिये जाने हों, जैसे कि जिला मुख्यालयों को मिलाने के बारे में कहा गया मैं कहूंगा कि वे माननीय मंत्री को भेजे जा सकते हैं और यदि वह उत्तर देने से इन्कार करें तो माननीय सदस्य माननीय मंत्री की शिथिलता अथवा इन्कार को संसद् के ध्यान में ला सकते हैं। अन्यथा विस्तार बताना असुविधाजनक है और इस से सभा का समय नष्ट होता है।

श्री भागवत झा आज़ाद: आप ने कल और आज जो निर्णय दिया उस के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमें यह प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है कि क्या यह सत्य है कि उन के मंत्रालय में उच्चतम टैंडरों को निम्नतम बना दिया जाता है ? क्या हम यह प्रश्न नहीं पूछ सकते ?

श्री शाहनवाज खां: नहीं। यह कभी नहीं होता।

श्री भागवत झा आज़ाद: इस का उत्तर आप को नहीं देना है। इस का उतर उपाध्यक्ष महोदय देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इस का उत्तर दूंगा।

श्री गाडगील: सामान्यतः यह नहीं किया जाता।

सरदार ए० एस० सहगल: सामान्यतः नहीं किया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को दूर बैठे सदस्यों से इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहियें।

यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या यह निर्णय दिया गया है कि इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये । यदि यह प्रश्न है कि क्या उच्चतम टेण्डर स्वीकार किये जाते हैं या निम्नतम, तो और बात है । परन्तु जो माननीय सदस्य एक सामान्य प्रश्न पूछता है वह यह मान लेता है कि सामान्य नियमों के अधीन निम्नतम टेण्डर स्वीकार किया जाना चाहिये और यह कि किन्हीं विशेष मामलों में उच्चतम दरों वाले टेण्डर स्वीकार किये गये हैं, और निम्नतम बना दिये गये हैं और इस प्रकार की कुछ बुराइयां हैं । यह बात नहीं है कि कोई प्रश्न नीति के सम्बन्ध में पूछा गया हो कि इस सम्बन्ध में क्या प्रथा है—जिस की मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ; परन्तु जब सामान्य रूप से यह आरोप लगाया जाये कि सदा ही नियमों का उल्लंघन करने की प्रथा है और यह प्रश्न पूछा जाये कि क्या इस प्रकार के उल्लंघन नहीं किये जा रहे हैं तो इस बात के लिये सर्वथा अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस का कोई निश्चित उत्तर नहीं है । मेरा यही कहना है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच है कि टेण्डर मांगे जाते हैं और उस के पश्चात् भी बातचीत की जाती है ? यह सरकारी नियमों के किस उपबन्ध के अधीन किया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ऐसे कोई मामले हैं ? मैं यह चाहता हूं कि इस प्रश्न को अलग अलग कर के पूछा जाये । यह पूछने से कोई लाभ नहीं कि 'तुम ने अपनी मां को पीटना कब से बन्द कर दिया" ? इस का अर्थ तो पहले से ही यह धारण बना लेना है कि इस प्रकार की बुराइयां विद्यमान हैं और फिर यह पूछना कि क्या किया गया है ? इस के दो प्रश्न बना लिये जायें । हाल ही में या अन्यथा ऐसे कोई मामले हुए हैं जिन में नियमों के विरुद्ध उच्चतम टेण्डर आ जाने के पश्चात् बातचीत की गई थी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि जो टेण्डर निम्नतम नहीं है उसे स्वीकार करना बुरी बात है । सरकार निम्नतम टेण्डर स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है । ऐसे भी अवसर हो सकते हैं जब प्रशासन किसी अधिक ऊंचे टेण्डर को स्वीकार करना आवश्यक समझे, क्योंकि वह ठेकेदार या सार्थ अभिज्ञात सार्थ हो और हमें यह बात भली भांति विदित हो कि वे पहले इस काम को बहुत अच्छी प्रकार कर चुके हैं । कभी कभी निम्नतम टेण्डर निष्फल होता है और काम नहीं होता : अतः यह सुझाव बिल्कुल गलत है कि यदि सदा निम्नतम टेण्डर नहीं स्वीकार किया जाता, तो इस में कुछ बुराई है । पहली बात तो यह है । दूसरी बात यह है मुझे माननीय सदस्य के इस कथन का अभिप्राय समझ में नहीं आया कि 'उच्चतम टेण्डरों को निम्नतम बना दिया जाता है' । मुझे इस का अर्थ समझ में नहीं आया ; उन्हें बदला नहीं जा सकता ।

सरदार ए० एस० सहगल : टेण्डर खोलने के पश्चात् बदले गये ।

श्री एल० बी० शास्त्री : जो कुछ होता है, वह है ही । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि आप ने ठीक ही कहा है कि यदि सदस्यों को किसी विशेष टेण्डर की स्वीकृति के सम्बन्ध में सन्देह हो, तो वे मुझे लिख दें और मैं पर्याप्त जानकारी देने को तैयार हूं ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कह रहा

था जिस में कई मामलों का उल्लेख किया गया है जिन में टेण्डर मांगने के पश्चात् भी बाद में बातचीत के द्वारा ठेके दे दिये गये थे ।

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि लोक लेखा समिति ने हाल ही में जिन मामलों का उल्लेख किया है उन के बारे में क्या हुआ है यह मुझे स्मरण नहीं है । परन्तु कई एक मामलों में, जिन में टेण्डर प्राप्त होने के पश्चात् बातचीत की गई थी, ऐसा सामान्यतया सारे विश्व से आने वाले टेण्डरों के सम्बन्ध में किया जाता है, रेलवे को बातचीत से निश्चय ही लाभ हुआ है । और मैं इस सम्बन्ध में कुछ जानता हूं कि इस बात के बारे में लोक लेखा समिति सन्तुष्ट है, क्योंकि इस के फलस्वरूप रेलवे को कुछ लाभ हुआ है और रेलवे की बचत हुई है । अतः लोक लेखा समिति का भी यही विचार है कि यह बातचीत रेलवे के लिये लाभप्रद रही है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय सभा-सचिव ने कहा था कि शीघ्रता के लिये . . . .

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मेरा यह सुझाव है कि इस पर वाद-विवाद नहीं होना चाहिय यह प्रश्न काल है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : सभा-सचिव ने कहा था कि काम को शीघ्रता से निबटाने के लिए बातचीत द्वारा ठेके तय किये जाते हैं । क्या मैं यह जान सकता हूं कि टेण्डर मांगने से काम को शीघ्रता से निबटाने में बाधा कैसे पहुंचती है ?

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर रेलवे में ठेकों के बातचीत के द्वारा तै किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था । मैं ने अपने उत्तर में बताया था कि १९५४ में ऐसा एक मामला हुआ था । वह मामला कोसी परियोजना के काम के सम्बन्ध में था । बिहार के माननीय मुख्य मंत्री स्वयं यहां दिल्ली पधारे थे और उन्होंने माननीय रेलवे मंत्री से टेण्डर देने में शीघ्रता करने के लिये तीव्र अनुरोध किया था क्योंकि काम रुका पड़ा था । अतः बिहार के मुख्य मंत्री के हम पर दबाव डालने पर सीधे रेलवे बोर्ड के आदेश के अधीन यह बातचीत आरम्भ की गई थी ।

भारतीय नौवहन

*१५७६. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय समुद्र पार के व्यापार के लिए भारतीय जहाज़ों को पर्याप्त पोत-भार प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है ;

(ख) कितने भारतीय जहाज़ समुद्र पार के व्यापार में लगे हुए हैं ; और

(ग) क्या समुद्र पार के व्यापार में लगे हुए भारतीय जहाज़ों के लिए कोई नये मार्गों का विचार किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जहां तक सरकार को पता है, समुद्र पार के व्यापार में लगे हुए भारतीय जहाज़ों को सामान्यतः पर्याप्त पोत-भार प्राप्त हो जाता है ।

(ख) २८ जहाज़, जिन का कुल अनुमानित पंजीबद्ध टन-भार १,८९,६९१ है ।

(ग) भारतीय जहाज़ मालिकों की सलाह से सरकार इस विषय पर विचार कर रही है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : भारतीय व्यापारिक माल का लगभग कितने प्रतिशत भार विदेशी जहाज़ों द्वारा ले जाया जाता है ?

श्री अलगेशन: इस समय हम केवल बहुत थोड़ा अर्थात् ६ से ७ प्रतिशत तक माल ले जाते हैं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: तटीय व्यापार का कितने प्रति शत माल विदेशी जहाज़ उठाते हैं ?

श्री अलगेशन: तटीय व्यापार पूर्णतया भारतीय जहाज़ों के लिये सुरक्षित है।

श्री कासली वाल: क्या सरकार ऐसी कोई योजना बना रही है जिस से कि समस्त तटीय व्यापार भारतीय जहाज़ों के लिए ही सुरक्षित हो जाये ?

श्री अलगशन: १९५० से हम ने तटीय व्यापार को भारतीय जहाज़ों के लिये सुरक्षित रखने का निश्चय किया था और १९५२ में यह पूर्णरूप से भारतीय नौवहन के लिए सुरक्षित रख दिया गया है।

श्री वैलायुधन: विदेशी नौवहन समवायों की प्रतिद्वन्द्विता से बचाने के लिये सरकार ने भारतीय नौवहन के संरक्षण-हेतु क्या कार्यवाही की है ताकि वे विदेशों को माल ले जा सकें ?

उपाध्यक्ष महोदय: इस का सम्बन्ध तटीय नौवहन से नहीं है, बल्कि सामान्यत: विश्वव्यापी नौवहन से है।

श्री अलगेशन: समुद्र पार का व्यापार प्रतिद्वन्द्विता का कार्य है और नौवहन अभी गैर-सरकारी हाथों में है। नौवहन समवाय यथासंभव अधिक से अधिक माल भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब कभी वे अपनी कठिनाइयां हमारे सामने रखते हैं, तो हम उन्हें सहायता देने का प्रयत्न करते हैं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: हमारे कितने जहाज़ विदेशी पोत-भार ढोने में लगे हुए हैं ?

श्री अलगेशन: मैं ने बताया २८, जिन का कुल टन-भार, १,८९,६९१ है।

श्री सारंगधर दास: सरकार के इस आश्वासन अथवा निश्चय को ध्यान में रखते हुए कि सारा तटीय व्यापार भारतीय नौवहन के लिए सुरक्षित रखा जायेगा सरकार इस अनियमितता का समाधान कैसे करेगी, कि पैट्रोल ले जाने वाले जहाज़ों का माल विदेशी जहाज़ों द्वारा ले जाया जाता है ? सरकार का उस को भी कैसे भारतीय नौवहन के लिये सुरक्षित करने का विचार है ?

श्री अलगेशन: जब करार हुआ था उस समय भारत में पंजीबद्ध पैट्रोल ले जाने वाले जहाज़ नहीं थे। फिर भी, करार में ऐसा एक उपबन्ध किया गया है कि इस के लिये केवल उन्हीं पैट्रोल ले जाने वाले जहाज़ों का प्रयोग किया जाये जो पूर्णतया सरकार के हों अथवा ऐसे निगमों के हों जिन में अधिकांश अंश सरकार के हों। हम ने इस प्रयोजन के लिये दो, पैट्रोल ले जाने वाले जहाज़ प्राप्त करने का भी निश्चय किया है।

कृषि सम्बन्धी जानकारी

*१५७८. **श्री संगण्णा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेक्निकल सहयोग सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस देश में कृषि विस्तार सम्बन्धी साहित्य को प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए २० मुद्रण यंत्र लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) टेक्निकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अमेरिका से २० शाफ-सेट फोटो-प्रॉसैस डुप्लीकेटिंग मशीनें तथा सहायक उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इन में से अठारह तो राज्य सरकारों को प्रादेशिक भाषाओं में विस्तार सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करने के लिये भेज दी गई हैं और शेष दो केन्द्र में उपयोग के लिए रख ली गई हैं।

(ख) राज्य सरकारों के चालकों तथा टेक्नीशियनों को इन आयात की हुई मशीनों के प्रयोग का ढंग सिखाने के लिये नीलोखेड़ी में एक विदेशी इंजीनियर की देख रेख में जिसे इस कार्य के लिए इन मशीनों के संभरणकर्त्ताओं ने विशेष रूप से भेजा था प्रशिक्षण कक्षायें खोली गयीं थीं। प्रशिक्षणार्थियों के अन्तिम दल ने २०-११-५४ को अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया अब वह इंजीनियर विभिन्न राज्य में जायेगा और मशीनें लगाने और सूचना सामग्री निकालने में राज्य सरकारों की सहायता करेगा।

श्री संगण्णा: क्या इस वर्ष हुए राज्य कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में किए गये निश्चयों में से एक यह भी था ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह अधिकतर लखनऊ के सूचना सम्मेलन का परिणाम था।

श्री संगण्णा: अनपढ़े किसानों के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख: हम क्षेत्रीय कार्य तथा अन्य चीजों के कार्यक्रम का विस्तार कर रहे हैं।

श्री वैलायुधन: क्या सरकार को इस बात की कोई सूचना है कि जो मशीनें राज्यों को भेजी गई हैं उन का उपयोग हो रहा है अथवा नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख: जैसा कि मैं ने बताया प्रशिक्षित कर्मचारी शीघ्र ही उपलब्ध हो सकेंगे और एक इंजीनियर कार्य को आरम्भ करने के लिये राज्यों को जायेगा। अभी सारे राज्यों में कार्य आरम्भ होना है।

श्री वीरस्वामी: क्या मद्रास राज्य को भी एक मशीन दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी हां।

श्री हेडा: माननीय मंत्री ने बताया कि २० मशीनों में से १८ बांट दी गई हैं। शेष दो मशीनों का क्या हुआ ?

डा० पी० एस० देशमुख: ये केन्द्रीय सरकार की भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के पास हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या कृषि के जापानी तरीके और देशी तरीके दोनों के सम्बन्ध में जानकारी दी जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख: वह सभी सूचना दी जाती है जो कृषकों के लिये लाभदायक हो सकती है और जो वैज्ञानिक गवेषणा पर आधारित होती है।

जिला मुख्य केन्द्रों में तार सुविधायें

*१५७९. **श्री आर० एन० एस० देव:** क्या संचार मंत्री २१ नवम्बर, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन छः जिला मुख्य केन्द्रों में से किसी में तार घर खोला गया है, जिन में पहले नहीं था ;

(ख) किन किन जिला मुख्य केन्द्रों में अभी भी तारघर नहीं हैं; और

(ग) इन स्थानों में कब तक तार घर खुलने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां, उन में से एक में आसाम में डीफू में ।

(ख) उड़ीसा के केवंजहगढ़ बमिदिला, जीरो अलोंग में और उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण के तुएनसांग में ।

(ग) केवंजहगढ़ में मार्च, १९५५ तक, चार अन्य स्थानों पर यथा शीघ्र ।

श्री आर० एन० एस० देव: क्या विलम्ब राज्य सरकारों की प्रत्याभूति प्राप्त न होने के कारण हुआ है ?

श्री जगजीवन राम: इस में प्रत्याभूति का कोई प्रश्न नहीं है । हानि अथवा लाभ का विचार किये बिना सभी ज़िला मुख्य-केन्द्रों में तार-घरों की व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री आर० एन० एस० देव: आनन्दपुर से केवंजहगढ़ वाली विद्यमान टेलीफोन लाइन का उपयोग केवंजहगढ़ में तारघर खोलने के लिये क्यों नहीं किया गया ?

श्री जगजीवन राम: मेरे पास इस का ब्यौरा नहीं है । किन्तु वे उड़ीसा सरकार द्वारा नियंत्रित भूतपूर्व राज्य की लाइनें थीं । हम ने हाल ही में इन को अपने अधिकार में लिया है ।

सरदार हुक्म सिंह: ऐसे ज़िला मुख्य-केन्द्रों की संख्या कितनी है जिन में तार की सुविधायें नहीं हैं ?

श्री जगजीवन राम : उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के इन चार स्थानों के अतिरिक्त, सारे देश में ऐसा कोई ज़िला मुख्य-केन्द्र नहीं है जहां तार की सुविधा न हो ।

मैसूर में लोक स्वास्थ्य

*१५८१. **श्री एन० राचय्या:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) मैसूर राज्य को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य में उन्नति करने के लिये कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) कितनी योजनाओं पर यह राशि व्यय की गई है ; और

(ग) ऐसी प्रत्येक योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये शिष्ट, ६, अनुबन्ध संख्या ३९].

श्री एन० राचय्या: स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार इस में १९५३-५४ में अस्पृश्यता निवारण के लिये कुंए बनवाने की एक मद रखी गयी है । यह मद गृह-मंत्रालय के अधीन है अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय के, क्योंकि गृह मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि अस्पृश्यता निवारण के लिये उन्होंने १९५३-५४ में ३७,००० रुपये कुंए बनवाने के लिये रखे हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: चूंकि अनुदान का उद्देश्य पानी पीने के लिये कुंए बनवाना है इसलिए यह लोक स्वास्थ्य का विषय है, यद्यपि गृह मंत्रालय ने यह अनुदान मंजूर किया है ।

श्री एन० राचय्या: क्या स्वास्थ्य मंत्रालय यह समझता है कि कुंए बनवा कर के अस्पृश्यता को दूर कर सकते हैं अथवा क्या वे हरिजनों को वर्तमान कुओं के प्रयोग की आज्ञा दे कर यह कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो अपनी अपनी राय है जिस के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री से उत्तर की आशा नहीं की जा सकती ।

श्री एन० राचय्या : गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों के अन्तर्गत एक ही राशि रखी गई है । इसी कारण मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है अथवा गृह मंत्रालय के ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या यहां यह कुंओं के लिये किया गया उपबन्ध वही उपबन्ध है जो कि गृह मंत्रालय ने अस्पृश्यता निवारणार्थ प्रचार कार्य के लिये किया है अथवा यह स्वतंत्र उपबन्ध है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : : इसे गृह मंत्रालय ने ही मंजूर किया है । क्योंकि यह लोक स्वास्थ्य का विषय है अतः इसे इस सूचि में सम्मिलित किया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कुंएं बनवाने और लोक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में है और दूसरा प्रचार के सम्बन्ध में है ।

केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म

*१५८२. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म सहकारी आधार पर चलाये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन में कितने परिवार काम कर रहे हैं और उन्हें किन किन शर्तों पर भूमि मिली हुई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोढ़

*१५८३. **श्रीमती सुषमा सेन :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** १७ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०७७ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कोढ नियंत्रण योजना के अधीन विभिन्न राज्यों को आवंटित चिकित्सा तथा अध्यापन केन्द्र और सहायक केन्द्र सम्बद्ध राज्यों द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं;

(ख) यदि नहीं, तो कोढ़ियों से जनता को जो खतरा है उसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) जहां उक्त केन्द्र खोले जा रहे हैं, क्या सरकार उन के अतिरिक्त अन्य राज्यों में अनाथालय या कुछ-धाम खोलने का भी विचार करती है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) तथा (ग). यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और भारत सरकार के पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है ।

श्रीमती सुषमा सेन : उन क्षेत्रों में, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं, उदाहरणार्थ भाग (ग) के राज्य, अनाथालय या कुछ धाम खोलने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : भाग (ग) के राज्यों की भी अपनी सरकारें होती हैं । भारत सरकार का तो राज्य सरकारों से कोढ नियंत्रण की समस्या को सुलझाने के लिये सिफारिश करने से सम्बन्ध

है, और हम ने अपना काम पूरा कर दिया है ।

श्री ए० एम० थामस : क्या सरकार को विदित है कि यह सच है कि साल्वेशन आर्मी जैसी धर्म प्रचार संस्थाओं द्वारा कुछ काम चलाने के लिये किये जाने वाले व्यय में कमी कर दी गई है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने इन संस्थाओं की आवश्यकताओं को आंका है, और इन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

राजकुमारी अमृतकौर : भारत सरकार का इन संस्थाओं से सम्बन्ध नहीं है । परन्तु प्रथम पंच वर्षीय योजना में १६ लाख रुपये इन के लिये निर्धारित किये गये हैं । चार अध्ययन केन्द्र और ६ सहायक केन्द्र निम्न राज्यों को आमंत्रित किये जा चुके हैं । उदाहरणार्थ, अध्ययन केन्द्रों में इलाज, एक मद्रास में, एक मध्य प्रदेश में, एक पश्चिमी बंगाल में और एक उत्तर प्रदेश में । सहायक केन्द्रों में से एक बिहार में, एक बम्बई में, एक उड़ीसा में, एक आसाम में एक विंध्य प्रदेश में और एक सौराष्ट्र में है ।

श्री जी० पी० सिंह : क्या सरकार को यह विदित है कि बहुत से कोढ़ी कनाट सर्कस में घूमते फिरते हैं और क्या उन्हें उस स्थान से दूर हटाने का कोई प्रस्ताव है ।

राजकुमारी अमृतकौर : यह मामला भी दिल्ली राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि लेप्रोसी को दूर करने के लिये कुछ संस्थायें जो कार्य कर रही हैं उन को पंचवर्षीय योजना में मदद देने की किस कदर व्यवस्था है और ऐसी कितनी संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार के पास राज्य सरकारों ने भेजा है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मैं ने अभी कहा है कि १६ लाख रुपये रखे हैं और उस के अलावा १४ लाख रुपया और है जो कि प्रान्तीय सरकारों को मदद देने के लिये है । प्रान्तीय सरकारों का कार्य है कि जो संस्थायें उन के यहां अच्छा कार्य कर रही हैं उन को मदद दें ।

श्री अच्युतन : क्या समस्त कोढ़ियों को, जो देश भर में घूमते फिरते हैं, आश्रय देने के काम को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी और धीरे-धीरे उन सब का इलाज किया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कार्यवाही का सुझाव दे रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

असैनिक उड्डयन कर्मचारी

*१५६२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि बहुत से विमान चालकों ने, अपने वेतनों में प्रस्तावित कमी के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकृत विमान समवायों से त्याग पत्र दे दिया है और अन्य देशों में विमान समवायों में नौकरी कर ली है, और

(ख) यदि हां, तो जिन व्यक्तिओं ने इस प्रकार त्यागपत्र दिया है, उन के क्या नाम हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे समय सारणी

*१५६७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन रेलवे समय सारणी को संशोधित करने से पहले डाक विभाग से हमेशा परामर्श करती है, जिस से डाक सार्टिंग विभाग अपना समय निर्णय कर सके और डाक के पहुंचने में देर न हो; और

(ख) यदि नहीं, तो उस का कारण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसन्धान नल-कूप

*१५६८. **श्री वी० पी० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक अमरीकी फर्म के साथ भारत में एक अनुसन्धानात्मक नल कूपों के निर्माण के लिये परामर्शदाताओं, शिल्पिक कर्मचारियों और सामान आदि का समाहार करने में सहायता प्राप्त करने के लिये एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस कार्य का क्या नाम है और करार कब किया गया था ;

(ग) करार कहां तक क्रियान्वित हुआ है ; और

(घ) क्या सरकार करार की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) जी हां ।

(ख) (१) संयुक्त राज्य अमरीका की रैन्फ एम० पारसन्ज कम्पनी ।

(२) ७ अगस्त, १९५४ ।

(ग) ठेके दार द्वारा एक कार्यवाहक रैजीडेंट इंजीनियर और एक खुदाई निरीक्षक नियुक्त किया जा चुका है और भूमिगत जल अनुसन्धान कार्यक्रम के अधीन योजना चलाने के लिये तथा ठीक प्रकार का भण्डार और सामान का समाहार करने के लिये उन की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है ।

(घ) प्रतियां पहले ही सभा के पुस्तकालय में रखी जा चुकी हैं ।

श्रम विधान

*१५७४. **श्री केशवैयंगार** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार १५ अगस्त १९४७ के पश्चात अब तक पारित श्रम विधान के संचालन के सम्बन्ध में जांच करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये एक संसदीय आयोग संयुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के निर्देश-पद क्या होंगे ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नीम खली

*१५७७. **श्री गणपति राम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतोने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में नीमखली के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) उक्त समय में अन्य देशों से नीमखली का कितना आयात हुआ है अथवा अन्य

देशों को नीमखली का कितना निर्यात हुआ है ; और

(ग) इस का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). शासकीय आंकड़ों में नीमखली के रूप में कोई पृथक मद नहीं है ; और न ही इस देश के व्यापार के आंकड़ों के वर्तमान वर्गीकरण में नीमखली के आयात और निर्यात के आंकड़ों को प्रथक मद के रूप में दर्शाया जाता है। इसलिये ये आंकड़े बताना संभव नहीं है।

(ख) नीमखली का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई विशेष उपाय नहीं किये गये हैं ।

परिवार आयोजन

*१५८०. श्री भीखा भाई : क्या स्वास्थ्य मंत्री २४ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ३४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार का भिन्न भिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में, जहां प्रजनन शक्ति अधिकतम है, कोई गवेषणा आरम्भ करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : अभी तक ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है ।

तितलियां

*१५८२. क. श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने आसाम से भूमि या समुद्र द्वारा तितलियों को निर्यात निषिद्ध कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्ष में यदि विदेशियों को तितलियों का कोई निर्यात किया गया तो वे किन किन जातियों की थी; और

(घ) उन देशों के क्या नाम हैं जहां तितलियों की जातियों की मांग बहुत अधिक है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां, वैज्ञानिक, शिक्षात्मक प्रयोजनों अथवा निजी तौर पर तितलियां एकत्र करने वाले मान्यता प्राप्त लोगों के अतिरिक्त सब के लिये यह निर्यात बन्द है ।

(ख) तितलियों का बड़े पैमाने पर निर्यात उनकी बिरली जातियों के बचाव के लिये अहित कर समझा गया था ;

(ग) और (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है । उपलब्ध होने पर वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तुंगभद्र परियोजना क्षेत्र को कृषि योग्य बनाना

*१५८४. श्री विश्व नाथ रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आंध्र में तुंगभद्र परियोजना के अधीन भूमि को बड़ी मन्द गति से कृषि योग्य बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां, श्रीमान । आंध्र सरकार से मिली जानकारी से पता चलता है कि भूमि को कृषि योग्य बनाने के कार्य में अधिक प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) कम प्रगति के कारण यह हैं : (१) ट्रैक्टर और दूसरा सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और (२) उपलब्ध ट्रैक्टरों में से कुछ ठीक काम नहीं करते और उन की मरम्मत हो रही है।

(ग) राज्य सरकार ने १५ बुलडोज़रों के लिये आर्डर दिया है। इन में से दो उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां काम हो रहा है। राज्य सरकार ने ट्रैक्टरों की मरम्मत करने के लिए एक कारखाना स्थापित करने की भी स्वीकृति दी है, जो ट्रैक्टरों और बुलडोज़रों की अविलम्ब मरम्मत करेगा।

रेल कर्मचारी

*१५८५. **श्री माधव रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेलवे के निम्न गज़ेटिड पदों के लिये वरिष्ठ अधीनस्थों के चुनाव के लिये कोई एक प्रक्रिया निर्धारित की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों में वरिष्ठता को पर्याप्त महत्त्व दिया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी हां।

दक्षिण रेलवे में भर्ती

*१५८६. **श्री वीरस्वामी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दक्षिण रेलवे के लेखा विभाग में प्रथम श्रेणी के क्लर्कों के पदों के लिये प्रत्यक्ष रूप से भर्ती करने की प्रणाली जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या लेखा विभाग के क्लर्क कर्मचारी-वृन्द से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं; रेलवे के लेखा विभाग की ८०-२२० रुपये की श्रेणी के वार्षिक स्थायी रिक्त स्थानों का केवल २० प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती के लिये खुला छोड़ दिया गया है।

(ख) लेखा कार्यालयों की कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिये।

(ग) जी हां।

(घ) अभ्यावेदनों पर भली प्रकार विचार किया गया है। और इस विषय के आदेशों का पुनरीक्षण आवश्यक नहीं समझा गया है।

त्रिपुरा में सिंचाई योजनायें

*१५८७. **श्री दशरथ देव :**
श्री बीरेन दत्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १० सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में शुरु की गयी विभिन्न सिंचाई योजनाओं की क्रियास्थिति में क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : हाल ही में, सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाओं के बनाने के अभिप्राय से एक जांच विभाग बनाया गया है। उस ने इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण भी शुरु कर दिया है। उन से त्रिपुरा की पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित सिंचाई की छोटी योजनाओं के सम्बन्ध में भी प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के लिये कहा गया है।

टेलीप्रिंटर सर्कटों का उपयोग

*१५८८. **श्री एस० सो० सामन्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर, लुधियाना, मुजफ्फरनगर, आगरा तथा भटिंडा से दिल्ली तथा बम्बई तक के टेलीप्रिंटर सर्कटों के कार्य के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हुई है, तो कब ; और

(ग) ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, भटिंडा-नई दिल्ली तथा अमृतसर-नई दिल्ली के सर्कटों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(ख) ८-५-५४, २४-११-५४, तथा ५-११-५४ को ।

(ग) समाचार एजेंसियों को चेतावनी दे दी गयी है कि यदि प्रैस सर्कट का उचित उपयोग न किया गया, तो सर्कट काट दिये जायेंगे ।

रेलवे पुल

*१५८९. **श्री सिंहासन सिंह :** क्या रेलवे मंत्री १३ मई, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २४८८ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे के सहजनवा-डोमिनगढ़ सैक्शन के तीन पुलों को डेक करने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कायवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सहजनवां-डोमिनगढ़, पउशाखा के दो पुलों को डेक करने की सिफारिश की है ।

(ख) सरकार द्वारा नियुक्त रेलवे पुल-डेंकिग कमेटी इस पर विचार कर रही है ।

भारतीय नौवहन

*१५९०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या परिवहन मंत्री निम्नलिखित बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वे कौन कौन से देश हैं जहां से गत पांच वर्षों में सरकार ने, वाणिज्य नौवहन के लिये जहाज़ खरीदे हैं ; तथा

(ख) प्रत्येक जहाज़ के लिये क्या मूल्य दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४०].**

बूरा

*१५९१. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाहर से मंगाये गये बूरे को साफ करने का कार्य देश में किसी स्थान पर प्रारम्भ किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : जी, हां ।

रेलवे पास

*१५९२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध

किया था कि राज्य व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों को राज्य की सीमा में यात्रा करने के लिये रेलवे पास दिये जायें, और उस का अनुरोध अस्वीकृत कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां ।

(ख) सुझाव मानने का कोई औचित्य नहीं था ।

गुड़ उद्योग

*१५९३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी के नये कारखाने प्रारम्भ करने का गुड़ उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : चीनी के नवीन कारखानों की स्थापना की गुड़-उद्योग पर अहितकर प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं ।

अदेनी सहकारी तथा विक्रय संस्था

*१५९३. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५ मई, १९५३ से, अदेनी सहकारी तथा विक्रय संस्था आंध्र राज्य की सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार के प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो उस संस्था का १९५३–५४ का लाभ तथा हानि का लेखा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार उस संस्था के, १९५३-५४ के लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). इस बारे में आंध्र सरकार से जानकारी मांगी गयी है, और यह प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

फ़ाई मछलियों में रोग

*१५९४. **श्री देवगम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि फ़ाई मछलियों में विशेष प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिस के करण वे बहुत बड़ी संख्या में मर जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे रोग किस प्रकार के हैं ;

(ग) क्या इन रोगों के लिये कोई इलाज़ मालूम हुआ है ; और

(घ) इस इलाज़ के लिये, मछलिया पालने वाले किस प्राधिकारी से परामर्श प्राप्त करें ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रोटोज़ोन, क्रस्टेशियन तथा हैलमिन्थ पैरासाईट्स के द्वारा संक्रमण से ये रोग फैलते हैं ;

(ग) जी हां ।

(घ) विभिन्न राज्यों के मछली-विभाग तथा केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली गवेषणा केन्द्र, कलकता ।

राज्यों की रेलों का मिलाया जाना

*१५९५. **श्री डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रियासतों की रेलों को भारतीय रेलों में मिलाने के क्या वित्तीय परिणाम हुए हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इस तरह की सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे में मिलायी गयी विगत रियासती रेलों का अलग लेखा नहीं रखा जाता ।

रेलवे के स्कूल

*१५९६. पंडित [illegible]राज मिश्र : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों द्वारा मिडल तथा हाई स्कूलों सहित कितने माध्यमिक स्कूल चलाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का इस दृष्टि से ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है कि आयोग की सिफ़ारिशों को रेलवे माध्यमिक स्कूलों में भी लागू किया जा सके ; और

(ग) क्या माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार इन में से किसी माध्यमिक स्कूल में टेक्नीकल शिक्षा प्रारम्भ करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव **(श्री शाहनवाज खां)** : (क) ४९ ।

(ख) और (ग). आयोग की सिफ़ारिशों को राज्य सरकारें ही कार्यान्वित करेंगी, और रेलवे के स्कूल उन नये आदेशों के अनुसार चलेंगे ।

भतपूर्व एयर इंडिया लिमिटेड के भूतपूर्व कर्मचारी

*१५९७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या न्यायमूर्ति श्री **डब्ल्यू० आर०** पुरानिक को, जिन्हें भूतपूर्व एयर इन्डिया लिमिटेड के कर्मचारियों पर अभ्यावेदन पर विचार करने के लिये नियुक्त किया गया था, अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो यह पुनर्विचार किस प्रकार का था और किस हद तक किया गया था ;

(ग) इस पुनर्विचार की आवश्यकता कैसे उत्पन्न हुई ; और

(घ) इस के लिये निर्देश पद क्या थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) श्री पुरानिक को विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा २०(२) के अन्तर्गत प्राप्त अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिये नियुक्त किया गया था । साधारणतया यह बताना वांछनीय नहीं होता कि उन्होंने सरकार को क्या परामर्श दिया था उन्होंने अपने निर्णयों पर पुनर्विचार किया या नहीं । तथापि मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री पुरानिक को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार नहीं करना पड़ा ।

(ख) से (ग). उत्पन्न नहीं होता ।

एयर इंडिया इन्टरनैशनल के कर्मचारी—वेतन श्रेणियां

*१५९८. { **श्री ए० के० गोपालन** :
श्री पुन्नूस :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इन्डिया इन्टरनेशनल में वेतन श्रेणियां और सेवा की शर्तें नहीं होंगी जो कि भारतीय विमान निगम में हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि एयर इन्डिया इन्टरनैशनल ने यह निर्णय कर लिया है कि उस के कर्मचारियों की वेतन श्रेणियां और सेवा की शर्तें वही होंगी जो कि भारतीय विमान निगम में हैं ;

(ग) क्या सरकार दोनों निगमों में समान वेतन श्रेणियों आदि जारी करने के पक्ष में है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के कारण ?

संसदीय उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). चूंकि भारतीय विमान निगम ने विभिन्न कम्पनियों के कर्मचारियों को विभिन्न वेतन श्रेणियों पर ले लिया है, इसलिए एकीकरण के लिये एक साझी वेतन श्रेणी निर्धारित करना आवश्यक था। यह समस्या एयर इन्डिया इन्टरनैशनल के सम्बन्ध में उत्पन्न नहीं हुई थी। यह सत्य नहीं है कि इस निगम ने वही वेतन श्रेणियां और सेवा की शर्तें लागू करने का निर्णय किया है, जो कि भारतीय विमान निगम अपने कर्मचारियों के लिए निश्चित कर रहा है। इस विषय में एयर इण्डिया इन्टरनेशनल निगम भारतीय विमान निगम के निर्णयों की प्रतीक्षा कर रहा है। अतः यह कहना संभव नहीं है कि इन दो निगमों के कर्मचारियों की वेतन श्रेणियां आदि किस हद तक समान होंगी। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर सविस्तार विचार करने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

*१५९९. **श्री रामानन्द दास** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब राज्यों में कृषि श्रमिकों को छोड़ कर शेष सब प्रकार के श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू कर दिया गया है ;

(ख) इस अधिनियम को उचित रूप से लागू करने के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है ;

(ग) क्या उक्त व्यवस्था सब राज्यों में उचित रूप से काम कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सब अनुसूचित श्रमिकों के सम्बन्ध में इस अधिनियम को उचित रूप से लागू करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) जहां तक कृषि के अतिरिक्त अन्य नौकरियों का सम्बन्ध है, अधिकांश मामलों में न्यूनतम मजूरियां निश्चित की जा चुकी हैं और आशा है कि ३१ दिसम्बर, १९५४ तक, जो कि अधिनियम के अन्तर्गत मजूरी निश्चित करने की अन्तिम तिथि है सब मामलों में मजूरी निश्चित कर दी जायेगी।

(क) से (घ). यद्यपि कुछ राज्य सरकारों ने इस अधिनियम को लागू करने के लिये पूरा समय काम करने वाले निरीक्षक नियुक्त किये हैं, तथापि अन्य राज्यों ने यह काम वर्तमान निरीक्षण कर्मचारियों को सौंप दिया है, जो कि अन्य श्रम अधिनियमों के अधीन नियुक्त किये गये हैं। इस प्रकार के अधिनियम को अच्छी तरह लागू करना पर्याप्त निरीक्षण कर्मचारियों के मिलने पर निर्भर है और मामले के इस पहलू की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है।

प्रादेशिक देशनांक

*१६००. **श्री तुलसी दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषिमूल्य जांच समिति द्वारा सिफ़ारिश में उल्लिखित अनाजों तथा अन्य कृषि वस्तुओं के थोक मूल्यों के प्रादेशिक देशनांकों के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : सम्बन्धित राज्य प्राधिकारियों से प्रार्थना की गई है कि वे जनवरी १९५५ से उन केन्द्रों के सम्बन्ध में जिन की कृषि मूल्य जांच समिति ने सिफ़ारिश की है। इस के द्वारा सुझाये गये नये तरीके के अनुसार मूल्य सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत करें। अतः

थोक मूल्यों के प्रादेशिक देशनांक तैयार करने का काम सब केन्द्रों से नियमित आधार पर मूल्य सम्बन्धी आंकड़ें उपलब्ध हो जाने पर शुरु किया जायेगा ।

श्रम बागान अधिनियम (नियम)

*१६०१. **श्री एन० श्रीकांतन नायर :** क्या श्रम मंत्री ३० सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम बागान अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत नियम राज्य सरकारों द्वारा बनाये और लागू किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार का इस अधिनियम को निकट भविष्य में लागू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) आदर्श नियमों का मसौदा तैयार किया गया था और राज्य सरकारों को भेजा गया था । सम्बन्धित राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे उन्हेंयथासंभव शीघ्र से शीघ्र अन्तिम रूप से जारी कर दें । वे उन के विचाराधीन हैं ।

(ख) और (ग). अधिनियम १ अप्रैल, १९५४ को लागू किया गया था ।

ऊंची उड़ान के लिये अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी सुविधायें

*१६०३. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बी० ओ० ए० सी० कामेट की प्रकार की ऊंचा उड़ानों के लिये अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी सुविधाऐं प्रदान करने की योजना का अन्तिम निश्चय कर लिया गया ह; और

(ख) क्या ऊंची उड़ानों की अन्तरिक्ष विज्ञान सेवा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस समय हमारे हवाई अड्डों पर पूरी सुविधायें ह ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). ऊंचे उड़ने वाले विमानों को वायु और तापक्रम की सूचना देने के दृष्टिकोण से रेडियो वायु जांच केन्द्रों का एक जाल बिछाने और भारत में रेडियो सम्बन्धी सूचना देने का क्रम बढ़ाने के लिये एक योजना बनाई गयी है । योजना क्रमशः कार्यान्वित भी की जा रही है और १९५६-५७ के अन्त तक पूरी हो जायेगी।

नैतिक बल-संगठन प्रशासन

*१६०४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत के नैतिक बल संगठन प्रशासन की मुख्य गतिविधियां क्या हैं ; और

(ख) इस आन्दोलन में सरकार ने क्या सहायता दी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) और (ख). स्वास्थ्य मंत्रालय के पास इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं है

तेलों में मिलावट

*१६०५. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५२ से भारत के विभिन्न राज्यों मे तेलों की मिलावट में किस सीमा तक वृद्धि या कमी हुई है ; और

(ख) १९५२ के बाद कितने नमूनों का विश्लेषण किया गया और उन में किस सीमा तक मिलावट मिली ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) से (ख). अपेक्षित उपलब्ध सूचना को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४१]

जूट विशेषज्ञ समिति

*१६०६. **श्री भूजन सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूट विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अब तक कहां तक कार्यान्वित किया गया है ; और

(ख) किन राज्यों ने जूट बीज अधिनियम को अधिनियमित करने की कार्यवाहियां की हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) और (ख): सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ४२]

डाक सुविधायें

*१६०७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाड़ी छूटने से एक घंटा पूर्व एक आने के विलम्ब-शुल्क बिना चिट्ठियों को डाक में छोड़ने की सुविधा अब बन्द कर दी गयी है ;

(ख) क्या यह सच है कि शाम के ६ या ७ बजे के बाद डाली गयी वे चिट्ठियां जिन में विलम्ब-शुल्क का टिकट नहीं लगा होता, रात को किसी गाड़ी से नहीं भेजी जातीं, बल्कि दूसरे ही दिन भेजी जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) यह सुविधा कुछ रेलवे डाक सेवा कार्यालयों से इसलिए वापिस ली गयी हैं कि वहां पर अंतिम समय पर बड़ी भीड़ हो जाती थी और कर्मचारियों को गाड़ियों में भेजने के लिए चिट्ठियों के छांटने में कठिनाई होती थी ।

(ख) जी हां, पर बहुधा ऐसे अधिकांश मामलों में डाक ले जाने वाली अगली गाड़ी दूसरे दिन हीं मिलती है ; और

(ग) विलम्ब से चिट्ठियों के छोड़ने की सुविधा देने से, जनता, विशेष रूप से व्यापारी लोग ,अधिकतर अपनी चिट्ठियां। चिट्ठियों के भेजने के ठीक समय पर ही भेजा करते हैं इस से चिट्ठियां छांटने वालों को चिट्ठी ले जाने वाली गाड़ियों के समय तक काम करने में बड़ी कठिनाई होती है और उन की कार्यकुशलता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है ।

पूर्वी बंगाल के विस्थापित को प्रशिक्षण

*१६०८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले केन्द्रों में पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को प्रशिक्षण सुविधायें देने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा में इस मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों में पूर्वी पाकिस्तान के १,७२५ विस्थापितों को दस्तकारी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था के लिये कार्यवाही की जा चुकी है । इंजीनियरिंग भवन निर्माण और कुटीर उद्योगों के व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है । शर्तें

अन्य प्रशिक्षणार्थियों की ही भांति हैं, पर ऐसे सभी प्रशिक्षणार्थियों को ३० रुपये प्रति-मास की बढ़ी हुई दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इस के अतिरिक्त, १,००० विस्थापितों को औद्योगिक कारखानों में शिशु प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान की गयी हैं।

निरीक्षकों की परीक्षायें

*१६०९. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, १९५२ के निरीक्षकों की परीक्षा के नीचे स्तर के अधीन चुने गये उम्मीदवारों के नामों को अनुमोदित सूची से हटाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता उपनगरीय लाइनों पर बिजली लगाना

*१६१०. **श्री गिडवानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उपनगरीय लाइनों पर बिजली लगाने की परियोजना को हाथ में लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक समाप्त हो जायेगी ;

(ग) क्या कोई पदाधिकारी ब्रिटेन अथवा यूरोप में विद्युत् से गाड़ी चलाने की आधुनिकतम पद्धति के अध्ययन के लिये भेजे गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). बन्देल तथा तारकेश्वर हो कर, हावड़ा से बर्दवान खंड में बिजली लगाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य हाथ में लिया जा रहा है। यह आशा की जाती है कि इस खंड का विद्युतिकरण १९५७ तक समाप्त हो जायेगा।

(ग) जी हां। दो पदाधिकारियों को छै सप्ताह की अध्ययन यात्रा पर भेजा गया है।

स्नातकोत्तर डाक्टरी परिषद्

*१६११. **श्री एस० एन० दास** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या एक संविहित स्नातकोत्तर डाक्टरी परिषद् बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय डाक्टरी परिषद् ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस का किस आधार पर विरोध किया गया है ; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या अन्तिम निश्चय किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) अभी नहीं।

(ख) सरकार को पता नहीं है कि इस पूरी परिषद् ने क्या प्रतिक्रिया की, किन्तु उस के अध्यक्ष ने इस योजना का विरोध किया है।

(ग) भारतीय डाक्टरी परिषद् के अध्यक्ष ने सरकार के प्रस्तावों का इस आधार पर विरोध किया कि अन्य बातों के साथ-साथ परिषद् पहिले से ही स्नातकोत्तर डाक्टरी शिक्षा का कुछ कार्य कर ही है, अतः उस को ही यह कार्य करने दिया जाय

और यह भी कि एक पृथक स्नातकोत्तर डाक्टरी शिक्षा की संविहित परिषद् खोलने का कोई कारण नहीं है ।

(घ) इस समय तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

दामोदर घाटी निगम भूमि अधिरक्षण गवेषणा केन्द्र

*१६१२. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री इब्राहीम :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमि अधिरक्षण बोर्ड, डी० वी० सी० के भूमि अधिरक्षण गवेषणा केन्द्रों को आर्थिक सहायता देने को सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी आर्थिक सहायता दी जायेगी ;

(ग) उन विशेष योजनाओं की रूप-रेखा क्या है जिन के लिये यह सहायता दी जा रही है ; और

(घ) क्या ऐसी योजनाओं के लिये केन्द्रीय अधिरक्षण बोर्ड के समर्थन की आवश्यकता होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) भूमि अधिरक्षण बोर्ड ने हजारी बाग के गवेषणा प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन केन्द्र हजारीबाग को ५०:५० के आधार पर सहायता देने का निश्चय कर लिया है ।

(ग) यह योजना भूमि-अधिरक्षण के तरीकों में गवेषणा, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण से सम्बन्ध रखती है ।

(घ) जी हां ।

समुद्र तथा रेल परिवहन का समायोजन

*१६१३. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २० नवम्बर, १९५४ को नौका स्वामियों की परामर्शदात्री समिति में समुद्रीय तथा रेल परिवहन के समायोजन के सम्बन्ध में किये गये निश्चय का स्वरूप क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : यह निश्चय किया गया कि सरकार इस मामले पर भारतीय तटीय सम्मेलन के परामर्श से, अग्रेत्तर विचार करेगी ।

अंशदान की स्वास्थ्य सेवा योजना

*१६१४. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अंशदान की स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन अस्पतालों तथा दवाखानों में औसतन कितने रोगी आते हैं ;

(ख) कितने कर्मचारी इस योजना में सम्मिलित हुए हैं ; और

(ग) सरकार ने इस योजना के सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायतों तथा अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण पसभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिए **परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३**]

(ख) ५०,८९९ ।

(ग) सभी शिकायतों तथा अभ्यावेदनों पर उचित-विचार किया जाता है । अन्य बातों के अतिरिक्त डाक्टरों की संख्या बढ़ा दी गई है । चार स्थायी तथा तीन चलते फिरते दवाखाने स्वीकृत किये गये हैं ।

विशेष दवाओं की खरीद के लिये राशि बढ़ा दी गई है तथा एक मंत्रणा दात्री समिति बना ली गई है ।

कंके मानसिक चिकित्सालय

*१६१५. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री देवगम :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कंके मानसिक चिकित्सालय रांची (बिहार) में टिकट शुल्क देने पर प्रवेश की आज्ञा दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो कितना शुल्क लिया जाता है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार से कोई विरोध प्रगट किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) जी नहीं ।

'(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उत्पन्न होते ।

सड़कों के लिये अनुदान

*१६१६. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में बिहार राज्य को गांवों तक पहुंचने वाली सड़कें बनाने के लिये कितना ऐसा अनुदान और ऋण दिया गया है जिस का उपयोग नहीं किया गया है ; और

(ख) क्या बिहार सरकार ने पूरी राशि का उपयोग न किये जाने के कोई कारण बताये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाह नवाज खां) : (क) केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) संभाग के दिये गये १ लाख रुपये के अनुदान का उपयोग नहीं किया गया है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

पशु वन्ध्यता योजना

*१६१७. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि समन्वित पशुवन्ध्यता योजना के अन्तर्गत छै प्रादेशिक केन्द्र और एक केन्द्रीय स्टेशन स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन से स्थान हैं जहां ये प्रादेशिक केन्द्र स्थित हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां, किन्तु ये केन्द्र अगस्त १९५५ के लगभग कार्य करना प्रारम्भ करेंगे, जब कि इस उद्देश्य के लिये नियुक्त किया गया वन्ध्यता पदाधिकारी स्वीडन से प्रशिक्षण प्राप्त कर वापस लौटेगा ।

(ख) पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु-पालन विद्यालय इन स्थानों में हैं :

बंबई, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल), हिसार (पंजाब), मद्रास, मथुरा (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार) ।

धान की खेती का यन्त्रीकरण

*१६१८. **श्री संगण्णा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में धान की खेती का यन्त्रीकरण करने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या इस कार्य के लिये विलियम जैक्स कंपनी के ओलिवर ओसी-३ कॉलर ट्रैक्टर्स काम में लाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम हुये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

जूमिया लोगों का पुनर्वास

*१६१९. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २७ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७४९ के उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के बेलोना उपविभाग में जूमिया लोगों के पुनर्वास कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या ऐसा पुनर्वास कार्य त्रिपुरा के अन्य स्थानों में भी किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४४].

(ख) और (ग). हां । राज्य के सभी उपविभागों में जूमिया लोगों को जमीन दी जा रही है ।

घाघरा नदी पर पुल

*१६२०. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या परिवहन मंत्री १३ मई, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २४८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) घाघरा नदी पर दोहरी घाट के पास पॉनटून पुल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) उस के कब तक बन जाने की संभावना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाह नवाज खां) : (क) पॉनटून पुल बनाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से नक्शे और अनुमान मांगे गये हैं और अभी उन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) आशा की जाती है कि पॉनटून पुल अप्रैल, १९५६ तक से पहले तैयार हो जायेगा ।

कलकत्ता होमियोपैथिक कालेज की स्तरोन्नति

*१६२१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री ८ दिसम्बर, १९५३ और १३ मई, १९५४ को पूछे गये क्रमशः तारांकित प्रश्न संख्या ७१३ और अतारांकित प्रश्न संख्या ५५२ के उत्तरों का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) कलकत्ते में वर्तमान होमियोपैथिक कालेजों में से किस एक कालेज की स्तरोन्नति के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा सिफारिश की गयी है ;

(ख) क्या स्तरोन्नति का कार्य प्रारम्भ हो गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उस के कब तक प्रारम्भ किये जाने की संभावना है ; और

(घ) सरकार उस संस्था पर कितना धन खर्च करने का विचार करती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) कलकत्ता होमियोपैथिक मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, कलकत्ता ।

(ख) तथा (ग). कोई अन्तिम निर्णय न किये जाने के कारण स्तरोन्नति का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। अभी इस विषय के बारे में भारत सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ पत्र व्यवहार कर रही है।

(घ) वह अन्तिम निर्णय पर निर्भर होगा।

येमिगनूर बुनकर सहकारी उत्पादन तथा बिक्री समिति

*१६२१-क. **श्री गाडिलिंगन गौड़:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि मद्रास सरकारी समिति अधिनियम की धारा ३८ के अधीन, मई १९५४ में येमिगनूर बुनकर सहकारी उत्पादन तथा बिक्री समिति के कार्यकरण सम्बन्धी मामले की जांच किये जाने के आदेश दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वह जांच की गयी है ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) से (ग). आंध्र सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ढोर और पशु बीमा योजना

*१६२२. **सरदार इकबाल सिंह:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १८ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढोर और पशु बीमा योजना पैप्सू राज्य के सिवा अब किसी दूसरे राज्य में भी शुरू की गयी है ; और

(ख) यदि की गयी है, तो किन किन राज्यों में ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) भारत के किसी भी राज्य ने ढोर बीमा योजना शुरु नहीं की है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

स्थानीय स्वायत्त शासन में प्रशिक्षण

*१६२३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** १६ नवम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थानीय स्वायत्त शासन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अब तक विभिन्न राज्यों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) अन्तिम रूप से उन का चुनाव कब तक होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) एक सौ दो।

(ख) अभी कोई समय नहीं बताया जा सकता है, पर यह बात विचाराधीन है।

पटसन-कर्मचारियों का निकाला जाना

*१६२४. **श्री रामानन्द दास :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महिलाओं के सम्बन्ध में रात में काम करने के लिये रोक लग जाने के कारण पश्चिमी बंगाल की पटसन मिलों में काम करने वाली बहुत सी महिलाओं को निकाला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

त्रावनकोर-कोचीन में नारियल जटा उद्योग

*१६२४-क. **श्री वी० पी० नायर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर-कोचीन में नारियल जटा उद्योग में न्यूनतम मजूरियां लागू किये जाने के कारण मालिकों ने अपने कारखाने बन्द कर दिये हैं, जिस के कारण १ दिसम्बर, १९५४ से २५,००० से अधिक मज़दूर बेकार हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) और (ख). सरकार को पता नहीं है कि न्यूनतम मजूरियां लागू किये जाने के फल-स्वरूप कोई कारखाना बन्द हुआ है । त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने इस उद्योग में न्यूनतम मजूरियां १ दिसम्बर, १९५४ से लागू की थीं, इस पर मालिकों ने राज्य-सरकार से निवेदन किया कि कारखाने अधिसूचित न्यूनतम मजूरियां नहीं दे पायेंगे । त्रावनकोर-कोचीन के श्रम मंत्री द्वारा १४ दिसम्बर, १९५४ को बुलाये गये एक सम्मेलन के बाद इस विषय में रिपोर्ट देने के लिये एक द्विपक्षीय समिति बनाई गई है, जिस का सभापति एक स्वतन्त्र सदस्य है ।

श्रम कल्याण

*१६२५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में श्रम-कल्याण पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : केन्द्रीय क्षेत्र के विषय में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जा रही है ।

टेलीफोन सामग्री का आयात

*१६२६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और कलकत्ता टेलीफोन आत्मगतिक-करण (आटोमेटाई-ज़ेशन) योजना के लिये इंगलैंड की ए० टी० ई० कम्पनी लिमिटेड से कुछ टेलीफ़ोन सामग्री मंगाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे भारतीय सूत्रों से आयात करने की कोई व्यवस्था की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). आत्मगतिक टेलीफ़ोन सामग्री के लिये सभी आर्डर पहले भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड़, बंगलौर को दिये जाते हैं, जो उन वस्तुओं को , जो स्वयं उस कारखाने में नहीं बनाई जाती हैं, इंगलैंड की आत्मगतिक टेलीफोन और इलैक्ट्रिक कम्पनी (ए० टी० ई०) से मंगाता है । इंगलैंड से आयात की गई सामग्री के भेजने की व्यवस्था भारतीय भांडार विभाग, लंदन के महानिदेशक द्वारा की जाती है ।

अभ्रक खानों में बेरोजगारी

*१६२७. **श्री एस० एन० दास** :
श्री राम चन्द्र रेड्डी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) व्यापार में मन्दी आने के कारण देश के विभिन्न भागों में अमुक उद्योग में लगे

हुए कितने मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ख) इन मजदूरों को वैकल्पिक काम देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) (क) लगभग ११,५०० ।

(ख) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि मंत्रणा समिति, आंध्र द्वारा इस प्रश्न पर विचार करने के लिये बनाई गई उपसमिति इस परिणाम पर पहुंची थी कि बहुत बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, और कर्मचारियों को खेती आदि में रोज़गार के वैकल्पिक स्त्रोत उपलब्ध थे । बिहार में राज्य सरकार ने इस बात की जांच करने के लिए एक बेरोज़गारी समिति बनाई है, और उस समिति ने अपनी अन्तरिम सिफारिशें भेज दी हैं, जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

सभी राज्यों में, अभ्रक उद्योग में काम करने वाले मज़दूर प्रायः पड़ोस के गांवों से आते हैं और खेती और अन्य सहायक कार्यों में लगे हुए हैं ।

भू-संरक्षण योजनायें

*१६२८. श्री गिडवानी :
श्री गणपति राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्थान की ओर वाली सीमा के वनीकरण के लिये उस की भू-संरक्षण योजना को मंजूर कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ;

(ग) क्या इस योजना के लिये धन केन्द्रीय सरकार देगी ; और

(घ) यदि हां, तो राज्य को किन शर्तों पर धन दिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां ।

(ख) योजना पर कुल ३५.२ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(ग) केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड ने १२,३०,००० रुपये का एक ऋण पहले ही मंजूर कर दिया है आर्थिक सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(घ) भारत सरकार द्वारा ऋण इन शर्तों पर दिया जायेगा :—

(१) ऋण १५ वार्षिक समान किश्तों में लौटाया जायेगा जो ऋण लेने की तिथि के एक वर्ष बाद देनी होगीं ।

(२) ऋण भारत सरकार द्वारा समय समय पर योजना की कार्यान्विति के आधार पर मंजूर किया जायेगा ।

(३) भारत सरकार, एक विशेष अपवाद स्वरूप, ऋण अवधि के पहले पांच वर्ष में देय ब्याज के बराबर आर्थिक सहायता देगी । यह आर्थिक-सहायता पहले पांच वर्षों - के बाद समाप्त कर दी जायेगी ।

यात्री सुविधायें

*१६२९. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणी के यात्रियों के साथ समानता का व्यवहार करने के लिये रेलवे

में किस प्रकार के सुधार किये जा रहे हैं ; और

(ख) तीसरे दर्जे के यात्रियों को शयन-स्थान रक्षित कराने, स्टेशन के प्लेट-फार्मों पर उच्च श्रेणी के यात्रियों के आने जाने के रास्तों को काम में लाने इत्यादि के सम्बन्ध में क्या सुविधायें दी गई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) जो नये सुधार किये गये हैं वे इस प्रकार हैं :

(१) स्टेशनों पर विभिन्न श्रेणी के यात्रियों के लिये पृथक पृथक प्रवेश तथा बाहर जाने के रास्तों को निर्धारित करने की प्रणाली का समाप्त किया जाना ;

(२) भोजन की गाड़ियों को सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिये खोलना ; और

(३) निश्चित भाड़ा देने पर सभी यात्रियों को स्टेशनों के विश्राम-गृहों की सुविधा देना ।

(ख) आठ गाड़ियों में विशेष स्टेशनों के बीच रात्रि के समय तीसरे दर्जे के यात्रियों को ३ रुपये अतिरिक्त भाड़ा देने पर शयन-स्थान देने का उपबन्ध किया गया है । अन्य दी गई सुविधाओं का उल्लेख प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में किया गया है ।

उड़ीसा में टिड्डी दल

*१६३१. **श्री संगण्णा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक टिड्डी दल हाल ही में बोलनगीर और सम्बलपुर (उड़ीसा) जिलों पर आक्रमण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने टिड्डियों विभीशिका को दूर करने के लिये केन्द्र से कोई सहायता मांगी है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

वैमानिक इंजीनियरिंग विभाग

*१६३२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैमानिक इंजीनियरिंग विभाग का विकास कार्यक्रम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) किये गये कार्य का क्या विवरण है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का 'वैमानिक इंजीनियरिंग विभाग से क्या अभिप्राय है । असैनिक उड्डयन से सम्बद्ध वैमानिक इंजीनियरिंग समस्याओं पर असैनिक उड्डयन विभाग के गवेषणा और विकास संगठन द्वारा विचार किया जाता है । अन्य सभी गवेषणा तथा विकास कार्यों की भांति वैमानिक इंजीनियरिंग का काम भी एक जारी रहने वाला कार्य है और इस कारण विकास कार्यक्रम पूरा करने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है ।

(ग) असैनिक उड्डयन विभाग के गवेषणा तथा विकास संगठन द्वारा किये

गये कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यों को दिखाने वाला एक विवरण मैं पटल पर रखता हूं । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४५].

गोरखपुर श्रम दल डिपो

*१६३३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोरखपुर श्रम दल डिपो के बन्द हो जाने की जांच करने को नियुक्त की गयी समिति के प्रतिवेदन की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) हां ।

(ख) सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

(ग) प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस०—५३३/५४].

अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता योजना

*१६३४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फसल प्रतियोगिता में पुरस्कार देने की कोई नई योजना चलाना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो योजना किस प्रकार होगी ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उच्चतम पुरस्कार की रकम क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां । भारत सरकार ने फसल प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत सामूदायिक पुरस्कार देने की एक योजना स्वीकृत की है ।

(ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४६].

(ग) १०,००० रुपये ।

स्विट्जरलैंड के सार्थ से प्रविधिक सहायता

*१६३५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री इन बातों को दिखलाने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार को स्विट्ज़रलैंड की मेसर्स श्लीरियन सार्थ से किये गये प्रविधिक सहायता समझौते के अन्तर्गत अभी तक कितनी विभिन्न प्रकार की प्रविधिक सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत आंकड़े बताते हुए इस कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ग) अभी तक प्राप्त हुए सर्वधातु के कम भार वाले डिब्बों की कुल संख्या क्या है ; और

(घ) सर्वधातु के कम भार वाले डिब्बे बनाने के लिये एक कारखाना भारत में खोलने की योजना अब किस स्तर पर है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४७].

रुद्र सागर

९२६. **श्री दशरथ देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि क्या त्रिपुरा में सोनामूर के "रुद्र सागर" के लिये कोई पानी निकालने का दरवाजा बनाने की योजना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): हां ।

सड़कों के लिये अनुदान

९२७. **श्री भक्त दर्शन**: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष में सड़कों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को (सड़क वार) कितना अनुदान दिया गया है;

(ख) १९५४-५५ में अब तक प्रत्येक सड़क के लिये कितना अनुदान दिया गया है; और

(ग) किन किन सड़कों का विकास अभी विचाराधीन है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख): अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४८]**।

(ग) धारासू-भटवाड़ी, बद्रीनाथ-नाना दर्रा, गिरगांव-दुंग तथा गरबियांग-लिपुलेख की पगडंडियों को सुधारना ।

दूध का उत्पादन

९२८. **श्री आर० सी० शर्मा**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९५३ में कितने दूध का उत्पादन हुआ;

(ख) तुलनात्मक दृष्टि से वह १९५२ के उत्पादन से कैसा रहा ;

(ग) घी और मक्खन के उत्पादन के लिये अनुमानतः कितने प्रतिशत दूध काम में लाया गया; और

(घ) दूध और घी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये किसानों को क्या सहायता दी जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) क्रमशः ४३·३ प्रतिशत तथा ६.३ प्रतिशत (दूध विक्रय प्रतिवेदन १९५० के अनुसार) ।

(घ) घी तथा दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सीधी सहायता नहीं दी गई है, परन्तु मुख्य ग्राम योजना पशुओं के सुधार के लिये है जिससे उनके दूध के उत्पादन में भी बढ़ौतरी होगी ।

राजस्थान में गौसदन

९२९. **श्री बलवन्त सिंह मेहता**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने गोसदनों के सम्बन्ध में एक योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर गोसदन स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) वे कब खोले जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) जी हां ।

(ख) सवाई माधोपुर ज़िले में इन्दाला तथा डूंगरगढ़ तहसील में बिग्गा ।

(ग) जो प्रस्ताव १८-१२-५४ को प्राप्त हुये उन की जांच की जा रही है। इन गोसदनों को खोलने को तिथि कार्य निश्चय करना राजस्थान सरकार का काम है ।

उदयपुर में डाक और तार विभाग का भवन

९३०. श्री बलवन्त सिंह महता: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर में एक नया डाक घर भवन और कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर्स बनाने का सरकार ने निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी लागत क्या होगी ; और

(ग) वे कब तक तैयार हो जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रस्तावित भवन पर लगभग $1\frac{1}{2}$ लाख रुपये व्यय होगा । नये भवनों के लगभग २ वर्ष में बन कर पूर्ण हो जाने की आशा है ।

रेलवे प्रशिक्षण स्कूल, उदयपुर

९३१. श्री बलवन्त सिंह महता: क्या रेलवे मंत्री ६ सितम्बर १९५४ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या २४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उदयपुर में रेलवे प्रशिक्षण स्कूल के भवन का निर्माण कब तक आरम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अभी तो १९५४-५५ में काम शुरू करने का विचार है ।

नये रेलवे स्टेशन

९३२. श्री लक्ष्मय्या : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५१-५४ में आन्ध्र में गुंतकल्ल तथा बंगलौर के बीच (दार्थाण रेलवे) कोई नवीन रेलवे स्टेशन खोले गये हैं ;

(ख) क्या इस लाइन पर गुत्ताकैम तथा खादरोटा स्टेशनों के बीच एक नये रेलवे स्टेशन के खोले जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५१-५४ में गुंतकल्ल तथा बंगलौर के बीच कोई नया स्टेशन नहीं खोला गया है । परन्तु इस सैक्शन में जंगालपल्लि तथा धर्मावरम स्टेशनों के बीच चिगीचेर्ला हाल्ट इन तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये १-१-५३ को खोला गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

अनन्तपुर ज़िले में सार्वजनिक टेलीफ़ोन दफ्तर

९३३. श्री लक्ष्मय्या : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र राज्य के अनन्तपुर ज़िले के किन नगरों में १९५२-५४ में सार्वजनिक टेलीफ़ोन कॉल-आफ़िस खोले गये हैं;

(ख) सरकार ने किस आधार पर नगरों में सार्वजनिक टेलीफ़ोन कॉल-आफिसों की स्थापना की है; और

(ग) क्या अनन्तपुर ज़िले के दो मुख्य ताल्लुका मुख्य कार्यालयों कल्याणदुर्ग तथा मदकसीरा में, उनके व्यापारिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के दफ्तर खोलने की कोई योजना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) धर्मावरम, कदीरी तथा उर्वाकोंडा ।

(ख) जिस स्थान पर सरकार को इन से कोई हानि नहीं होती है, वहीं के लिये

सार्वजनिक टेलीफ़ोन कॉल-आफ़िस स्वीकृत किये गये हैं। परन्तु कुछ दिन पूर्व ही यह निश्चय किया गया है कि उपविभागीय मुख्य कार्यालयों के लिये प्रस्तावित सार्वजनिक टेलीफ़ोन कॉल-आफ़िसों के मामले में थोड़ी हानि की स्वीकृति दी जा सकती है।

(ग) मदकसीरा के लिये अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। कल्याणदुर्ग सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच की गई थी तथा क्योंकि उससे सरकार को हानि होती तो इस कारण उसे छोड़ दिया गया था।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये वर्दियां

९३४. **डा० सत्यवादी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री १६ नवम्बर, १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५८ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सर्दियों की वर्दियां किस अगली तिथि को मिलनी चाहियें तथा वह कब दी जायेंगी ;

(ख) नियमों के अनुसार वर्दियां दिये जाने के लिये कितनी अवधि निर्धारित है; और

(ग) क्या यह सच है कि कसौली में साधारणतया शरद-ऋतु अक्टूबर में प्रारम्भ हो जाती है तथा इन सर्दियों में मिलने वाली वर्दियां अभी तक नहीं दी गई हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) (क) अक्टूबर, १९५५.

(ख) तीन वर्ष।

(ग) जी हां, केन्द्रीय गवेषणा संस्था के कर्मचारियों को पिछली बार १९५२ में वर्दियां दी गई थीं, इसलिये इन सर्दियों में उन्हें कोई वर्दियां नहीं दी जानी थीं।

बे टिकट यात्रा

९३५. **श्री डाभी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में पश्चिमी रेलवे में बे टिकट यात्रा को रोकने के लिये कितने विशेष अभियान किये गये हैं ;

(ख) उक्त अवधि में बिना टिकट यात्रा करने पर कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया; और

(ग) कितने व्यक्ति दंडित हुये ; और

(घ) कितने व्यक्ति जेल भेजे गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : १.१२०।

(ख) ३०,७६९।

(ग) २९,८५९।

(घ) ७,१२२।

चावल का निर्यात

९३६. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री आर० सी० चौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २७ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१९ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम जिनको चालू वर्ष में भारत से चावल निर्यात किया गया है; और

(ख) प्रतिमन क्या मूल्य लिया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) मारीशस, सिंगापुर, क्वातर, टी० ओमान, इंगलैण्ड, जंज़ीबार, लंका, फ़िजी द्वीप समूह तथा सऊदी अरब।

(ख) चावल के लिये सरकार द्वारा कोई निर्यात मूल्य निश्चित नहीं किया गया

है । व्यापार को खुले बाज़ार से चावल खरीदने और उसे निर्यातकों तथा विदेशों में स्थित आपातकों के मध्य बात-चीत द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों पर निर्यात करने की अनुमति देदी गई है ।

रेलवे दुर्घटना

९३७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्सौल में २ जनवरी, १९५४ को हुई रेल दुर्घटना में आहत व्यक्तियों और मृत व्यक्तियों के सम्बन्धियों को क्षति-पूर्ति देदी गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में दी गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह दावे कब तक तै कर दिये जायेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी तक कोई मआवज़ा नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) मुआवज़ा के दावों पर पदेन दावा-कमिश्नर का फ़ैसला नहीं हुआ है । फ़ैसले के बाद शीघ्र भुगतान किया जायेगा ।

औद्योगिक कामकरों का पारिवाहिक आय-व्ययक

९३८. **श्री केशवैयंगार** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में औद्योगिक कामकरों के पारिवारिक आय-व्ययक के बारे में जांच प्रारम्भ हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या कोई प्रतिवेदन छपा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) तथा (ख) . मैसूर के औद्योगिक कामकरों के पारिवारिक आय-व्ययक के बारे में मैसूर सरकार द्वारा मार्च १९४५ से फ़रवरी १९४६ तक जांच की गई थी ।

(ग) तथा (घ). राज्य सरकारों ने पूरा प्रतिवेदन न छापने का निश्चय किया है, किन्तु देशनांक बनाने की प्रक्रिया एवं उनके क्षेत्र के बारे में एक टिप्पणी प्रकाशित की है । इस टिप्पणी में जांच का महत्वपूर्ण परिणाम भी दिया है ।

बंगलौर नगर रेलवे स्टेशन

९३९. **श्री केशवैयंगार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर नगर रेलवे स्टेशन पर १९५२-५३, १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में अब तक क्या सुधार हुये हैं ;

(ख) इस कार्य के लिये कितना धन नियत किया गया है ; और

(ग) इन वर्षों में क्रमशः कितना कितना व्यय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). मांगी गई जानकारी बताने वाला विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४९].

टेलीफोन के सामान का आयात

९४०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ए० टी० ई० कम्पनी लिमिटेड द्वारा भेजे गये माल की उस के जहाज़ द्वारा भारत को भेजे जाने से पूर्व, इंगलैंड में जांच पड़ताल करने के सम्बन्ध में लोक-लेखा समिति के दसवें प्रति-वेदन के पैरा ६६ में दी गई सिफारिश पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): लोक-लेखा समिति की सिपारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

डाक तथा तार विभाग के लिये अलग मुद्रणालय

९४१. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के लिये अलग मुद्रणालय स्थापित करने के प्रश्न पर, जिस की लोक-लेखा समिति ने अपने दसवें प्रतिवेदन में, सिफारिश की है, कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निश्चय किस प्रकार का है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डाक तथा तार विभाग के लिये अलग मुद्रणालय स्थापित करने के प्रश्न पर अभी विचार नहीं हो रहा है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक का वितरण

९४२. श्री एस० एन० दास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कितने गांव हैं जहां पर नित्य डाक के वितरण की व्यवस्था विद्यमान है और ऐसे गांवों की सर्किलवार संख्या कितनी है ;

(ख) ऐसे कितने गांव हैं जहां सप्ताह में दो, तीन या चार बार डाक का वितरण होता है ; और

(ग) जिन गांवों में आजकल ऐसी व्यवस्था नहीं है, उन में डाक के वितरण को आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५०].

(ग) सभी गांवों में डाक के वितरण की व्यवस्था हो गई है ।

भारतीय टेलीफोन उद्योग

९४३ श्री एस० एन० दास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बंगलौर के भारतीय टेलीफोन उद्योग के कर्मचारियों की मजूरी में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस के बारे में सरकार ने कोई निश्चय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निश्चय होने में कितना समय लगेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज)

(क) भारतीय टेलीफोन उद्योग, लिमिटेड, के संचालक बोर्ड के अधीन, जो कि इस के बारे में निश्चय करने के लिये उपयुक्त हैं, कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं ;

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

रुई उत्पादन

९४४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुई उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर होने का कार्यक्रम जब से प्रारम्भ हुआ है तब से लेकर अब तक उसमें कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने अबतक कुल कितना धन व्यय किया है ;

(ग) भारतवर्ष की आवश्यकता कितनी है; और

(घ) इस मामले में आत्म निर्भर होने में कितना समय लगेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हमारे देश में रुई के उत्पादन में काफ़ी प्रगति हुई है । १९४९-५० में

जब कि हमारा उत्पादन २६.२८ लाख गांठें था, से बढ़ा कर १९५३-५४ में वही ३९.३५ लाख गांठ हो गया है । चालू वर्ष में ४२ लाख गांठों के उत्पादन का अनुमान है जो कि योजना काल १९५५-५६ के लक्ष्य के रूप में निश्चित हुआ है ।

(ख) भारत सरकार ने इन योजनाओं के निमित अब तक ६६ लाख रुपये अनुदान तथा २०५ लाख रुपये ऋण के रूप में स्वीकृत किये हैं । चूंकि लेखा अंतिम रूप से तैयार नहीं हुये हैं अतः व्यय के वास्तविक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

(ग) भारतवर्ष में रुई की कुल मांग ५२ लाख गांठें हैं, जिसमें विदेशी रुई की ७ लाख गांठें भी सम्मिलित हैं ।

(घ) ११/१६ इंच से कम रेशेवाली रुई में तो भारतवर्ष आजकल आत्मनिर्भर है । किन्तु १ १/१६ इंच अथवा उससे अधिक रेशेवाली रुई व्यवसायिक दृष्टि से भारतवर्ष में पैदा नहीं होती इसलिये विदेशों से इसका आयात किया जाता है । भारतवर्ष में सूती कपड़ा उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये इस प्रकार की रुई के उत्पादन की समस्या दीर्घकालीन है । इस प्रकार की रुई के उत्पादन के प्रयत्नों में कुछ सफलता मिली है ।

अन्तर्राष्ट्रीय होटल संथा

९४५. **श्री एस० एन० दास** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय होटल सन्था की कार्यवाही से कोई सम्बन्ध है;

(ख) यदि हां, तो वह सन्था किस प्रकार की है और उसके आभार एवं लाभ क्या हैं;

(ग) क्या भारतवर्ष में उस सन्था का कोई सम्मेलन बुलाये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें कैसे–वित्तीय एंव अन्य प्रकार से भाग लिया जायगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां, फरवरी १९५५ में ।

(घ) अखिल भारतीय होटल सन्या ने, जो प्रतिनिधियों के लिये आतिथेय का कार्य करेगी, सम्मेलन सम्बन्धी प्रबन्ध किये हैं । सम्मेलन में होने वाले व्यय की आंशिक पूर्ति के लिये सन्था ने जो २५ हज़ार रुपये की प्रार्थना की है, वह विचाराधीन है ।

बाल श्रम

९४६. **श्री गिडवानी** :
श्री तुषार चटर्जी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल श्रम सेवा-नियोजन सम्बन्धी प्रतिबन्धों का पालन बहुत से कारखानों, कुटीर उद्योगों और बागानों में नहीं किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : जी हां । राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिवेदनों और "भारत में बाल श्रम" पर श्रम विभाग (लेबर बीरो) के संचालक द्वारा हाल में प्रकाशित किये गये प्रतिवेदन से प्रकट होता है कि कारखाना अधिनियम, १९४८ तथा बाल रोज़गार अधिनियम, १९३८ द्वारा बालकों को काम पर लगाने पर जो प्रतिबन्ध लगाये हैं, उन का पालन पूर्ण रूप से नहीं

हो रहा है । बागान श्रम अधिनियम, १९५१ केवल १ अप्रैल, १९५४ से कार्यान्वित हुआ है । अतः इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि इस का पालन पूर्णरूप से हो रहा है या नहीं ।

(ख) बीड़ी के कारखानों में बालकों को कार्य पर लगाने के बारे में सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं । अन्य उद्योगों के बारे में उन को और पत्र लिखने का उन का विचार है ।

तार विभाग के डिवीजनल इंजीनियर

९४७. श्री आर० एन० एस० देव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी क्षेत्र (सर्किल) में कितने मील लम्बी तार की लाइन के लिये तार विभाग के डिवीजनल (उपक्षेत्रीय) इंजीनियर की नियुक्ति आवश्यक समझी जाती है ;

(ख) क्या उड़ीसा क्षेत्र के लिये किसी सब-डिवीजनल अधिकारी या क्षेत्रीय इंजीनियर का नया पद बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां , तो कब ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जिन कारणों से किसी तार इंजीनियरिंग क्षेत्र की स्थापना की पुष्टि की जाती है वे जटिल हैं, अतः प्रत्येक मामले का, उस के गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया जाता है ।

(ख) तथा (ग). कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं और हाल में ही कोई निश्चय किया जायेगा ।

तार व टेलीफोन लाइन

९४८. श्री आर० एन० एस० देव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झरसूमुडा तथा सम्बलपुर जिलों में तार तथा टेलीफोन वाहक कंकशन लाइनों की लम्बाई कितने मील है, और वे किस क्षेत्र की है; और

(ख) वे नई तार तथा टेलीफोन की लाइनें कितने मील लम्बी होंगी जिन्हें उड़ीसा में लगाने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) (१) ३४०.५७ ।

(२) मध्य क्षेत्र में : ९४.५७ मील ।
बिहार क्षेत्र में : २४६ मील ।

(ख) निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर कोई विशेष निर्माण करने का विचार नहीं है ।

रेलवे कर्मचारी

९४९. श्री गणपति राम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में रेलवे अधिकारियों ने भी सुमेर राम, चौकीदार, संख्या ७६९७ की मृत्यु , जो १३ जुलाई १९५४ को हुई थी, के बारे में एक सरकारी जांच की है : और

(ख) यदि हां, तो उस पर किस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, २४ जुलाई, १९५४ को एक कनिष्ठ अधिकारी जांच की गई थी ।

(ख) क्योंकि पुलिस स्वतन्त्र रूप से जांच कर रही है, इसलिये अन्तिम निश्चय करने के पूर्व उन के कार्य की समाप्ति की प्रतीक्षा करना उचित होगा ।

यात्री की सुविधायें

९५०. श्री भीखाभाई : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तृतीय तथा माध्यम श्रेणी के यात्रियों के लिए,

दिल्ली से उदयपुर सीधी जाने वाली गाड़ी में एक और डिब्बा बढ़ाकर, अधिक स्थान की व्यवस्था करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कबी कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान्, क्योंकि सीधे जाने वाले अधिक डिब्बों के लिए कोई यातायात औचित्य नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में नई रेलवे लाइनें

९५१. श्री आर० बी० एस० देव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, बेकार व्यक्तियों को सहायता कार्य देने की दृष्टि से, उड़ीसा में इस वर्ष नई रेलवे लाइनें बनाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या वह क्या कार्यवाही करेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान्। चालू वित्तीय वर्ष में या १९५५-५६ के आरम्भ में एक नई लाइन बनाने का कार्य आरम्भ करने के लिए समस्त सम्भाव्य कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

भर्ती

९५२. श्री एन० राचय्या : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत छः मासों में मैसूर स्थित रेलवे कारखाने में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए २०० व्यक्तिं भर्ती किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन में अनुसूचित जातियों के कितने अभ्यर्थी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). इस प्रकार भर्ती किये गये १९९ व्यक्तियों में ३१ अनुसूचित जातियों के हैं ।

समुद्रपार संचार सेवाओं से राजस्व

९५३. श्री के० सी० सोधिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में (१) प्रैस और (२) साधारण जनता से समुद्रपार संचार सेवाओं के खाते कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ; और

(ख) कुल राजस्व में इन दोनों में से प्रत्येक की प्रतिशतता कितनी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५१].

रेलवे सेवा आयोग

९५४. सरदार हुक्म सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सेवा आयोग का दफ्तर इलाहाबाद में एक नई इमारत में स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन से वार्षिक किराये मे कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) क्या इस नई इमारत के दो तिहाई भाग का उपयोग उच्च कर्मचारी निवास-स्थान के रूप में कर रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री) अलगेशन) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) नगरपालिका कर सहित नई इमारत का वार्षिक किराया १३,३७६ रुपये

५ आने है । जिस में से उस इमारत में रह रहे अफसरों अथा अन्य कर्मचारियों से ४,८४८ रुपया वार्षिक किराये के रूप में लिया जाता है । पहले की इमारत की अपेक्षा रेलवे राजस्व से इस का जो शुद्ध किराया दिया जाता है वह वास्तव में पिछली इमारत के किराये से ७८ रुपये ५ आने वार्षिक कम है ।

(ग) नहीं ।

रेलवे कर्मचारी

१५५. **श्री आई० ईयाचरण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्टूबर, १९५४ तक इंटीग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बुर में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये ;

(ख) उन में प्रविधिक और अप्रविधिक कर्मचारियों की क्रमशः संख्या क्या है ; और

(ग) उक्त काल में प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों के कितने अभ्यर्थी भर्ती किये गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल्गेशन) : (क) श्रेणी ३—१२६ ।

श्रेणी ४—२६६ ।

(ख)

	प्रविधिक	अप्रविधिक
श्रेणी ३	५४	७२
श्रेणी ४	२१८	४८

(ग)

श्रेणी ३	३	३
श्रेणी ४	२७	७

केन्द्रीय नस्ली सांड फार्म

१५६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगलौर में एक केन्द्रीय नस्ली सांड फार्म स्थापित करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो इस फार्म के कब स्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस के संस्थापन में कितना व्यय होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० एम० जैन) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

चिकित्सा-इतिहास की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस

१५७. **श्री रनदमन सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि निमंत्रण प्राप्त हुआ था तथापि हाल ही में रोम में समवेत हुए चिकित्सा-इतिहास की अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में कोई सरकारी या गैर-सरकारी प्रतिनिधि नहीं भेजा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) हां ।

(ख) मुख्यतः मितव्ययता के विचार से भारत सरकार ने इस कांग्रेस में कोई प्रतिनिधि भेजना आवश्यक नहीं समझा ।

लम्बे रेशे की रुई

९५८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में लम्बे रेशे की रूई की कौन सी किस्में पैदा की जाती हैं ।

(ख) प्रत्येक किस्म की पैदावार का वार्षिक परिणाम कितना है ; और

(ग) ऐसी रूई के प्रत्येक किस्म के रेशे की क्या लम्बाई होती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५२].

पशुओं पर कर

९५९. **श्री दशरथ देव**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा स्थित सबरूम के निवासियों का पशुओं पर लगाये गये कर के रद्द न किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) इस विषय पर राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) यह विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

भूतपूर्व एअर इंडिया लिमिटेड के भूतपूर्व कर्मचारी

९६०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) भूतपूर्व एअर इंडिया लिमिटेड और (२) अन्य हवाई कम्पनियों के भूतपूर्व कर्मचारियों के अभ्यावेदन की जांच करने वाले माननीय न्यायाधीश श्री डब्ल्यू० आर० पुराणिक की उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ख) भूतपूर्व कर्मचारियों के जिन अभ्यावेदनों की जांच माननीय न्यायाधीश द्वारा की गयी है और जिन के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय सुना दिये गये हैं, उन को प्राप्त करने में कुल कितना व्यय हुआ था ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास अभी कितने अभ्यावेदन अनिर्णीत पड़े हुए हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) श्री पुराणिक को, एयर कारपोरेशन अधिनियम, १९५३ की धारा २० (२) के अंतर्गत प्राप्त प्रतिनिधानों के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिये नियुक्त किया गया था । इन प्रतिनिधानों के सम्बन्ध में उन्होंने सरकार को जो परामर्श दिया उसे बताना साधारणतः वांछनीय नहीं है । फिर भी मैं अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण पटल पर रखता हूं । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५३].

(ख) अनुमानतः ६,९२७ रुपये ।

(ग) सभी प्रतिनिधानों के सम्बन्ध में निर्णय किया जा चुका है ।

नई रेलवे लाइनें

९६१. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें खोले जाने

के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने उन कथित प्रस्तावों में भंडारा नगर को भी सम्मिलित किया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). हां, श्रीमान् ।

यात्री सुविधायें

९६२. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में पूर्वी रेलवे पर यात्री-सुविधाओं के लिये कितनी रकम आवंटित की गई है ;

(ख) इन तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में वास्तव में कितना धन व्यय किया गया ; और,

(ग) इन तीन वर्षों में से प्रत्येक वष नये स्टेशन बनाने या पुराने स्टेशनों का नवीकरण करने में कितना धन व्यय हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क) १९५२-५३—४९.७७ लाख रुपये ।
१९५३-५४—६०.०० ,, ,,
१९५४-५५—५६.३८ ,, ,,

(ख) १९५२-५३—५८.७९ लाख रुपये
१९५३-५४—५४.३९ लाख रुपये
१९५४-५५—अभी प्राप्त नहीं है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही पटल पर रख दी जायेगी ।

यात्री सुविधायें

९६३. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में स्वीकृत किये गये पूर्वी रेलवे के प्लेटफार्मों पर छतें डालने के काम में अभी तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) १९५२-५३ में जिन प्लेटफार्मों पर छतें डालने की स्वीकृति दी गई थी उन में से कितने स्टेशनों पर यह काम पूरा हो गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जिन ५२ स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर १९५३-५४ में छतें डालने की स्वीकृति दी गई थी, उन में से सात पर तो उसी वर्ष काम पूरा हो गया था और १९५४-५५ में अभी तक १५ स्टेशनों पर काम पूरा हो गया है। शेष ३० स्टेशनों में से १५ स्टेशनों पर छतें डालने का काम जारी है। सामान की कमी के कारण शेष १५ स्टेशनों पर अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

(ख) २३ ।

सिंगरेनी कोलरीज (कम्पनी)

९६४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या श्रम मंत्री १० मई, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २,३६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कालरीज़ कम्पनी द्वारा १९५४ में अब तक बनाये गये मकानों की संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या उस ने १९५५ में मकान बनाने की कोई योजना प्रस्तुत की है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई): (क) ५० ।

(ख) नहीं ।

केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठन

९६५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या श्रम मंत्री १७ मार्च, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५४ को चार केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों में से प्रत्येक की कुल सदस्य संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या किसी संगठन में चारों संगठनों के प्रतिनिधिक तत्व को जानने के लिये जिस ढंग से सम्पूर्ण जांच की गई थी उस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति की है ; और

(ग) सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई): (क) जैसा कि दोनों संगठनों ने बताया है ३१ मार्च, १९५४ को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सदस्य संख्या क्रमशः १३, ६४, ४२४ और ४,३५,३६४ है । अनेक अनुस्मारकों के पश्चात भी हिन्द मजदूर सभा तथा आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक दो संगठनों ने सूचना नहीं भेजी है ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रेलवे प्रशासन

९६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति मास दो हजार और उस से अधिक रुपये वेतन पाने वाले रेलवे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और प्रतिवर्ष उन के वेतन पर कितना व्यय किया जाता है ;

(ख) क्या भारतीय रेलवे में पुनः वर्गीकरण के उपरान्त क्या उन की संख्या बढ़ गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) ३०-९-५४ को ७५ थे । अनुमानतः २२,८५,००० रुपये ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

समुद्रतटीय संस्थापन

९६७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कहीं भी समुद्रतटीय संस्थापन स्थापित करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस की अनुमानतः लागत क्या होगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य का आशय व्यापारिक जल-पोत नौमटों के प्रशिक्षण के लिये एक समुद्र-तटीय संस्थापन से है ।यदि ऐसा है, तो सौराष्ट्र राज्य में स्थित नवलखी के स्थान पर एक केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है । प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किया गया है और आशा की जाती है कि उक्त संस्थापन शीघ्र ही कार्यारम्भ करने लगेगा ।

(ग) अनावर्तक १,४८,०४० रुपये; और आवर्तक २,५८,१५ पये प्रति वर्ष ।

बामन्या स्टेशन

९६८. **श्री डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के बामन्या रेलवे स्टेशन पर एक मालगोदाम बनाने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस को बनाने का काम कब तक आरम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

मेघनगर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

९६९. **श्री डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे पर रतलाम और दोहद के बीच स्थित मेघनगर रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरी पुल बनाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस को बनाने का काम कब तक आरम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

बामन्या रेलवे स्टेशन

९७०. **श्री डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे के बामन्या रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को बढ़ाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य के आरम्भ होने की कब तक आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

डाक तथा तार विभाग के लिपिक कर्मचारी

९७१. **श्री राम दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में तृतीय श्रेणी के डाक कर्मचारियों के कार्य करने के प्रति-दिन कितने घंटे निश्चित हैं ; और

(ख) इन कार्य घंटों के बीच कितने समय का अवकाश दिया जाता है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) (१) लगातार कार्य करने वाले ८ घंटे प्रतिदिन ।

(२) पारी से कार्य करने वाले—

जिन को गृह दिया हुआ है ८ घंटे

जिन को गृह नहीं दिया हुआ है ७ घंटे

(ख) लगातार कार्य करने वालों को आधा घंटा

पारी से कार्य करने वालों को १५ मिनट

गोसाईं नौगाम (बरहामपुर) में रेलवे पुल

९७२. **श्री बी० सी० दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरहामपुर (उड़ीसा) की नगरपालिका ने रेलवे बोर्ड से गोसाईं नौगाम (बरहामपुर) के रेलवे फाटक के समीप एक नीचे का पुल बनाने की प्रार्थना की है जिस से कि इस फाटक से माल गोदाम तथा मिलों को जाने वाले यातायात को सुविधा मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां। राज्य सरकार के द्वारा एक प्रतिनिधिान प्राप्त हुआ था ?

(ख) इस कार्य में होने वाले अनुमानित मूल्य की सूचना उड़ीसा सरकार को दे दी गई है तथा इस कार्य के लिये एक ,स्थायी स्थान छांट भी लिया गया है। उस सम्बन्ध में राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त होने पर, ब्यौरेवार प्राक्कलन तैयार किया जायेगा तथा स्वीकृति के लिये उस को प्रस्तुत किया जायगा।

भारत में यक्ष्मा के रोगी

९७३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस समय भारत में अनुमानतः कितने व्यक्ति यक्ष्मा रोग से पीड़ित हैं ;

(ख) क्या १९५२ से इस रोग के आपात में वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(घ) उन क्षेत्रों के नाम जिन में यक्ष्मा का आपात अधिकतम है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राज कुमारी अमृतकौर): (क) लगभग २५० लाख।

(ख) यक्ष्मा से होने वाली मृत्युओं तथा उस से पीड़ित व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक आंकडे तथा विश्वसनीय संख्या प्राप्त नहीं है। परन्तु प्रतिवेदनों की जांच करने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में यक्ष्मा का आपात वृद्धि पर है।

(ग) इस रोग के आपात में वृद्धि होने के कुछ मुख्य कारण यह हैं :—

(१) रहन सहन का निम्न स्तर।

(२) अपर्याप्त तथा अनुपयुक्त गृह-व्यवस्था।

(३) विशेषतः विभाजन के पश्चात् की दशाओं के कारण नगरीय क्षेत्रों में भीड़ भाड़।

(४) देहातों की जनता का नगरीय क्षेत्रों को जिन में पहले से ही अधिक भीड़ भाड़ है, आने की इच्छा में उत्तरोत्तर वृद्धि।

(५) अस्वास्थ्य कर दशाओं तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों की जानकारी न होना। जिन के कारण न केवल यक्ष्मा फैलता ही है बल्कि यक्ष्मा नियंत्रक उपायों को पूर्णतया तथा प्रभावी रूप से, कार्यरूप में परिणत करने में रुकावट पड़ती है।

(६) देश में बी० सी० जी० वैक्सीनेशन आन्दोलन के सम्बन्ध में की गई टयूबर कुलिन जांच के परिणामों से ज्ञात हुआ है कि यक्ष्मा का रोग बहुत अधिक फैला हुआ है, और सम्पूर्ण देश में समान रूप से ही फैला हुआ है। भीड़-भाड़ वाले तथा औद्योगिक क्षेत्र में निश्चिय ही इस की वृद्धि के लिये उपयुक्त है।

कोयले का क्रय

९७४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी निजी खपत के लिये कोयला खरीदने में रेलवे किस प्रणाली को अपनाती है ; और

(ख) इस कार्य के लिये किन कोयला खानों को वरीयता दी जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). रेलों की अनुमानित आवश्यकता के आधार पर उप-कोयला आयुक्त (उत्पादन) तथा मुख्य

खान इंजीनियर रेलवे के परामर्श से लोको के इस्तेमाल के लिये साधारणतः ६ मास की अवधि के लिये कोयले के संभरण का कार्यक्रम बना लेते हैं। कार्यक्रम बनाते समय, रेलवे आवश्यकता को रेलवे की कोयला खानों (अब राज्य की खानों) से निकलने ाले अनुमानि कोयले से ही पूरा किया जाता है तथा रेलवे की शेष आवश्यकता को दूसरी श्रेणी के कोयले का उत्पादन करने वाली में कोयले की अन्य बाजारू खानों में जिनमें से १,००० टन अथवा दस से अधिक का मासिक उत्पादन होता है, आवंटित कर दिया जाता है। आधारभूत योजना बनाने में किसी विशेष वरीयता का ध्यान नहीं रखा जाता है तथा जो भी कोयले की खानें लोको कोयला योजना में भाग लेने वाली शर्तों को पूरा करती हैं उनको योजना के अन्तर्गत जिस सीमा तक वह अधिकारी होती हैं स्वीकार कर लिया जाता है।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन

९७५ { **श्री ए० के० गोपालन** :
श्री पुन्नूस :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने सेवा तथा एकीकरण समिति पर कितना धन व्यय किया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : सेवा सम्बन्धी समिति २८,७७४ रु० ११आ० एकीकरण समिति कुछ भी नहीं।

भूतपूर्व एयर-इंडिया लिमिटेड के भूतपूर्व कर्मचारी

९७६. **श्री टी० बी० विटठल राव** : क्या संचार मंत्री सभा पटल पर यह रखने की कृपा करेंगे :

(क) एक विवरण जिस में भूतपूर्व एयर इंडिया लिमिटेड के उन भूतपूर्व कर्मचारियों के नाम हों जिन्होंने संचार मंत्रालय द्वारा जारी किये गये १६ सितम्बर, १९५३ के प्रेस नोट के अनुसार अपने व्यक्तिगत प्रतिनिधान किये थे ; और

(ख) एक विवरण जिसमें भूतपूर्व कर्मचारियों के नाम हों जिन के सम्बन्ध में माननीय न्यायाधीश डब्ल्यु० आर० पुराणिक ने, जिन्होंने उनकी पुनः नियुक्ति के सम्बन्ध में जांच की थी, वापस ले लिये जाने की सिफारिश की थी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). एयर कारपोरेशन अधिनियम, १९५३ की धारा २० (२) के अन्तर्गत प्राप्त हुये प्रतिनिधानों के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिये श्री पुराणिक को नियुक्त किया गया था। इन प्रतिनिधानों के सम्बन्ध में उन्होंने सरकार को जो परामर्श दिया है उसे बताना साधारण तथा वांछनीय नहीं है। फिर भी मैं अपेक्षित सूचना देने वाले दो विवरण पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ६,, अनुबन्ध संख्या ५४**]

विस्थापित सरकारी कर्मचारी

९७७. **श्री रामजी वर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओ० टी० रेलवे (अब एन० ई० रेलवे) ने कुछ विस्थापित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पहले उसके द्वारा सेवायुक्त किये जाने के पश्चात गृह-कार्य मंत्रालय को उनके लिये वैकल्पिक नियुक्तियों का उपबन्ध करने की सूचना दिये बिना ही अपनी आवश्यकता से अधिक घोषित कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह कर्मचारी प्रतिभूति के अनुसार, वैदेशिक

कार्य मंत्रालय का उत्तरदायित्व थे; और

(ग) यदि हां, तो वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा उनके लिये अतिरिक्त पदों का न किये जाने की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). उत्तर-पूर्वी रेलवे के प्रशासन को वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के विरुद्ध प्रारम्भ में सेवायुक्त किये गये तथा अब अतिरिक्त घोषित किये गये विस्थापित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना नहीं है।

लोक-सभा

वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/72

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५४

(६ दिसम्बर से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 2/7/83
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खंड ९ में अंक १६ से अंक ३२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

खंड ९—अंक १६–३२ ६ से २४ दिसम्बर, १९५४.

अंक १६—सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४.

	स्तम्भ
श्री गिरजा शंकर बाजपेयी की मृत्यु	१२०५–०६
स्थगन प्रस्ताव —	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	१२०७–१२
राज्य-सभा से सन्देश	—
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	१२१३–१४
याचिका प्राप्त	१२१४
ारांकित प्रश्न संख्या १४६८ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि .	१२१४–१५
भा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित समिति—	
छठा प्रतिवेदन—स्वीकृत	१२१५–१६
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	१२१६–८६
खंड ६६ से ८०	१२१८–२७
खंड ८१ से ८८	१२२७–५७
खंड ८९ से ९६ और ९८ से १०२ . . .	१२५७–८६

अंक १७—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४.

भा का कार्य—	
सत्र के शेष भाग के लिये सरकारी कार्य का क्रम . . .	१२८७–८८
ण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . . .	१२८४–१३८७
खण्ड २२	१२८८–१२९६
खण्ड ८९ से १०२ (खण्ड ९७ को छोड़ कर) और नया खण्ड ९३ क	
खण्ड १०३ से ११३ और ११५, ११६ और अनुसूची, नया	
खण्ड ११५क, खंड १ और २ . . .	१२९६–१३७६
संशोधित रूप में पारित होने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	१३७६–७८

अंक १८—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी सांख्यकीय विवरण . .	१३७९–८
विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणायें .	१३८०–८
पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन	१३८
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
याचिका उपस्थापित	१३८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१३८१
तुर्की की महान राष्ट्र-सभा के प्रधान से प्राप्त सन्देश . . .	१३८२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संशोधितरूप में पारित	१३८२–१४३१
श्री एम० ए० अय्यंगार	१३८३–८६
श्री ए० एम० थामस	१३८६–९२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१३९२–९७
श्री एस० एस० मोरे	१३९७–९८
श्री दातार	१३९९–१४०७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४०७–१३
श्री एन० सी० चटर्जी	१४१३–१५
श्री आर० डी० मिश्र	१४१५–२१
डा० काटजू	१४२३–३१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति में सदस्यों के नामनिर्देशित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	१४३१–८८
श्री पाटस्कर	१४३१–४०
श्री वी० जी० देशपांडे	१४४०–४८
श्री टेक चन्द	१४४८–५२
श्री बी० सी० दास	१४५२–५६
श्रीमती जयश्री	१४५६–५७
श्री डी० सी० शर्मा	१४५७–५८

अंक १९—बृहस्पतिवार, ९ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण और एक भारतीय ग्रामीण का अपहरण . . .	१४५९–६०
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक	१४६०–६१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति के लिये सदस्य नाम-निर्देशित करने का प्रस्ताव .	१४६१–१५१
श्री डी० सी० शर्मा	१४६१–६

	स्तम्भ
श्रीमती सुचेता कृपलानी	१४६३–६६
श्री एन० सी० चटर्जी	१४६६–७२
श्री बोगावत	१४७२–७६
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४७६–६८
श्री पी० सुब्बा राव	१४६२–६७
श्रीमती उमा नेहरू	१४६७–१५००
सरदार इकबाल सिंह	१५००–०२
श्री पाटस्कर	१५०२–१४
निवारक निरोध (संशोधन विधेयक)—	
विचार प्रस्ताव—असमाप्त	१५१६–४६
डा० काटजू	१५१६–४२
श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी	१५४२–४६

अंक २०—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखा गया पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . .	१५४७
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५४७–८६
श्री ए० के० गोपालन	१५४८–५७
श्री जी० एच० देशपांडे	१५५७–६१
श्री वीरस्वामी	१५६१–६३
श्री अशोक मेहता	१५६३–६६
श्री एम० पी० मिश्र	१५६६–७६
श्री वी० जी० देशपांडे	१५७६–८५
श्री टेक चन्द	१५८५–८७
श्री एन० एम० लिंगम	१५८७–८६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५८६
सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५६०
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १०६क का रखा जाना)—	
पुरःस्थापित	१५६१
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा १४२क का रखा जाना)—पुरःस्थापित	१५६१
वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	१५६१–१६०४
श्री डाभी	१५६१–६२
डा० पी० एस० देशमुख	१५६२–१६०४

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक (धारा १ और २६, आदि का संशोधन)—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित	१६०४–१७
श्री यू० सी० पटनायक	१६०४–११
डा० काटजू	१६११–१
श्रीमती इला पालचौधरी	१६१२–१
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१६१३–१
श्री कानावाड़े पाटिल	१६१५–१७
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१६१७–३४
श्रीमती उमा नेहरू	१६१७–१९
श्री पाटस्कर	१६१९–२२
श्रीमती सुषमा सेन	१६२२
श्रीमती जयश्री	१६२२–२३
श्रीमती ए० काले	१६२३
श्रीमती मायदेव	१६२३–२५
श्री केशवैयंगार	१६२५
श्रीमती इला पालचौधरी	१६२५–२६
श्री डी० सी० शर्मा	१६२६–२८
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार	१६२८–३०
श्री धुलेकर	१६३१–३३
विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक (धारा ७७ आदि का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	१६३१

अंक २१—शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१६३५–३८
सभा का कार्य—	
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प के बारे में समय-नियतन	१८३८–३९
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१८३९–१७३
श्री एन० एम० लिंगम	१६३९–४१
श्री एन० सी० चटर्जी	१६४१–४९
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१६४९–५०
श्री केशवैयंगार	१६५०–५२
श्रीमती ए० काले	१६५२–५५

	स्तम्भ
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१६५४–६०
श्री कासलीवाल	१६६०–६२
श्री भागवत झा आज़ाद	१६६२–६६
डा० एन० बी० खरे	१६६६–७६
श्री दातार	१६७७–९०
डा० कृष्णस्वामी	१६९०–९४
श्री चट्टोपाध्याय	१६९४–९७
श्री सी० आर० नरसिंहन	१६९७–९८
श्री मूलचन्द दुबे	१६९८–१७००
पण्डित के० सी० शर्मा	१७००–०२
श्री राघवाचारी	१७०३–०५
कुमारी एनी मैस्करीन	१७०५–०७
श्री आर० सी० शर्मा	१७०७–१४
श्री सारंगधर दास	१७१४–१७
पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१७१७–३२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७३२

अंक २२—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१७३३–३४
न्यूटन चिखली खान में दुर्घटना	१७३५–३८
आंध्र में निर्वाचन सम्बन्धी जलूस पर कथित गोली-कांड	१७३८–३९
पटल पर रखे गये पत्र—	
विमान निगम नियम	१७३९–४०
औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आंध्र राज्य)—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
मंत्री का एक बैंक से कथित सम्बन्ध	१७४०–४५
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७४५–१८०८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७४५–५०
डा० एस० एन० सिंह	१७५०–५२
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१७५२–५५
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	१७५५–५९
आचार्य कृपालानी	१७५९–६१
डा० काटजू	१७६१–७४
खंड १ तथा २	१७७४–९९

	स्तम्भ
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७९९–१८०८
डा० काटजू	१७९९–१८०८
श्री नन्द लाल शर्मा	१८००–०५
श्री लक्ष्मय्या	१८०५–०६
श्री पुन्नूस	१८०६–१८०८

अंक २३—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—	
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ . . .	१८०९–१०
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट .	१८०९–१०
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवायें १९५४ . . .	१८०९–१०
तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर में शुद्धि	१८१०
सभा का कार्य—	
सरकारी कार्य के क्रम के बारे में वक्तव्य . . .	१८१०–११
चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८११–३०
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . १८११–१३,	१८२७–३०
श्री तुषार चटर्जी	१८१४–१७
श्री एन० एम० लिंगम्	१८१७–१९
श्री बर्मन	१८१९–२०
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८२०–२३
श्री ए० एम० थामस	१८२३–२४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१८२४–२५
श्री दामोदर मेनन	१८२५–२६
श्री के० सी० सोधिया	१८२६–२७
श्री पुन्नूस	१८२७
खण्ड १ और २	१८३०–३२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	१८३२
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . .	१८३२
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८३२–५५
श्री कानूनगो १८३२–३६,	१८४८–५५
श्री वी० पी० नायर	१८३७–४०
श्री तुलसीदास	१८४०–४१
डा० लंकासुन्दरम्	१८४१–४३
श्री झुनझुनवाला	१८४३–४४

	स्तम्भ
श्री ए० एम० थामस	१८४४–४६
श्री कासलीवाल	१८४६–४७
श्री वी० बी० गांधी	१८४७–४८
खण्ड १ और २	१८५५
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८५५–६२
श्री कानूनगो	१८५५–५६
डा० लंका सुन्दरम्	१८५६–५७
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी	१८५७–६२
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८६३–७७
श्री के० के० देसाई . . १८६३–६४,	१८७४–७७
श्री अमजद अली	१८६४–६५
श्री बिमला प्रसाद चालिहा . . .	१८६५–६६
श्री पुन्नूस	१८६६–६८
श्री बी० एस० मूर्ति	
श्री वेलायुधन	१८६९–७०
श्री केशवैयंगार	१८६८–६९
श्री पी० सी० बोस	१८७०–७१
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८७१
श्री एस० वी० रामस्वामी	१८७१–७३
ठाकुर युगल किशोर सिंह .	१८७३–७४
खण्ड १ से ३	१८७८
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	१८७८
श्री के० के० देसाई . .	१८७८

अंक २४, बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
आन्ध्र में निर्वाचन जलूस पर कथित गोलीकांड . . .	१८७९–८३
पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों की भूख हड़ताल तथा सेना का बुलाया जाना .	१८८३–८५
पटल पर रखे गये पत्र— .	
आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति के अधिनियम . . .	१८८५–८७
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण .	१८८७–८८
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना .	१८८७
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के सन्तुलन-पत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	१८८८–८९

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८८९
सभा का कार्य—
सरकारी कार्य का क्रम १८८९-९१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टेपियोका मांड और आटे के निर्यात पर प्रतिबन्ध . . . १८९१-९२
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—असमाप्त . १८९२-१९७३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय
संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित १९७४

अंक २५—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४.

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का निधन १९७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
इम्फाल, मनीपुर में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज . . . १९७६-७७
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९७७
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प—स्वीकृत . १९७७-२००८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . . २००८-६२

अंक २६—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—
पश्चिमी बंगाल में पुलिस के सिपाहियों की भूख हड़ताल और सेना का
बुलाया जाना २०६३-६८
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज कन्सेशन नियमों में संशोधन २०६८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . २०६८-९६, २१०८-१०
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आंध्र . . २०९६-२१०८
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . २१११-१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २११२
सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल और नियंत्रण करने वाली संविहित
निकाय सम्बन्धी संकल्प—अस्वीकृत २११२-५०
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण विभाग
के बारे में संकल्प—असमाप्त २१५०-५६

स्तम्भ]

श्रीमती विजय लक्ष्मी का त्याग पत्र २१५७
अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . २१५७–७४, २२४२–७८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आन्ध्र . . २१७४–९०, २२२७–२८
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपा गया २१९०–२२२७
श्री पाटस्कर २१९०–२२००
श्री बर्मन २२०१–०६, २२२३–२५
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय २२०८–१३
श्री आर० डी० मिश्र . . . २२०७–०८, २२१३–२३
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . . २२२७–२९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२२९–३६
श्री पाटस्कर २२२९–३१, २२३२, २२३६
श्री धुलेकर २२३२–३३
श्री आर० के० चौधरी . . . २२३३–३४
पंडित ठाकुर दास भार्गव २२३४–३६
पंडित सी० एन० मालवीय . . . २२३६
खण्ड १ और २ . . . . . २२३७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२३८

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २२३८
श्री करमरकर २२३८–३९
श्री ए० एम० थामस २२३८–३९
श्री एन० एम० लिंगम् २२३९
खण्ड १ और २ . . . . . २२३९–४०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . २२४०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अपूर्ण . . २२४०–४२
डा० एम० एम० दास २२४०–४२

अंक २८—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण . २२७९–८२

पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य . २२८२–८४

पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५२-५३ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५४ . . . . . २२८४

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . २२८४–८५

महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—पुरःस्थापित . २२८५–८६

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—अपूर्ण . . . २२८६–२३६४

अंक २९—मंगलवार, २१ दिसम्बर, ११५४.

विदेशों को जीपों तथा सेना के कुछ अन्य सामान के लिये दिये गये आर्डरों के बारे में वक्तव्य २३६५–६६

सभा का कार्य २३६६–६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

चाय निर्यात के अधिकारों में सट्टेबाज़ी . . . २३६८–७१

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित . . २३७१–२४५७

राज्य सभा से सन्देश २४५७–५८

अंक ३०—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—

प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण . . २४५९

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . २४५९

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक सम्बन्धी साक्ष्य . . . २४६०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —उपस्थापित २४६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २४६०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का विवरण, खण्ड ३—उपस्थापित . . . २४६१

पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— २४६१

अपूर्ण २५२२, २५२२-५२

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . २५२२

राज्य सभा मे सन्देश २५५२

अंक ३१—गरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
इम्फाल में एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और प्रजा समाजवादी दल के कार्यालय पर पुलिस का छापा	२५५३–५७
यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य . .	२५५७–६१
पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	२५६१–६२
जून, १९५३ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें अधिवेशन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के विवरण . . .	२५६२–६३
न्यूनतम मजूरी निवारण व्यवस्था के सम्बन्धी अभिसमय संख्या २६ के अनुसमर्थन के बारे में विवरण . . .	२५६३
रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम—नियम, १९५३ में संशोधन .	२५६३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पी० टी० आई० और यू० पी० आई० द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना	२५६३–६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —स्वीकृत	२५६८–७१
समवाय विधेयक की संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति . .	२५७२
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	२५७२–२६१६
श्री पाटस्कर २५७२–७८,	२६०७–२६१६
श्री एन० एम० लिंगम् .	२५७९–८
श्री बी० एस० मूर्ति . . .	२५८१–८३
श्री राघवाचारी .	२५८३–८४
श्री साधन गुप्त	२५८४–८६
श्री टी० एन० सिंह	२५८६–८९
श्री भागवत झा आज़ाद	२५८९–९०
श्री जांगड़े	२५९०–९३
श्री एम० एल० अग्रवाल . . .	२५९३–९५
श्री कासलीवाल	२५९५–९६
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . .	२५९६–२६००
श्री कजरोल्कर	२६००–०१
श्री नवल प्रभाकर	२६०१–०४
श्री कक्कन	२६०४–०५
श्री पी० एल० बारुपाल	२६०५–०६

	स्तम्भ
श्री गणपति राम	२६०६–०७
खण्ड १ और २—	
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	२६१६–२६२५
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
असमाप्त	२६२५–७२
श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी	२६७२
राज्य-सभा से सन्देश	२६७२–७४

अंक ३२—शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
मध्य भारत और राजस्थान में अफीम की खेती .	२६७५–७७
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन	२६७७
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग २—ब्योरेवार विनियोग लेखे	२६७७
भारत सरकार की रेलों के १९५२-५३ के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी के विवरणों सहित), सन्तुलन पत्र और लाभ-हानि के लेखे .	२६७७
१९५२-५३ के लिये रेलवे की कोयला खानों के कार्य का पुनर्विलोकन और सन्तुलन पत्र और कोयले, आदि की पूरी लागत के विवरण	२६७७–७८
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५४	२६७८
केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये विनिश्चय के बारे में विवरण	२६७८
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ और १२६५ के उत्तरों में शुद्धि	२६७८–७९
प्रतिभूति ठेके (विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२६८०
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत	२६८०–२७०३
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	२७०३–४३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—वाद-विवाद स्थगित	२७४३–४८
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)— पुरःस्थापित	२७४८
भारतीय धर्म परिवर्तन (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—पुरःस्थापित	२७४९–५२
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— . . .	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	२७५३–६३
श्री धुलेकर	२७५३–५७

स्तम्भ

श्री पाटस्कर . . २७५७–६३

श्रीमती उमा नेहरू . २७६३

श्री टेक चन्द . . २७६३

वाद-विवाद स्थगित २७६३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—(नई धारा २९४ख का रखा जाना)—

परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७६४–६७

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . . . २७६४–६५, २७६४

डा० काटजू २७६५–६६

वाद-विवाद स्थगित २७६७

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त २७६७–६९

डा० एन० बी० खरे २७६७–६८, २७६९

श्री के० के० देसाई २७६८–६९

वाद-विवाद स्थगित २७६९

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक— . . .

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त . . २७६९–८०

सरदार ए० एस० सहगल . . . २७६९–७६, २७७७–७८

राजकुमारी अमृत कौर २७७६–७७, २७७८–७९

वाद-विवाद स्थगित २७८०

निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७८०

श्री डी० सी० शर्मा २७८०–८२, २७८३–८६

श्री के० के० देसाई २७८२–८३

श्री आर० के० चोधरी २७८७

राज्य-सभा से सन्देश २७८८

हिन्दू विवाह विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . . २७८८

लोक सभा

गुरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्याह्न

स्थगन प्रस्ताव

इम्फाल में एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और प्रजा समाजावादी दल के कार्यालय पर पुलिस का छापा

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे श्री गुरुपादस्वामी से श्री रिशांग किशिंग संसद् सदस्य की गिरफ्तारी तथा पुलिस द्वारा प्रजा सोशलिस्ट दल के कार्यालय पर धावा किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

जैसे ही स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होती है अध्यक्ष महोदय को यह निर्णय करना होता है कि वह प्रस्ताव ग्राह्य है अथवा नहीं। उसे अपनी अनुमति देनी होती है। यह मामला शान्ति तथा व्यवस्था से सम्बन्धित है। शान्ति तथा व्यवस्था के विरुद्ध किये गये अपराधों के सम्बन्ध में इस सभा के किसी भी सदस्य को कोई अन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। उस में और किसी साधारण नागरिक में अन्तर केवल इतना ही है कि यदि किसी संसद् सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो यथा सम्भव शीघ्र, अथवा उसके तुरन्त पश्चात् ही उसकी गिरफ्तारी की सूचना अध्यक्ष महोदय को दी जानी आवश्यक है। इसीलिये मैं ने कहा कि मैं इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री गुरुपादस्वामी ने मुझे लिखा है कि यह मामला किसी राज्य से सम्बन्ध नहीं रखता है, इससे स्पष्ट है कि वह मेरे निर्णय को ठीक तरह से समझे नहीं हैं। यहां शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में की गयी सामान्य कार्यवाही में और किसी असाधारण घटना में विभेद किया जाना आवश्यक है। केवल इसी तथ्य के कारण कि इस सभा के किसी सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है इस सभा के क्षेत्राधिकार की दुहाई नहीं दी जा सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है उनको क्या और कहना है।

यह शान्ति तथा व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाला एक साधारण सा मामला है, इस बात के अनपेक्ष भी कि उक्त राज्य एक केन्द्रीय प्रशासित राज्य है। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है इस में असाधारण क्या है?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (सूर): आप ने केवल शान्ति तथा व्यवस्था का ही निर्देश किया है मेरा निवेदन यह है कि

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

इस का सम्बन्ध केवल शान्ति तथा व्यवस्था से ही नहीं है । इस का सम्बन्ध एक संसद् सदस्य के विशेषाधिकार से है जो यहां से इम्फाल गया था । वायुयान से उतरते ही उसे बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया । इस घटना में प्रजा सोशलिस्ट दल भी लिप्त है । पुलिस ने उस दल के कार्यालय पर छापा मारा, पुलिस की इस कार्यवाही का कोई कारण नहीं था इस घटना का सम्बन्ध संसद् के अधिकारों, संसद् सदस्यों के अधिकारों तथा उस राज्य में जनतंत्रीय विधान सभा बनाये जाने के लिये चल रहे आन्दोलन से है । विषय इतना सरल नहीं है । यह केवल शान्ति तथा व्यवस्था से ही सम्बन्धित नहीं है । और भी अन्य कारण हैं और इसलिये मेरा निवेदन है कि इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये और इस पर चर्चा की जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों के सम्बन्ध में सरकार से मामले का स्पष्टीकरण करने को कहता हूं । जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, मैं ने उन कारणों के अतिरिक्त जो मैं ने यहां दिये हैं और कोई कारण नहीं दिये हैं और मैं नहीं समझता कि यह कारण सभा की कार्यवाही के रोक दिये जाने के लिये पर्याप्त हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस से पूर्व कि आप अपना निर्णय दें . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने उन के तर्क सुन लिये हैं और मैं उन को दूसरा अवसर नहीं देना चाहता हूं । यह मामला निश्चित रूप से शान्ति तथा व्यवस्था से सम्बन्धित है; यह बात दूसरी है कि इस का सम्बन्ध किसी दल विशेष से है । शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये जो कार्यवाही की जाती है वह निवारक तथा दण्डात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है । ऐसी परिस्थिति में इसे कोई ऐसा अखिल भारतीय मामला बनाना सम्भव नहीं है जिसके लिये सभा की कार्यवाही को स्थगित किया जाये ।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यही नियम स्वीकार किया जायगा । कोई भी माननीय सदस्य मुझ से या अध्यक्ष से यह आशा नहीं कर सकता कि हम प्रत्येक स्थगन प्रस्ताव को सभा के समक्ष चर्चा के लिये रखें । नियमों में बिल्कुल स्पष्ट उपबन्ध है कि अध्यक्ष इस बात के लिये पूर्ण स्वतन्त्र है कि वह किसी स्थगन प्रस्ताव पर सहमति दे अथवा न दे । यदि वह सहमति देना अस्वीकार करता है, तो वह माननीय सदस्य को सूचित कर देता है । यदि माननीय सदस्य को कोई अग्रेतर कठिनाई हो तो वह अध्यक्ष को लिख सकता है और समय का प्रश्न बाधक नहीं होता है । प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर माननीय सदस्य उसी दिन, दूसरे दिन, अथवा अन्य किसी दिन उसे प्रस्तावित कर सकता है । इन परिस्थितियों में, जिस विषय के लिये सहमति नहीं दी जायगी वह सभा के समक्ष चर्चा के लिये नहीं रखा जायगा । अभी जिस प्रथा का हम अनुसरण कर रहे हैं वह सभा की कार्यवाहियों में बाधा पहुंचाती है । क्रमपत्र में जो भी विषय दिया हुआ है उसके अनुसार ही सभा कार्य करेगी ।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल––पश्चिम कटक) : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में आपने यह नहीं बताया कि श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अब तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोड) : स्पष्टीकरण के हेतु मैं जानना चाहता हूं

कि क्या शांति और व्यवस्था सम्बन्धी सभी विषय आपके निर्णय के अन्तर्गत आते हैं जिसके परिणामस्वरूप शांति और व्यवस्था सम्बन्धी किसी भी विषय को स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस सभा के समक्ष रखने की अनुमति नहीं दी जायगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने केवल इतना ही कहा कि शान्ति और व्यवस्था को सामान्य रूप से बनाये रखने से सम्बन्धित सामान्य विषय इस सभा के समक्ष नहीं लाये जाने चाहिये । यदि मुझे इस बात का समाधान हो जाय कि कोई असाधारण बात है, तो मैं अवश्य ही अनुमति दूंगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : "साधारण" तथा "असाधारण" में क्या अन्तर है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर अग्रेतर चर्चा करने के लिये तैयार नहीं हूं । माननीय सदस्य जानते हैं कि साधारण क्या है और क्या साधारण नहीं है । मैं ने बताया है कि दिये गये तथ्यों के आधार पर कौन सा विषय साधारण अथवा असाधारण है इसका निर्णय करना अध्यक्ष का कार्य है । इस प्रकार के विषय से सभा की कार्यवाहियों में विघ्न पड़ता है । इसी के परिणामस्वरूप अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है । इस सभा में बार बार ऐसे विषयों को महत्व-पूर्ण बना कर उपस्थित करने से कुछ हासिल नहीं होता है । मैं ऐसी बातों के लिये अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आपकी अनुज्ञा से मैं प्रधान मंत्री की ओर से, एक वक्तव्य देना चाहता हूं । जैसा कि सभा को विदित है यूगोस्लाविया के संघीय जनगणराज्य के राष्ट्रपति अत्रभवान् मार्शल जोसिप ब्रोज टीटो ने दिल्ली में पिछले पांच दिन व्यतीत किये हैं । इस अवधि में उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री के साथ कई वार्तायें कीं । कल सायं ३ बजे उन दोनों ने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये हैं । मैं अब वह वक्तव्य पढ़ूंगा :—

"यूगोस्लाविया के संघीय जनगणराज्य के राष्ट्रपति, अत्रभवान् मार्शल जोसिप ब्रोज़ टीटो ने भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत राज्य में दौरा करते हुये नई दिल्ली में पांच दिन बिताये हैं । इस अवधि में उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ कई वार्तायें की हैं । ये वार्तायें अनौप-चारिक और मैत्रीपूर्ण रही हैं और उन में विश्वकार्यों के मूलभूत तथा अत्यावश्यक पहलुओं और विशेषकर दोनों के लिये समान हित और गम्भीर चिन्ता के विषय समाविष्ट हैं ।

दोनों देशों की ऐतिहासिक पार्श्वभूमि और सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों में समानता होने के कारण तथा इस तथ्य के कारण कि वे दोनों देश राष्ट्रीय स्वातन्त्र के शक्तिशाली आन्दोलनों के बाद स्वतन्त्र राष्ट्रों के रूप में उदित हुये हैं, वे एक दूसरे को अधिक भली भांति समझ सके हैं और इससे उनके बीच मैत्री पूर्ण सम्बन्धों को स्था-पित करने में अधिक सरलता और सुविधा उत्पन्न हुई है ।

यूगोस्लाविया तथा भारत ने घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में शान्ति को बढ़ाने के लिये और अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों और समस्याओं को सुलझाने के लिये समझौतों और वार्ताओं के तरीक़ों में सुधार करने में अपनी शक्ति लगायी है । सभी राष्ट्रों के

राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य

[श्री सत्य नारायण सिंह]

साथ मित्रता और समानता के आधार पर उन्होंने एक दूसरे तथा विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया है ।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री यह घोषित करना चाहते हैं कि उनके देशों द्वारा स्वीकार की गयी तथा अनुसरण की गयी अलिप्त रहने की नीति "तटस्थता" या "तटस्थवाद" नहीं है और इसलिये उसे "निष्क्रियता" नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि उसे कभी कभी कहा जाता है, अपितु वह एक सामूहिक शान्ति स्थापित करने वाली वास्तविक, क्रियाशील और रचनात्मक नीति है और केवल जिस पर ही वास्तव में सामूहिक सुरक्षा कायम रह सकती है ।

उनकी यह धारणा है कि वे इस परमाणु युग में युद्ध के दूसरे गम्भीर विकल्प से केवल पूर्णतया परिचित ही नहीं हैं किन्तु इस स्पष्ट सत्य में उनका दृढ़ विश्वास है कि युद्ध से समस्यायें सुलझती नहीं है अपितु उससे उनका हल होना और कठिन हो जाता है और इसके अतिरिक्त और नयी कठिन समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं ।

यूगोस्लाविया और भारत का यह मत है कि केवल शांति में ही, कठिन परिश्रम से प्राप्त उनकी स्वतन्त्रता को सुसंगठित किया जा सकता है, और उनकी जनता को स्वविकास आर्थिक उन्नति तथा समृद्धि और सामाजिक प्रगति तथा स्थिरता के अवसर दिये जा सकते हैं ।

राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री अपना यह दृढ़ विचार प्रकट करना चाहते हैं कि दोनों देशों के और उनकी सरकारों के सम्बन्ध एक दूसरे की सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्नता, स्वतन्त्रता और एकता की मान्यता, अनाक्रमण, समानता, परस्पर आदर तथा एक दूसरे के अथवा अन्य देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने और अपने लिये तथा विश्व के लिये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की दशाओं और उपायों के विकास के सिद्धान्तों पर आधारित है और आगे भी आधारित रहेगी । सारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध इसी मूलभूत कल्पना द्वारा शासित होने चाहियें और संयुक्त राष्ट्रों के कार्य और नीति में वह अग्रणीय तत्व होना चाहिये ।

अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों देशों की नीति और विश्व शान्ति के प्रति उनका दृष्टिकोण वार्ताओं अथवा झगड़ों को हल करने के लिये बल प्राप्त करने अथवा शस्त्रास्त्रों के संचयन के साधन पर आधारित नहीं हो सकता है । अतः राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री अलिप्त देशों के "तीसरा गुट" या "तृतीय बल" की भ्रमपूर्ण कल्पना को, जो कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है, अस्वीकृत करते हैं । इन शब्दों में यह एक खंडन है क्योंकि इस प्रकार का गुट बनाने से हम लिप्त होने की पद्धति में समाविष्ट हो जायेंगे जिसे हम अवांछनीय समझते हैं ।

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री का दृढ़ विश्वास है कि वे सिद्धान्त जिन पर उन्होंने अपने पारस्परिक सम्बन्ध को आधारित रखना स्वीकार किया है, विस्तृत क्षेत्र में भी लागू किये जा सकते हैं । यदि वे स्वीकार कर लिये जायें, तो संसार में तनातनी दूर करने और झगड़ों को निपटाने में उनसे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी । उनसे शान्ति के क्षेत्र विस्तृत होंगे, युद्ध की सम्भावनायें कम होंगी और अधिक विश्वास तथा विश्व सहयोग के अधिक अवसर प्राप्त होंगे ।

राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री भारत और यूगोस्लाविया की मैत्री में विश्वास और स्वेच्छा प्रकट करते हैं जिसका स्वागत

दोनों देशों की जनता करती है । वे दोनों देशों के आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाने और उन्हें दृढ़ करने का प्रयत्न करेंगे । वे संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा अन्यत्र दोनों देशों के द्वारा सद्भावना तथा एकता के सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नों का सन्तोष के साथ स्मरण करते हैं और उन्होंने निश्चय किया है कि इन सम्पर्कों और सम्बन्धों को अग्रेतर बढ़ाया जाये और उन्हें दृढ़ किया जाय ।

राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री इस बात में विश्वास रखते हुये कि सामूहिक शान्ति के विकास के लिये संसार में तनातनी कम करना एक आवश्यक कार्य है, संसार में कुछ तनातनी कम होने के लक्षणों का स्वागत करते हैं और साथ ही वे आगे उन्हें और कम करने के लिये तथा उनकी वृद्धि को रोकने के लिये वास्तविक प्रयत्न करेंगे ।

राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री इस बात पर आस्था प्रकट करना चाहते हैं कि विश्व की जनता की प्रगति और सभ्यता के बचे रहने की आशा से शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की आवश्यकता की हमारी स्वीकृति न केवल वैकल्पिक बल्कि अनिवार्य बन जाती है ।

इस तथ्य से कि यूगोस्लाविया और भारत के सामान्य लक्ष्य एक ही हैं, उन दोनों देशों को अलग करने वाली भौगोलिक दूरी के होते हुये भी उन के पारस्परिक सम्बन्धों को दृढ़ करने के लिये एक ठोस आधार बन जाता है और उन्हें प्रसन्नता है कि गहरी मैत्री और भ्रातृभाव के बन्धनों से वे एक साथ बंधे हुये हैं ।

पटल पर रखे गये पत्र

विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को दिखाने वाले छह विवरण पटल पर रखता हूं :

(१) एकीकृत विवरण—लोक-सभा का अष्टम सत्र, १९५४

[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ९]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ४—लोक सभा का सप्तम सत्र, १९५४

[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १०]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १०—लोक सभा का छठा सत्र, १९५४

[देखिय परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ११]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १५—लोक सभा का पंचम सत्र, १९५३

[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १२]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २०—लोक सभा का चतुर्थ सत्र, १९५३

[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २५—लोक सभा का तृतीय सत्र, १९५३

[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १४]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या २४—लोक सभा का द्वितीय सत्र, १९५२

[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १५]

(८) अनुपूरक विवरण, संख्या २५—लोक सभा का प्रथम सत्र, १९५२

[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १६]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें सत्र की सिफारिशों और अभिसमय संख्या २६ के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में की गयीकार्यवाही के विवरण

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं न विवरणों में से प्रत्येक की एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) जून, १९५३ में हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६ व सत्र में स्वीकृत

[श्री आबिद अली]

सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा की गयी या प्रस्थापित कार्यवाही को दिखाने वाला विवरण ।

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५५]

(२) १९२८ में हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ११वें सत्र में स्वीकृत न्यूनतम मंजूरी निधारिक यंत्र प्रणाली से संबंधित अभिसमय संख्या २६] के अनुसमर्थन के बारे में विवरण ।

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५६

रक्षित तथा सहायक विमान-बल अधिनियम] नियमों में संशोधन

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): मैं रक्षित तथा सहायक विमान बल अधिनियम, १९५२ की धारा ३४ की उपधारा (४) के अधीन, रक्षित तथा सहायक विमान बल अधिनियम नियमों, १९५३ में कतिपय संशोधन करने वाली रक्षा मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ६–ई दिनांक, १८ दिसम्बर, १९५४ की एक प्रति पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एस०–५२६/५४]

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पी० टी० आई० और यू० पी० आई० द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : नियम २१५ के अधीन मैं अविलम्ब लोक-महत्व के इस विषय की ओर संचरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस विषय पर एक वक्तव्य दें :

"प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया तथा युनाइटेड प्रेस औफ इंडिया द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना तथा उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही ।"

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : श्रीमान्, आजकल डाक तथा तार विभाग पी० टी० आई० और यू० पी० आई को भारत के विभिन्न केन्द्रों में समाचार एकत्र करने, प्रसारित करने और वितरित करने के लिये दूरमुद्रक (टैलीप्रिंटर) किराये पर देता है । अन्य समाचार-अभिकरणों, समाचार-पत्रों, वाणिज्यिक चन्दा दाताओं, सरकारी विभागों आदि को भी दूरमुद्रक लाइनों के लिये अनुमति दी जाती है । अतः इन दलों या समाचार-अभिकरणों को जिनमें पी० टी० आई० और यू० पी० आई० भी सम्मिलित हैं, किराये सम्बन्धी क़रार में उल्लिखित उद्देश्यों के लिये इन सर्किटों (परिपथों) के उपयोग की अनुज्ञा दी गयी है ।

पी० टी० आई० और यू० पी० आई० को किराये पर दिये हुये अन्तर्नगरीय और लम्बी दूरी के सर्किटों (परिपथों) के सम्बन्ध में, सम्बन्धी क़रार में इन लाईनों पर भेजी जाने वाली जानकारी के गुण प्रकार का और किसी दल को वह जानकारी बताने की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । भारतीय तार अधिनियम, १९५१ का नियम १३५(२) के किराये सम्बन्धी क़रार के साथ पढ़ें जाने पर उस क़रार के पदों के अनुसार ये सर्किट (परिपथ) प्रेस-दरों पर प्रेषण के लिये स्वीकृत केवल प्रेस-तारों के प्रेषण के लिये ही उपयोग किये जा सकेंगे और ये सन्देश समाचार पत्र में प्रकाशन के पूर्व किसी अपंजीबद्ध समाचार पत्र या किसी गैर-सरकारी व्यक्ति या किसी स्थापना जैसे होटल या श्रेष्ठिचत्वर को नहीं दिये

जायेंगे हमें बताया गया है कि पंजीबद्ध समाचार-पत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी को ऐसे तारों के प्रेषण से जिनमें स्टाक बुलियन और चीज़ों के भाव के बारे में जानकारी हो, किराये सम्बन्धी क़रार के उपबन्धों का उल्लंघन होता है क्योंकि तीसरे दलों को ऐसे तारों के भेजे जाने से अवश्य ही समाचार पत्रों के प्रकाशन के पूर्व उन्हें जानकारी प्राप्त होगी ।

जनता से शिकायतें प्राप्त होने पर और स्वयं डाक व तार विभाग द्वारा किये गये प्रेषण के अनुभव से उस विभाग को यह विदित हुआ है कि ये दो तथा अन्य कई समाचार अभिकरण इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और वे निजी चन्दा दाताओं को प्रति मिनट भाव आदि भेजते रहते हैं । इसके अतिरिक्त ऐसे मामले भी पाये गये हैं जिनमें वे कभी कभी खुले तौर पर और कभी कभी गुप्त संकेतों में निजी दलों की ओर से खरीद और बिक्री के आदेश भी भेजते हैं और इस प्रकार किराये सम्बन्धी क़रार का उल्लंघन करते हैं ।

हालांकि डाक तथा तार विभाग को तथा सरकार को ज्ञात है कि इन लाइनों को निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त अन्य दूसरे कार्यों के लिये भी व्यवहार में लाया जाता है परन्तु फिर भी दण्ड सम्बन्धी खंड को इस लिये पूर्णतया लागू नहीं किया गया क्योंकि यह पक्ष अखिल भारतीय समाचार अभिकरण हैं जो समाचार पत्रों के लिये समाचारों को इकट्ठा करने तथा भेजने का प्राथमिक कार्य करती हैं । जिन को समाचार अभिकरणों के सम्बन्ध में विशेष रूप से कहा गया है वे मुख्य अभिकरण हैं । समाचार भेजने की टैलीप्रिंटर सम्बन्धी सुविधा को अचानक रोक देने से इन समाचार अभिकरणों के समाचार दन के कार्य में विघ्न पड़ जाता और जिसके परिणाम अवांछनीय होते । हमने दंड देने के अधिकारों को व्यवहार में लाने से पूर्व, इस मामले के सम्बन्ध में इन दोनों तथा अन्य समाचार अभिकरणों से वार्ता की तथा आग्रह किया इन लाइनों को समाचार भेजने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिये व्यवहार में न लाया जाये । इन समाचार अभिकरणों का ध्यान कई बार उनके कार्य के इस पहलू की ओर दिलाया गया तथा उनको चतावनी दी गई कि वह किराये ठेकों की मदों के अनुसार ही कार्य करें । इन ो समाचार अभिकरणों के प्रतिनिधियों की एक बैठक मार्च, १९५४ में बुलाई गई थी । इन बैठकों में इन दोनों समाचार अभिकरणों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया कि इन टैलीप्रिंटर लाइनों का अनुचित व्यवहार किया जा रहा है तथा यह आग्रह किया गया कि इसे बन्द कर दिया जाना चाहिये । इसके पश्चात् इन समाचार अभिकारणों को कुछ मुख्य लाइनों से बन्द कर दिये जाने की सूचना दी गई थी । जुलाई, १९५४ में कई दूसरी बैठकों में इस समाचार अभिकरणों ने यह आश्वासन दिया कि इन लाइनों का व्यवहार इस कार्यों के अतिरिक्त और किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा । इस बैठक में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस प्रकार का अनुचित व्यवहार अक्टूबर, १९५४ के अन्त तक अवश्य बन्द कर दिया जायेगा तथा यदि उस समय तक यह कार्यवाही बन्द नहीं की गयी तो बड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

यद्यपि इन दोनों अभिकरणों में से एक ने इन कार्यों के विषय में अब पर्याप्त सुधार किया है परन्तु फिर भी इन लाइनों का अनुचित व्यवहार पूर्णतया बन्द नहीं हुआ है । ये ३१ अक्तूबर, १९५४ के पश्चात् इन अभिकरणों द्वारा प्रयुक्त लाइनों पर भेजे गये समाचारों की जांच करने से ज्ञात हुआ है

[श्री जगजीवन राम]

इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिये हम इन समाचार अभिकरणों को चेतावनी दे रहे हैं। जिसके पश्चात् सरकार, यदि यह कार्य फिर भी चलता रहा तो उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

सरकार ने यह निश्चय किया है कि सरकार किसी भी महाधिकारी के द्वारा पी० टी० आई० तथा यू० पी० आई० जैसे मुख्य समाचार अभिकरणों आदि के द्वारा किये जा रहे इस अनुचित व्यवहार को अवश्य बन्द करायेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बहुत से उपाय विचाराधीन हैं तथा इस वक्तव्य में इसका ब्यौरा बताना सरकार के हित में नहीं है।

जहां तक डाक तथा तार विभाग की होने वाली हानि का सम्बन्ध है उसका कोई अनुमानित प्राक्कलन बनाना भी कठिन है, परन्तु अनुभव किया जाता है कि राजस्व की पर्याप्त हानि हुई है। कुछ मास पूर्व पी० टी० आई० तथा यू० पी० आई० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य पक्षों को दी गयी सभी वाणिज्यिक सेवाओं से इतनी धनराशि अर्जित की गयी है :—

	रुपये
पी० टी० आई०	११,६२,०००
यू० पी० आई०	२,६८,०००

इसमें से, डाक तथा तार विभाग को इन सभी तार लाइनों के किराये के तौर पर पी० टी० आई० तथा यू० पी० आई० द्वारा दी गयी रकम क्रमशः ५,००,००० रुपये तथा २,००,००० रुपये है।

डाक तथा तार विभाग इन टैलीप्रिंटर सर्किटों को किसी भी व्यक्तिगत व्यापारिक संस्था को व्यापार से सम्बन्धित समाचारों को भेजने के लिये पट्टे पर दे रहा है परन्तु शर्त यही है कि वह किसी अन्य संस्था को वह समाचार सूचित नहीं किये जायेंगे। यह सुविधा इस समय भी प्राप्य है तथा कोई भी व्यापारी इसका लाभ उठा सकता है परन्तु उनको कोई रियायती दरें, समाचार अभिकरणों जैसी नहीं दी जाती हैं। लम्बी अवधि के आधार पर, डाक तथा तार विभाग एक नवीन सेवा 'टैलेक्स' अथवा ट्रंक टैलीप्रिंटर सेवा चालू कर रहा है जो समस्त जनता को उपलब्ध होगी। यही सेवा बम्बई तथा अहमदाबाद में अभी भी प्रचलित है, तथा यदि प्रयोग सफल रहा तो इसे मुख्य केन्द्रों में भी लागू किया जायेगा। इस सेवा के द्वारा केवल नम्बर मिलाते ही कोई सदस्य दूसरे सदस्य से सम्पर्क स्थापित करके शीघ्रता से सूचना भेज सकता है।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : प्रस्ताव करता हूं कि :

> "यह सभा २२ दिसम्बर, १९५४ को सभा में प्रस्तुत की गई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

श्री गिडवानी (थाना) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। पिछली बार भी मैं ने यह प्रश्न उठाया था। अनुपस्थित १४ सदस्यों की सूची से प्रतीत होता है कि एक को १७३ दिन का, दूसरे को १२३ दिन का तथा

तीसरे को ९२ दिन का, तथा इसी प्रकार अन्य सदस्यों को भी इस वर्ष अवकाश स्वीकृत किया गया था। तीसरे सदस्य ने ६५ दिन अनुपस्थित रहने के पश्चात अवकाश दिये जाने की प्रार्थना की और उसे भी अवकाश की स्वीकृति दे दी गई। जैसा मैं ने पहले भी कहा था कि वेतन पद्धति के लागू किये जाने के पश्चात् इसे अवकाश की अनुमति देने में बहुत सावधान रहना चाहिये। हमें सदस्यों को अनुपस्थित रहने का प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : माननीय सदस्य का विचार ठीक नहीं है। वह माननीय सदस्य बीमार थे, तथा सभा से अनुपस्थित रहे अधिकतर सदस्य बीमार थे। हमें अनुपस्थिति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये, परन्तु जो बीमार हों उनके प्रति भी हमें क्रूर नहीं होना चाहिये।

श्री आल्तेकर : श्री मुचाकी कोसा के सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि उनकी माता, वह स्वयं तथा उनकी पत्नी सभी बीमार थे। तथा वह ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां का यातायात व्यवस्था बहुत ही दुष्कर है। उप-आयुक्त द्वारा भेजे गये पत्र भी बहुत विलम्ब से प्राप्त हुये थे। इन कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये तथा उनके अनपढ़ होने के कारण समिति ने यह सोचा कि उनको अवकाश दे दिया जाये।

जहां तक वेतन का सम्बन्ध है, यह बात सभा के द्वारा निश्चित की जाती है। इस विषय के बारे में वेतन समिति से कहा जाना चाहिये। परन्तु जब परिवार के सदस्यों की बीमारी के कारण, कुटुम्ब में मृत्यु हो जाने के कारण, तथा यातायात व्यवस्था के दुष्कर होने के कारण अवकाश मांगा गया हो तो मेरे विचार से उन्हें अवकाश की स्वीकृति दी जानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि समिति किसी सदस्य को अवकाश न दे तो वह सदस्य सभा से अवकाश की स्वीकृति करा सकता है परन्तु यदि समिति अवकाश स्वीकृत कर दे तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि यदि समिति अवकाश दिये जाने की सिफारिश कर दे तो सभा को उसे अवश्य ही स्वीकार कर लेना चाहिये?

श्री आल्तेकर : सामान्यतः, आप विषय देख सकते हैं।

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोड) : सूची में उन सदस्यों को भी अवकाश दिये जाने की सिफारिश की गई है। जो ३० या ३५ दिनों तक अनुपस्थित रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य ५९ दिन तक अनुपस्थित रह सकता है अथवा क्या उसे अध्यक्ष महोदय को आवेदन-पत्र भेज कर अवकाश प्राप्त करना आवश्यक है?

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान के अनुसार अनुपस्थिति ६० दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिये।

श्री दामोदर मेनन : परन्तु समिति ने उन सदस्यों को भी अवकाश दिये जाने की सिफारिश की है जो केवल ३५ दिन तक अनुपस्थित रहे हैं। क्या उन्हें कोई औपचारिक आवेदन-प भेजना आवश्यक है?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा निजी मत यह है कि जो माननीय सदस्य ३५ दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने के पश्चात् तथा ६० दिन में उपस्थित होने में असमर्थ होने के कारण, केवल सावधानी के लिये आवेदन पत्र दे देते हैं, तथा स विचार से कि वह २५ वें दिन भी लौट सकेंगे या नहीं इस विचार

से वह अनुपस्थित के क्षमा कर दिये जाने का आवेदन करते हैं ।

व्यवस्था यह होनी चाहिये कि यदि कोई माननीय सदस्य यह अनुभव करता है कि विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया गया है तो वह इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत करे कि अमुक सदस्य को अवकाश की स्वीकृति न दी जाये । माननीय सदस्य ने किस नियम की ओर निर्देश किया था ? क्या नियम में यह दिया हुआ है कि समिति स पर विचार करने के सभा के अधिकार ले सकती है ?

श्री आल्तेकर : समिति सभा का अधिकार तो नहीं लेती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सिफारिश होती है । इसलिये माननीय सदस्य को यह नहीं कहना चाहिये इसे अवश्य स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लौर) : मान लीजिये कि कोई सदस्य २५ दिन तक अनुपस्थित रहता है तथा समिति द्वारा उसकी सिफारिश की जाती है । क्या वह सदस्य और भी ६० दिन तक अनुपस्थित रह सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह ऐसा ही है । यह कठिनाई अवश्य उत्पन्न होती है । तब हम इस पर विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है कि :

"यह सभा २२ दिसम्बर, १९५३ को सभा में प्रस्तुत की गई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के सप्तम प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समवाय विधेयक की संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"समवायों तथा अन्य संस्थाओं के विषय में विधि को एकीकृत तथा संशोधित करने वाले विधेयक के लिये दोनों सदनों की संयुक्त समिति में, सर्वश्री खंडूभाई कासन जी देसाई तथा नित्यानन्द कानूनगो के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दिया है, सर्वश्री एन० एम० लिंगम और नरेन्द्र पी० नथवानी को नियुक्त किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"समवायों तथा अन्य संस्थाओं के विषय में विधि को एकीकृत तथा संशोधित करने वाले विधेयक के लिये दोनों सदनों की संयुक्त समिति में सर्वश्री खंडूभाई कासन जी देसाई तथा नित्यानन्द कानूनगो के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, सर्वश्री एन० एम० लिंगम और नरेन्द्र पी० नथवानी को नियुक्त किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस में कि यह

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, विचार किया जाये ।"

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक पर वाद-विवाद कब समाप्त होगा तथा पंच-वर्षीय योजना के प्रगिति प्रतिवेदन पर कब चर्चा प्रारम्भ की जायेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई समय निश्चित नहीं किया गया है । जैसे ही इस पर चर्चा समाप्त होगी दूसरा कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस नियम को कि विधेयक के प्रस्तुत किये जाने तथा उस पर चर्चा के प्रारम्भ किये जाने के बीच दो दिन का समय अवश्य होना चाहिये, निलम्बति कर दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से ऐसा किया जा सकता है ।

श्री पाटस्कर : इस प्रस्ताव पर मैं अधिक समय नहीं लूंगा । क्योंकि प्रवर समिति को भेजे जाने के समय मैं ने इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला था । हम जानते हैं कि किन परिस्थितियों से वशीभूत हो कर यह प्रस्तुत किया गया था तथा इसको आवश्यकता को क्यों समझा गया था । २६ राज्य हैं तथा १७ राज्यों के परिसीमन सम्बन्धी आदेश दिये जा चुके हैं । यह सूचना इसलिये दी गई है ताकि माननीय सदस्य यह जान सकें कि इसे इतनी शीघ्रतापूर्वक क्यों प्रस्तुत किया गया है । पांच राज्यों के सम्बन्ध में सार्वजनकि बैठकें हो चुकी हैं तथा अन्तिम परिसीमन आदेश शीघ्र ही दिये जाने को हैं । एक राज्य के सम्बन्ध में आयोग अभी अपनी अन्तिम सार्वजनकि बैठक कर रहा है । दो राज्यों के सम्बन्ध में सार्वजनकि बैठकें जनवरी तथा फरवरी में होंगी । उत्तर प्रदेश में परिसीमन सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है ।

चर्चा को कम करने के लिये मैं वहीं बात दुहराऊंगा जो मैं पहले कह चुका हूं । हैदराबाद तथा शोलापुर के सम्बन्ध में १९५१ की जनगणना से अनुसूचित जातियों के आंकड़ों में परिवर्तन हो जाने के कारण परिसीमन आयोग ने कुछ कार्यवाही की थी । मूलतः इस विधेयक को प्रस्तुत करने का उद्देश्य उन राज्यों के लिये था जिनके आंकड़ों में परिवर्तन किये गये हैं तथा अन्तिम आदेश नहीं दिये गये हैं । परन्तु जब यह प्रस्ताव पिछली बार प्रस्तुत किया गया था तो मैं ने कहा था कि सरकार सभी सम्भव कार्यवाही करेगी और उन राज्यों में वही कार्यवाही करेगी जो कि सौराष्ट्र तथा हैदराबाद में की गई है ।

उस विवरण के अनसार प्रवर समिति ने अपना क्षेत्र विस्तृत कर लिया है । अतः इस नये खंड से, जिन राज्यों में अन्तिम आदेश नहीं दिये गये हैं केवल वहीं के ही स्थानों का पुनर्विचार करने और आदेशों के पुनरीक्षण करने का उपबन्ध नहीं किया गया है बल्कि उन राज्यों के सम्बन्ध में भी पुनर्विचार करने का भी उपबन्ध है जहां अन्तिम आदेश दे दिये गय है । इस उद्देश्य के लिये खण्ड ९-क में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, यह माननीय सदस्यों को ज्ञात होना चाहिये । तुलना करने पर हम ज्ञात हुआ कि जिन राज्यों में अन्तिम आदेश दिये जा चुके हैं यदि वहां पर, जहां कहीं भी पुनरीक्षण करना आवश्यक हो अनुसूचित जातियों की सहायता नहीं की गई तो यह न्यायोचित नहीं होगा । आखिर पुनरीक्षण तो करना ही है । किन्तु एक बात सभा के सब सदस्यों को ध्यान में रखनी चाहिये,

[श्री पाटस्कर]

क्योंकि अनेक संशोधनों की सूचना मुझे दी गई है। पिछली बार के भाषण के सम्बन्ध में भी निर्देश किया गया है। यह विधेयक तो परिसीमन आयोग को केवल यह अधिकार देता है कि चाहे अन्तिम आदेश दे दिये गये हों तथापि वह उन आंकड़ों पर विचार करे जो जनगणना प्राधिकार द्वारा ठीक किये गये हैं। मुख्यत: आंकड़े सुधारने का यह काम जनगणना प्राधिकार का है कि इस विधेयक का क्षेत्र विस्तृत करने का उद्देश्य यह है कि राज्यों में चाहे अन्तिम आदेश दे दिये गये हों अथवा न दिये गये हों उन राज्यों में जनगणना प्राधिकारियों द्वारा किए गये पुनरीक्षण के अनुसार इस विषय पर विचार किया जा सके। मुझे आशा है कि सभा के सभी दलों द्वारा इस परिवर्तन का स्वागत किया जायगा।

दूसरा उपबन्ध यह किया गया है कि यह कार्य जनवरी, १९५६ से पहले समाप्त हो जाना चाहिये, क्योंकि जैसा मैं ने कहा है आयोग का कार्य प्राय: समाप्त होने को था। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कोई मामला रह न जाय, हम ने यह उपबन्ध किया है कि जहां यह कार्य हो चुका है वहां अगले वर्ष इस पर पुनर्विचार कर लिया जाये।

इस कार्य के लिये यह एक वर्ष निश्चित करने की आवश्यकता इस लिये हुई कि हम इस कार्य को सदा के लिये अनिश्चित नहीं छोड़ सकते थे। हमें आशा है कि एक वर्ष में जनगणना प्राधिकारी यथावश्यकता अनुसूचित जातियों के आंकड़ों का पुनरीक्षण कर लेंगे। हम ने यह भी उपबन्ध किया है कि यदि परिसीमन आयोग एक वर्ष में अपना काम पूरा कर के समाप्त हो जाता है, तो पुनर्विचार करने आदि कार्यों का अधिकार निर्वाचन आयोग के हाथ में होगा। सरकार चाहती है कि अनुसूचित जातियों के साथ उसी प्रकार न्याय किया जाय जैसा कि सौराष्ट्र और हैदराबाद के विषय में किया गया है।

मैं समझता हूं कि प्रवर समिति ने जिस रूप में इस विधेयक को भेजा है उस से सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जा सकेगा। यह एक छोटा सा विधेयक है और जैसा कि मैं ने कहा, यदि इसे बहुत समय तक रोका गया तो सम्भव है कि परिसीमन आयोग तब तक अपना कार्य समाप्त कर ले और इससे परिणामस्वरूप अनेक प्रकार की दुविधायें उत्पन्न हो जायेंगी। अत: मैं आशा करता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक द्वारा यह कार्य सम्पन्न हो सकेगा, यह विधेयक समस्त सभा द्वारा स्वीकार किया जायगा, और यदि यह यहां पारित हो गया तो हम इसे द्वितीय सभा में भेज देंगे जहां यह कल पारित हो जायेगा।

श्री राघवाचारी : इस विधेयक पर मतदान होने से पूर्व मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या अन्य राज्यों के साथ साथ आंध्र पर भी यह विधेयक लागू किया जायगा जहां चुनाव होने ही वाले हैं? ऐसा करने से वहां अनुसूचित जातियों के स्थान बढ़ जायेंगे।

श्री पाटस्कर : कठिनाई यह है कि वहां चुनाव तो शीघ्र ही होंगे और जनगणना प्राधिकार को इस कार्य में कुछ समय लग जायगा। सभा तो यह चाहती है कि वहां शीघ्र से शीघ्र चुनाव किये जायें।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : जी हां, शीघ्र से शीघ्र।

श्री पाटस्कर : इन परिस्थितियों में निर्वाचन को आगे सरकाना ठीक नहीं है । यदि हम यह कार्य कर सकते तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती, किन्तु हमें पता चला है कि यह कार्य इतनी जल्दी नहीं हो सकता है । दुर्भाग्य से वही एक राज्य ऐसा है जहां पांच वर्ष तक वर्तमान ढंग ही जारी रहेगा । यदि यह परिवर्तन करने ही आवश्यक समझे जायें तो निर्वाचनों को हटाना पड़ेगा और ऐसा करना साधारण जनता के दृष्टिकोण से वांछनीय नहीं होगा ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : मुझे यह कहना है कि पिछली जनगणना में लगभग आठ लाख हरिजन वहां छूट गये हैं । इस का यह अर्थ है कि अनेक रक्षित स्थान रह गये हैं ।

एक माननीय सदस्य : आंध्र और मद्रास दोनों में यही हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या निर्वाचन आयुक्त से आंध्र के विषय पर पहले विचार करने की प्रार्थना नहीं की जा सकती है ?

श्री पाटस्कर : मैं जनगणना-प्राधिकारियों से इस विषय को पहले लेने के लिये कह सकता हूं, किन्तु मुझे निश्चय नहीं है कि इस थोड़े से समय में यह कार्य हो भी सकेगा । अभी यह बताया गया है कि लगभग आठ लाख हरिजन वंचित हो गये हैं । पहले तो इसी बात का ही निश्चय करना होगा । साथ ही इस का सम्बन्ध आंध्र और मद्रास दोनों राज्यों से है । यद्यपि हम आंध्र का हित करना चाहते हैं किन्तु केवल इसी कारण से निर्वाचन को लम्बित नहीं किया जा सकता है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : स्पष्टीकरण के लिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां तक संसदीय स्थानों का सम्बन्ध है क्या अगले आम चुनावों तक उन में जनगणना के अनुसार परिवर्तन कर लिया जायेगा ?

श्री पाटस्कर : अवश्य, अगले चुनाव तक समस्त भारत में ऐसा किया जा सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आंध्र की विधान सभा के लिये जो चुनाव होगा वह कोई उपचुनाव तो है नहीं । निर्वाचित सदस्य पांच वर्ष तक सदस्य रहेंगे । किन्तु क्या संसदीय निर्वाचन के लिये संशोधित जनगणना के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा या नहीं ?

श्री पाटस्कर : मैं ने कहा तो है कि ऐसा अवश्य किया जा सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु खण्ड ९-क के उपखण्ड (१) में यह उपबन्ध है कि यदि जनगणना आयुक्त को १ जनवरी, १९५६ से पूर्व यह पता चलता है कि जनगणना में कहीं कोई त्रुटि है तो वह उसे सुधार सकता है । क्या ऐसा करने से संसदीय निर्वाचन में कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी ?

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : नहीं, नहीं, कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलुरु) : मैं यह बताना चाहता हूं कि जनगणना आयोग अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में साधारण वृद्धि के आंकड़े आसानी से प्रस्तुत कर सकता है ।

उदाहरण के लिये मद्रास में अनुसूचित जातियों की वृद्धि ४·७३ प्रतिशत आंकी गई है । इसी प्रकार आंध्र में भी उपबन्ध हो सकते हैं । यदि यही मान लिया जाय कि चुनाव पन्द्रह बीस दिन के लिये लम्बित भी हो जायें तो कोई प्रलय नहीं हो जायेगा ।

श्री एन० एम० लिंगम : इस विषय पर नियमित चर्चा होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं :

> "परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर जिस रूप में वह प्रवर समिति द्वारा प्रत्यावेदित किया गया है, विचार किया जाये ।"

मेरे पास अनेक संशोधनों की सूचना आ चुकी हैं । जब विधेयक पर खंडवार विचार किया जाय उस समय ये संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे भाषणों में अधिक समय न लें हमारे पास समय बहुत कम है ।

श्री एन० एम० लिंगम : मुझे खेद है कि मैं इस विधेयक की धाराओं से रूपेण सहमत नहीं हूं । जब १९५२ में यह अधिनियम पारित किया गया था उस समय यह कहा गया था कि इस के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । अब यह बताया गया है कि कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनगणना के आंकड़े ठीक नहीं हैं । हो सकता है कि यह सत्य हो, किन्तु प्रस्तुत विधेयक में तो यह उपबन्ध है कि समस्त राज्यों के आंकड़ों का पुनरीक्षण किया जा सकता है । इस का परिणाम अच्छा नहीं होगा । इस से चुनाव में बड़ी गड़बड़ी हो जायेगी । अच्छा तो यह होता कि प्रत्येक राज्य में जो अशुद्धियां हैं उन के आंकड़े सभा में प्रस्तुत किये जाते ।

इस विधेयक के अनुसार तो परिसीमन आयोग का कार्य सदैव चलता ही रहेगा । यद्यपि १ जनवरी, १९५६ को इस के काम के समाप्त होने का उपबन्ध है तथापि अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों उपस्थित हो सकती हैं और चुनाव के लम्बित होने की पूरी आशंका है यह विधेयक चाहे आज ही पारित हो जाय किन्तु इतना मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इस के द्वारा राज्यों में जनसंख्या के आंकड़ों के विषय में सम्भ्रान्ति उत्पन्न न की जाय । जहां तक मुझे याद है इन आंकड़ों से संसदीय निर्वाचनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । यह मुझे निर्वाचन आयोग से ज्ञात हुआ है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : आप की सूचना असत्य है ।

श्री एन० एम० लिंगम : यदि निर्वाचन-आयोग की बात असत्य है तो समझ में नहीं आता कि हम किस की बात पर विश्वास करें । क्या हम किसी भी सूत्र से गड़बड़ी का पता चलते ही बिना सोचे समझे विधान में संशोधन करने के लिये तैयार हो सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक में तो एक व्यापक उपबन्ध किया जा रहा है । उस के अनुसार जिस किसी निर्वाचन क्षेत्र में गड़बड़ी हो वहां आंकड़ों को सुधारा जा सकता है ।

श्री एन० एम० लिंगम : इस से सारे देश के निर्वाचन क्षेत्र आपत्तियां उठाने लगेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है । यह उपबन्ध केवल उन जातियों के सम्बन्ध में है जो अनुसूचित जातियों की सूची में रखी जाने से रह गई हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : इस का निर्णय तो काफी छानबीन के बाद किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिये तो इतना समय दिया गया है ।

श्री एन० एम० लिंगम : कुछ भी हो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग स्वयं अपना भविष्य समझते हैं । मेरी तो यही धारणा है कि समस्त राज्यों

पर इसे लागू करके निस्सन्देह इस अधिनियम का क्षेत्र बहुत विस्तृत कर दिया गया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मेरे मित्र श्री एन० एम० लिंगम ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यह प्रश्न कैसे उठा है । इस में एक मूलभूत प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है ।

कुछ राज्यों में जनगणना के आंकड़े ग़लत हैं । जनगणना आयुक्त ने यह मामला परिसीमन आयोग को भेजा है और वह आयोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के स्थानों के बारे में विचार कर रहा है ।

यह गलती इस कारण से हुई कि राष्ट्रपति के आदेश में कुछ जातियों के नाम दिये हुये थे । उन में हरिजन, अछूत आदि नाम सम्मिलित नहीं थे । इसलिये मुख्य-पंजीयन ने केवल निर्दिष्ट जातियों की गणना ही अनुसूचित जातियों में की जिस कारण से लाखों अनुसूचित जातियों के व्यक्ति गणना में नहीं आये । उदारहणार्थ, अविभक्त मद्रास में लगभग ८ लाख लोग छूट गये हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : उन के वक्तव्य का आधार क्या है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : आधार यह है कि जन गणना दस वर्षों के बाद होती है । आप १९४१ के आंकड़े देखें और फिर १९५१ के आंकड़े देखें । यह देख कर आप को पता लगेगा कि जहां दूसरी जातियों की जनगणना में वृद्धि हुई है, वहां अनुसूचित जातियों की संख्या में कमी हुई है । इसके साथ ही यह बात भी हम सभी जानते हैं कि ग़रीब लोगों के सन्तान अधिक होती है । इन बातों को देखते हुये हम यह मानना पड़ता है कि कहीं न कहीं ग़लती अवश्य हुई है । दूसरे, सारे लोग भी वहीं पर हैं, कोई कहीं और गये भी नहीं हैं । इन सब बातों से मुख्य पंजीयक को भी यह विश्वास हो गया है कि जनगणना में ग़लती हुई है । इसके अतिरिक्त यही बात हैदराबाद, सौराष्ट्र और राजस्थान में भी प्रमाणित हो चुकी है । वास्तव में राष्ट्रपति के आदेशानुसार एकत्रित आंकड़ों में परिवर्तन नहीं हो सकता और इसी कारण से यह मामला इस महान् सभा के सामने आया है । केवल यह सभा ही परिसीमन आयोग के निर्णय का पुनरावलोकन कर सकती है । इसके साथ ही हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों और श्री तिवारी जी के आभारी हैं जिन्होंने इस मामले का विशेष रूप से अध्ययन किया है ।

श्री लिंगम का कहना है कि फिर भी संसदीय स्थानों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा । किन्तु उन्हें पता है कि ५ लाख अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर एक सदस्य होता है । तो इस प्रकार मद्रास में ८ लाख व्यक्ति छूट गये हैं--इससे स्पष्ट है कि उनके स्थानों की तो कमी हो गई है । दूसरे मैं चाहता हूं कि आंध्र के लोगों को आगामी निर्वाचनों में विधान के लाभ दिये जायें । सभा को चाहिये कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाये । आखिर यह प्रतिनिधित्व का प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । महात्मा जी ने भी हरिजनों के दावे को माना ही था और १९३१ से निरन्तर आजतक हरिजन इस अधिकार का आनन्द भोग रहे हैं । यदि आंध्र के आगामी निर्वाचनों तक कुछ न हुआ तो वहां पर अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की ५ सीट कम हो जायेंगी । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह न्यायपूर्ण है कि हरिजनों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाये ? हम कोई नयी चीज़ की मांग नहीं कर रहे यह तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है । यदि निर्वाचनों को ३० दिन के लिये और स्थगित कर दिया जाय तो कोई हानि नहीं होगी । एक मास के समय में परिसीमन आयोग

[श्री बी० एस० मूर्ति]

मामले की जांच कर सकता है और हरिजनों को स्थान दे सकता है। मेरी प्रार्थना है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये। हरिजन आपके आभारी होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जो सदस्य प्रवर समिति के प्रतिवेदन से सहमत हैं, उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं और जो लोग इसका विरोध करना चाहते हैं वे ही बोलें। वास्तव में यह इरादा है कि आंकड़ों का पुनरीक्षण किया जाये, किन्तु आंध्र के मामले में मंत्री महोदय यह समझते हैं कि निर्वाचनों के निकट होने के कारण वहां हस्तक्षेप करना ठीक न होगा। इसके बाद हमें पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी प्रस्ताव को लेना है। अतः मेरा विचार है कि केवल विरोध करने वाले ही बोलें।

श्री जी० एन० सिंह (ज़िला बनारस—पूर्व) : हम लोग जो इस विधेयक के प्रतिवेदन से सहमत हैं, उन्हें कुछ बातें कहने का अवसर दिया जाये ताकि उन्हें सभा के सामने रखा जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई ऐसी नई बात कहनी है जो कि प्रतिवेदन में नहीं है। केवल वही लोग बोलें जिन्हें कुछ और नया कहना है।

श्री राघवाचारी : मैं अधिक कुछ न कह कर केवल यही कहना चाहता हूं कि इस समय सरकार को विचार करके आंध्र के निर्वाचनों को ४ या ६ सप्ताह के लिये स्थगित कर देना चाहिये और अनुसूचित जातियों को ४ या ५ सीटें दी जानी चाहियें। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आखिर गणना की गलती तो सभी जगह हुई ही है इसलिये यह विधेयक उपयुक्त ही है। जहां तक आंध्र का मामला है वहां पर २०० स्थानों में से हरिजनों को ५ स्थानों का घाटा पड़ेगा। २०० में ५ स्थानों का पर्याप्त महत्व है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मित्र का सुझाव है कि उनका एक मंत्री भी होना चाहिये।

श्री राघवाचारी : मंत्री तो उनका अब भी है। किन्तु फिर सरकारी नीतियों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस लिये यथा सम्भव शीघ्र गलती को ठीक करना चाहिये। अन्यथा इस ग़लती से अनुचित वर्ग को ५ साल तक व्यथित होना चाहिये। अतः मेरी प्रार्थना है कि निर्वाचन स्थगित कर दिये जायें। लोग तो सदैव कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। ४ या ६ सप्ताह के स्थगन से किसी बात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं वास्तविक दृष्टिकोण से यह बात कह रहा हूं। आंध्र का मामला शीघ्र निबटा दिया जाय। इससे वहां की एक बड़ी जाति को न्याय मिलेगा—अन्यथा वे लोग सोचेंगे कि उनसे न्याय नहीं हुआ है।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : यद्यपि सामान्यतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं किन्तु मैं कुछ महत्वपूर्ण दोषों का वर्णन भी करना चाहता हूं। हम इसके द्वारा अनुसूचित जातियों से केवल न्याय मात्र ही कर रहे हैं। वास्तव में अनुसूचित जाति देश की सब से पिछड़ी हुई जाति है और उन्हें जनगणना के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान भी नहीं है। दूसरे जो लोग इस काम में लगे हुये हैं उन्हें भी उस काम में कोई हार्दिक अभिरुचि नहीं है। वे लोग वैसे ही तहसीलों में जाकर आंकड़े देख लेते हैं और दूर दूर ग्रामों में नहीं जाते। इसका परिणाम यह होता है कि इस कारण से बहुत से लोग रह जाते हैं। किन्तु दूसरी बात हिसाब में ग़लतियां हो जाने की है—हिसाब में ग़लतियों के

कारण भी उन लोगों की संख्या कम हो जाती है। हम पहली कमी को तो दूर नहीं कर सकते किन्तु दूसरी को तो ठीक कर ही सकते हैं। इसी कारण से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आखिरकार पिछड़े वर्गों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये और उन्हें अपनी आवाज़ पहुंचाने का अवसर मिलना ही चाहिये।

मेरे विचार में परिसीमन अधिनियम की कमियां इस विधेयक द्वारा दूर हो जायेंगी। किन्तु विधेयक के एक पहलू से बड़ी असुविधा भी हो सकती है। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार ने धारा ९-क के समस्त प्रभावों पर विचार किया है अथवा नहीं। इसमें यह उपबन्ध है कि जब जनगणना प्राधिकारी आंकड़ों को दोबारा जांचें,

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

अथवा परिसीमन आयोग के समाप्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग को चाहिये कि अनुसूचित जातियों के स्थान ठीक करे। यह सिद्धान्त बड़ा अच्छा होगा इस खंड के प्रवर्तन में रहने की कोई सीमा भी होनी चाहिये। यदि अब साधारण निर्वाचन हों और निर्वाचन क्षेत्रों के परसीमन के बारे में अन्तिम आदेश निकाल दिया जाये तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होने चाहियें—इससे बहुत अधिक असुविधा होगी—जनगणना वाले यदि अपने आंकड़ों को बाद में ठीक करें तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होने चाहियें—अन्यथा निर्वाचन कार्य-क्रम अस्त-व्यस्त हो जायेगा। इसी कारण से इस बात का उपबन्ध अवश्य ही होना चाहिये कि परिवर्तन एक विशिष्ट समय तक ही किये जा सकें। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में मतदान से दो मास पूर्व की कोई ऐसी तारीख़ निश्चित कर दी जाये, जिससे उम्मीदवारों में बेचैनी न फैले।

पहले अवस्था यह थी कि निर्वाचनों पूर्व परिसीमन आयोग एक अन्तिम आदेश जारी करता था और उसी के अनुसार निर्वाचन होते थे। किन्तु अब धारा ९-क में परिवर्तन की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वास्तव में उसी समय परिवर्तन करना पड़ेगा जब आंकड़े ठीक हो जायेंगे, किन्तु यह काम १ जनवरी, १९५६ से पूर्व हो जाना चाहिये। मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस बात पर विचार करे। इस प्रयोजन के लिये एक विशिष्ट तिथि निश्चित कर दी जाये। और मतदान से दो मास पहले ही जो कुछ करना हो, वह कर लिया जाये। उस समय तक के परिसीमित निर्वाचन क्षेत्रों में ही निर्वाचन होना चाहिये। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और समझता हूं कि इसके द्वारा हमारे अनुसूचित जातियों के भाइयों के साथ न्याय होगा।

श्री बर्मन (उत्तरी बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अब अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्य-रूपी का अन्तिम पद है। अभी हमें पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन पर भी चर्चा करनी है। यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति न हो तो हमें परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक शीघ्रातिशीघ्र पारित कर देना चाहिये। पिछले सत्र में भी हम इस प्रतिवेदन पर विचार नहीं कर सके। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि श्री श्रीकान्त के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये भी समय दिया जाये।

सभापति महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्य की प्रार्थना ठीक ही है। पिछली बार भी हम इस प्रतिवेदन पर पर्याप्त विचार नहीं कर सके। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे संक्षिप्त भाषण दें।

श्री टी० एन० सिंह : मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यह विधेयक बड़ा ही

[श्री टी० एन० सिंह]

लाभकारी है--क्यों कि इसके द्वारा अनुसूचित वर्गों के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा । संभवतः यह संरक्षण उनका अन्तिम संरक्षण होगा, क्योंकि संविधान में ऐसा उपबन्ध है । हम नहीं चाहते कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के दिलों में अब कोई शिकायत रहे । दूसरी बात यह है कि श्री साधन गुप्त ने जो यह कहा है कि इससे निरन्तर परिवर्तन होते रहेंगे, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक सीमा निर्धारित की जा चुकी है । अर्थात् १ जनवरी, १९५६ के बाद कोई परिवर्तन न होगा । साधारण निर्वाचन १९५७ में होंगे और इन परिवर्तनों का केवल कुछेक भागों पर ही प्रभाव पड़ेगा । इसलिये कोई विशे कठिनाई नहीं होगी ।

श्री साधन गुप्त : स्पष्टीकरण के हेतु मैं पूछना चाहता हूं--कि जैसे ावनकोर-कोचीन में यदि मंत्रिमंडल के भंग हो जाने पर कल निर्वाचन करने पड़ें तो निर्वाचन क्षेत्रों में १-१-५६ तक परिवर्तन किये जा सकते हैं--अर्थात् निर्वाचनों के मध्य भी संशोधन हो सकता है । वास्तविक कठिनाई यही तो ै । इसका उत्तर क्या है ?

श्री टी० एन० सिंह : वास्तव में जो भी आदेश जारी किया जा चुका है उसे किसी न्यायालय में नहीं रखा जा सकता । जो पहला परिसीमन है वह नये जनगणना के आंकड़ों से रद्द नहीं होगा ।

श्री बर्मन : इस सभा के विघटित होने तक ।

श्री टी० एन० सिंह : जी हां, । यह एक विशाल देश है, इसमें लगभग ४,००० या ५,००० निर्वाचन क्षेत्र हैं । परिसीमन आयोग के सामने निस्सन्देह एक बहुत बड़ा काम था, और उसम अनेक दोषों का रह जाना स्वाभाविक है । मैं चाहता हूं कि पुनरीक्षण प्राधिकारी को अधिक शक्तियां दे दी जायें, ताकि वह इन दोषों को दूर कर सके । निर्वाचन क्षेत्र के सन्निकट न होने की ग़लतियां अक्सर हो जाती हैं, और यह बात पिछली बार भी हुई थी । निर्वाचन आयुक्त को इन मामलों को नियमित करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये । कभी कभी ये ग़लतियां केवल ग़लत लिखने के कारण ही नहीं होती हैं । पटवारी क्षेत्रों में अधिकतर ग़लतियां हैं, उनको लेखपाल क्षेत्रों में परिवर्तित किया जाता है । राजस्व के लेखों में हेरफेर किया जाता है । ये सारे दोष विद्यमान हैं । इसी आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया है । मुझे सन्देह है कि यह संशोधन उन सारे दोषों को दूर कर सकेगा ।

आंकड़ों के सम्बन्ध में मैं एक बात का उल्लेख करूंगा । मेरे विचार में जनगणना अधिकारियों ने अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाया है और बावजूद उन ग़लतियों के जो कि रह गई हैं मैं उनके प्रतिवेदन की प्रशंसा करता हूं । जनगणना की जांच करने के लिये दो तरह के आंकड़े होते हैं, पहला नागरिकों का राष्ट्रीय अभिलेख और दूसरा आरम्भिक जनगणना कुछ राज्यों में नागरिकों का राष्ट्रीय अभिलेख नहीं है । जिससे अपेक्षित विवरण के साथ अनुसूचित जातियों की संख्या मालूम करना कठिन हो जाता है । जनसंख्या की वृद्धि से गणना का प्रयोग सिद्ध ढंग बिल्कुल ठीक नहीं समझा जाता, और बहुत से लोग इस ढंग को स्वीकार नहीं कर सकते । यही एक गम्भीर समस्या है और जब तक स्वयं संसद् ही इस विषय पर एक विधि पारित नहीं करती, जनगणना प्राधिकारी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते । संविधान के अनुच्छेद ३४१(२) के अनुसार केवल संसद् ही अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ घटा-बढ़ा सकती है ।

तीसरी बात, मैं आंध्र के बारे में कहना चाहूंगा । आन्ध्र के विधान मंडल के लिये यह अन्तिम चुनाव है । दस साल की अवधि समाप्त हो जायेगी । मेरी समझ में यह नहीं आता कि आन्ध्र विधान मंडल में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति होगी । हममें से हर एक इस बात के लिये चिन्तित है, कि अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हो । किन्तु यह कहना कि केवल इसीलिये आन्ध्र का चुनाव नहीं टाला जायेगा अथवा कि यह एक राजनैतिक आन्दोलन है, उचित नहीं है । मैं कभी नहीं चाहता कि आन्ध्र के चुनाव स्थगित किये जायें, फिर भी मैं यह अनुभव करता हूं कि आन्ध्र की अनुसूचित जातियों के साथ न्याय होना चाहिये और इसके लिये मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से ही निवेदन करता हूं कि वे सरकार को इस बात की सलाह दें कि अनुसूचित जातियों के मामले में क्या होना चाहिये । मुझे आशा है कि कांग्रेस दल और सरकार इस मामले में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के विचारों का स्वागत करेगी ।

श्री भागवत झा आज़ाद (पूर्निया व संथाल परगना) : मैं सभा का ध्यान केवल दो तीन बातों की ओर ही आकर्षित करना चाहता हूं । इस मामले में बिहार को सब से अधिक नुकसान रहा है । पहली निगाह में, यह विधेयक साधारण प्रतीत होता है, किन्तु अनुसूचित जातियों के साथ न्याय करने की दिशा में यह अत्यन्त प्रभावशाली है ।

मैं ने और मेरे कुछ अन्य संसद् सदस्य मित्रों ने एक पत्र के द्वारा गृहमंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया है कि बिहार के कुछ भागों में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के साथ कितना अन्याय किया गया है । दरभंगा भारत के ज़िलों में से एक है । । इसकी जन संख्या ३७ लाख है । किन्तु हम देखते हैं कि जनगणना के समय इस ज़िले को बड़ी बुरी हालत की गयी । इसके एक सब डिवीज़न की जनसंख्या २,११,००० से १,८९,००० कर दी गई है । मैं और अधिक आंकड़ों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझता : मेरे माननीय मित्र श्री मिश्र ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है, जिसका अभिप्राय किसी प्रकार भी आयोग अथवा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करने वाले अधिकारियों पर आक्षेप करना नहीं है । इसका केवल यह तात्पर्य है कि आयोग का अन्तिम परिसीमन आदेश अनुमोदन के लिये सभा के सामने रखा जाना चाहिये, ताकि यदि परिसीमन आयोग द्वारा भूल से कोई ग़लती हो जाये, तो संसद् उसको सुधार सके ।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं इसका स्वागत करता हूं । जो कुछ ग़लती हो गयी है, उसको जल्दी ही सुधारा जाना उत्तम है । परन्तु इस विषय में सब से अधिक अन्याय बिहार के साथ हुआ है ।

श्री जांगड़े (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : पहले जो बिल आया था और जो अब प्रवर समिति के पास से आया है इन दोनों में बहुत अन्तर है । जो अब बिल प्रवर समिति से आया है इससे अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को बहुत फायदा होगा । इसलिये मैं इस संशोधित बिल का हृदय से स्वागत करता हूं । फिर भी मुझे दो एक सुझाव भवन के सामने रखने हैं ।

मेरा पहला सुझाव यह है कि जिन प्रदेशों में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की संख्या निर्धारित करना कठिन हो जाय, उनमें सेंसस के रजिस्ट्रार जनरल को उन्हीं तरीक़ों से काम लेना चाहिये जिन से उन्होंने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली आदि में अनु-

[श्री जांगड़े]

सूचित जातियों की संख्या निर्धारित करने में काम लिया है ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : दिल्ली में जो संख्या निर्धारित की गयी है वह सर्वथा ग़लत है ।

श्री जांगड़े : पहले जो बिल आया था उसके अनुसार तो दो चार राज्यो में यह पता चला था कि कुछ ग़लती हुई है । पर ज्यों ज्यों हम गहराई में जाते हैं हमको मालूम होता है कि अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार की ग़लतियां मौजूद हैं । इसलिये इस बिल का संशोधित रूप में आना बहुत अच्छा रहा । मैं देखता हूं कि राष्ट्रपति की १९५० की आज्ञा और १९५१ की जनगणना के बीच में अनुसूचित जातियों की संख्या में बहुत कमी कर दी गयी है । हैदराबाद आदि कुछ स्थानों में तो आदिम जातियों की संख्या ४७ प्रतिशत और २९ प्रतिशत तक घटा दी गयी है । मैं नहीं समझ सका कि किन कारणों से इन स्थानों में आदिम जाति के भाइयों की संख्या इतनी घटा दी गयी । तो ऐसी अवस्था में क्या यह प्रश्न नहीं उठता है कि जो सेंसस ऑथारिटी है यह फिर से जांच करे और डिलिमिटेशन कमीशन अपने फाइनल आर्डर को रिवाइज़ करे । इसके लिये यह बिल बहुत आवश्यक है ।

जैसा कि हमारे मित्र श्री भागवत झा आज़ाद ने कहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन के फाइनल आर्डर को जो कि आने वाला है संसद् के सामने स्वीकृति के लिये लाना चाहिये । यह अत्यन्त आवश्यक है । अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि यह डिलिमिटेशन कमीशन की ग़लती नहीं है बल्कि यह तो सेंसस आथारिटी की ग़लती है । पर यदि आप बारीक़ी से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार भी डिलिमिटेशन कमीशन ने कहीं पर कुछ किया है और कहीं पर कुछ किया है । इस लिये इस बिल की आवश्यकता थी । अब हर एक जगह पर ग़लतियां महसूस की जा रही हैं । इसलिये इस सदन के सामने इस सदन की स्वीकृति के लिये डिलिमिटेशन कमीशन का फाइनल आर्डर आना बहुत ज़रूरी है । यह बात नहीं है कि हमको अपनी कान्स्टीट्यूएंसी के बदलने का दुःख है, न इस में कोई पार्टी पालिटिक्स का प्रश्न है, न किसी दल विशेष की हार और जीत का प्रश्न है, बल्कि हम यह इसलिये चाहते हैं कि इस प्रकार हम को न्याय होने की आशा है । कुछ लोगों को जो भ्रम है वह इस प्रकार से दूर हो जायगा । इसके अतिरिक्त जो अब चुनाव होगा वह संविधान के अनुसार हरिजनों के लिये अन्तिम चुनाव होगा । इसको ठीक प्रकार से होना चाहिये । यह केवल एक या दो सीटों का ही सवाल नहीं है । यह इक्का-दुक्का स्थानों का प्रश्न नहीं है, किन्तु यह तो सरकार के सद्भाव का प्रश्न है । सवाल यह है कि जो सरकार की वफादारी की भावना शिड्यूल्ड कास्ट वालों और आदिम जातियों के प्रति है उसको ठीक से निभाया जाना चाहिये । इसलिये डिलिमिटेशन कमीशन का जो १९५१ के बाद का फाइनल आर्डर आने वाला है उसको इस सदन की स्वीकृति के लिये आना चाहिये ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार जनरल सेंसस ने निष्पक्षता से काम किया है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन प्रान्तों से आवेदन पत्र या कम्प्लेंट्स नहीं भी आयी हैं उन में भी उनको फिर से जांच करनी चाहिये और देखना चाहिये कि यदि कुछ अनुसूचित जातियां अपने को भिन्न भिन्न नामों से पुकारती हैं इस कारण

से उनकी संख्या कम न हो जाय । हम देखते है कि एन० सी० आर० और सेंसस के फिगर में फर्क है । यू० पी० में एक ज़िला गोंडा है जहां पर कि सेंसस में तो पापुलेशन ज्यादा बतलायी गयी है और एन० सी० आर० में कम बतायी गयी है । यह बात समझ में नहीं आती । इसलिये मैं चाहता हूं कि सेंसस के रजिस्ट्रार जनरल साहब फिर खोज करें । क्योंकि बहुत सी आदिम जातियां जो कि एक ही हैं अपने एक एक हिस्से को अलग अलग नामों से पुकारती हैं, जिन को सरकार नहीं जानती है और न यहां पर कोई जानता है । इसको तो केवल उस क्षे के लोग ही जानते हैं । मैं समझता हूं कि जातीय बन्धनों के कारण कुछ अनुसूचित जातियों के लोग अपने को दलित जातियों से ऊंचा बताने के लिये अपने को अलग अलग नामों से पुकारने लगे हैं । इन ग़लतियों को सुधारना चाहिये । चाहे किसी प्रान्तीय सरकार की तरफ से आवेदन पत्र आये या न आवे । मैं समझता हूं कि यह रजिस्ट्रार जनरल का कर्तव्य है कि वह इस बात की खोज करे और इस प्रकार की ग़लतियों को ठीक करें । मुझे दुख है कि राजस्थान में हरिजनों की संख्या ८८ हज़ार कम कर दी गयी केवल इसी कारण कि कुछ लोग अपने को यादव और कुछ जाटव कहते हैं । वास्तव में ये दोनों एक ही हैं । इस फिगर को रजिस्ट्रार जनरल फिर से रिवाइज़ करें । यही मेरी अन्तिम प्रार्थना है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल (ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली—पूर्व) : मूल विधेयक का जो कि इस सभा में पुरः स्थापित किया गया था । क्षेत्र निस्सन्देह बड़ा सीमित था ।

श्री पाटस्कर : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । अभी तक सारे सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है । अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि अन्य सदस्यों के तर्कों का उत्तर देने की बजाय विशिष्ट बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना ही आर्थिक अच्छा होगा और ऐसा करना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हित में भी होगा ।

श्री एम० एन० अग्रवाल : यह हर्ष की बात है कि यह विधेयक, जो कि सभा के समक्ष आया है, काफी सुधर गया है और इसका क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है । किन्तु मैं इसको थोड़ा व्यापक और बनाना चाहता हूं । चर्चा के दौरान में यह बताया गया है कि परिसीमन आयोग ने अनेक बड़ी बड़ी ग़लतियां की हैं । उदारहण के लिये, कुछ राज्यों के सम्बन्ध में उसने संशोधित आंकड़ों को मान लिया है, और कुछ के सम्बन्ध में नहीं । संविधान में यह उपबन्ध किया गया है कि कम से कम इतनी संख्या के लिये एक प्रतिनिधि होना चाहिये । परिसीमन आयोग ने इस उपबन्ध की उपेक्षा की है । इसके पश्चात् लोक-सभा में भाग 'ग' राज्यों की अनुसूचित जातियों का एक विशेष प्रतिनिधत्व होना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं किया गया है । परिसीमन आयोग ने परिसीमन आयोग अधिनियम में निहित निदेशों को भी नहीं माना है । इन सब दोषों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि परिसीमन आयोग के ऊपर एक पुनरीक्षक प्राधिकारी की स्थापना की जाये । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सभा में संशोधन रखे गये हैं, और माननीय मंत्री को उन्हें स्वीकार करना चाहिये ।

जहां तक अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों की जन संख्या का सवाल है, १९५१ की गणना में उनकी संख्या में काफी कमी आ गई है यह केवल संयोग की बात है नहीं है, अपितु महा-पंजीयक ने स्वयं भारत की जनगणना, पत्र संख्या ४, १९५३ में इसका कारण स्पष्ट किया है । जो ग़लतियां

[श्री एम० एल० अग्रवाल]

पाई गईं उनके आधार पर महापंजीयक ने हैदराबाद और सौराष्ट्र के आंकड़ों का पुनरीक्षण किया। यदि इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी अनुसूचित जातियों और आदिम-जातियों की जन संख्या सम्बन्धी आंकड़ों का पुनरीक्षण किया जाये, तो हम देखेंगे कि राज्य विधान मंडलों और लोक-सभा दोनों में उनको अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये था। अतः यह आवश्यक है कि उन आकड़ों का पुनरीक्षण किया जाये। विधेयक में जनवरी, १९५६ तक का जो समय दिया गया है वह पर्याप्त प्रतीत नहीं होता।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह सन्देह प्रकट किया गया है कि बार बार पुनरीक्षण होने से बड़ी असुविधा होगी। किन्तु बार बार पुनरीक्षण होने का प्रश्न ही नहीं है। आन्ध्र के मामले का उल्लेख किया गया था। उन्हें उतना प्रतिनिधित्व देना ही चाहिये, जितने के वे अधिकारी हैं। यदि सरकार इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन परिसीमन आयोग को आन्ध्र के मामले का पुनरीक्षण करने का निदेश दे दें, तो इस कार्य में कुछ ही हफ्ते लगेंगे। मेरा विचार है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के साथ न्याय करने के लिये यदि आन्ध्र में चुनाव कुछ समय के लिये स्थगित भी करना पड़े, तब भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिये। इतना कह कर मैं इस विधेयक का उस रूप में जिसमें यह प्रवर समिति से आया है, समर्थन करता हूं।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़): जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, मैं इस विधेयक का, जिस रूप में कि यह प्रवर समिति से आया है, दो कारणों से समर्थन करता हूं। अधिकांश राज्यों में, यह प्रतीत होता है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की गणना कम की गई है। किन्तु राजस्थान के कुछ ज़िलों की स्थिति कुछ भिन्न रही है। अलवर का ही उदाहरण लीजिये। अलवर में ८६,००० अहीरों की गणना अनुसूचित जातियों में कर ली गई, क्योंकि वहां पर अहीरों को अहीरदे की श्रेणी में रख दिया गया। बाद को अहीरों के अभ्यावेदन पहुंचने पर परिसीमन आयोग ने इस ग़लती को जाना और अब उसके सुधारने की कोशिश की जा रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस विधेयक से राजस्थान के लोगों को बड़ी सहायता मिलेगी और इसी प्रकार की अनेक ग़लतियां सुधर सकेंगी।

अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में उदयपुर डिवीज़न के भीलों को काफी नुक़सान पहुंचा है। भील अपने को मीना भील कह कर पुकारते हैं। मीना राजस्थान की एक प्राचीन आदिम जाति है और यह अनुसूचित आदिम जाति नहीं समझी जाती है। जब भीलों ने अपने आपको मीना बताया, तो उन्हें अनुसूचित आदिम जातियों से निकाल दिया गया, और उन्हें भील नहीं माना गया। बाद को भीलों ने इसके बारे में अभ्यावेदन किया और बताया कि वे भील हैं। मुझे आशा है कि प्रवर समिति ने अपने प्रतिवेदन द्वारा इस विधेयक में जो सुझाव दिया है, उसका ध्यान रखा जायेगा और यह दोष दूर कर दिया जायेगा।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: सभापति महोदय, यह विधेयक जो इस सदन के सामने आया है, पहले तो यह जान पड़ा कि इसका क्षेत्र इतना सीमित है कि हम लोग शायद ऐसे विधेयक का किसी प्रकार समर्थन नहीं कर सकेंगे लेकिन मंत्री जी जो कि इसके ज़िम्मेदार हैं उनकी सहानुभूति के कारण और जिस सहानुभूति से उन्होंने इस योजना

पर विचार किया है और जो कुछ इस सीमित क्षेत्र के अन्दर कर सके वह सब कुछ करने को तैयार हुये तो सेलेक्ट कमेटी का वायु-मंडल बदला जिसके कारण प्रायः आपने देखा कि जो संशोधन हो गये हैं उनमें सम्भव है कुछ थोड़े से ही सदस्य ऐसे हों जो उससे सहमत न रह गये हों। मुझे जो एक बात निवेदन करनी है वह यह है कि मंत्री जी कितनी ही सहानुभूति रक्खें, कुछ भी करना चाहें वह विधेयक जिस शक्ल में आया है, उसका क्षेत्र इतना सीमित है, उसका दायरा इतना संकुचित है कि उसके अन्दर वह बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। सही बात तो यह है कि जब हम अपना संविधान बनाने लगे तब उस वक्त हमने ऐसी ऐसी चीज़ें रख दीं और व्यवहारिकता पर कुछ विचार नहीं किया। उस वक्त हम ने यह नहीं समझा कि हमको इसमें क्या क्या दिक्क़तें पड़ेंगी और कल को हमें इनके अन्दर जल्द ही संशोधन करना पड़ेगा। नतीजा यह हुआ कि संशोधन जब आता है तो लोग कहते हैं कि यह तो एक बहुत पवित्र चीज़ है, उसका संशोधन क्यों करना चाहते हो। हम जब एक कानून बना रहे हैं तो व्यवहारिकता पर दृष्टि डालनी चाहिये। दरअसल कौन सी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके ज़रिये से हम अपने चुनाव को सही रूप में ला सकते हैं। हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के भाइयों को इस तरह का हमारा कानून बना होने से क्षति पहुंच रही है। इस कानून में त्रुटि होने से कई लोग छूट गये जिससे उन को कई सीटें कम मिलीं। वाबजूद इस के कि यह विधेयक हमारे उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है और उसको इससे फायदा पहुंचने वाला है, जैसा कि सभी जानते हैं, इसके होते हुये भी मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हूं। दरअसल जितने देश भर के हमारे हरिजन भाई है, जितने शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उन सब को बराबर का फायदा पहुंचना चाहिये। बहुत से राज्य ऐसे हैं कि जिनमें फाइनल आर्डर्स भी हो चुके हैं और उन में अब कुछ हो नहीं सकता लेकिन सम्भव है कि जो संशोधन आया हुआ है इसके ज़रिये से कुछ उसका रास्ता खुला, लेकिन उस रास्ते को खोल देने के बाद भी मेरी यह धारणा है कि यह यू० पी० के बारे में जो कानून पास हो रहा है, यह और इसके अलावा और भी जो इस संशोधित विधेयक के ज़रिये आप कानून बनाने जा रहे हैं यह सारे का सारा जब किसी अदालत में पहुंचेगा तब उस वक्त यह सब बेकार हो जायेगा और किसी प्रकार से यह आगे नहीं चल सकता है। इस वास्ते ज़रूरत तो इस बात की है कि बुनियादी चीज़ पर आप ग़ौर करें और जब तक उस बुनियादी चीज़ पर आप ग़ौर नहीं करते हैं तब तक यह विधेयक पास करके और कानून बना लेने से हमारा कोई अर्थ निकलेगा नहीं।

एक और भी संशोधन आया हुआ है जो श्री रघुवर दयाल मिश्र जी ने दिया हुआ है और वह संशोधन यह है कि यह विषय हमारी लोकसभा के सामने आये। मैं नहीं जानता कि क्यों इसमें परेशानी होती है, क्यों इसमें इतनी बड़ी एक हिचक होती है कि अपनी कांस्टीटुऐंसी को हम ही यहां बैठ कर तय करें। इस सारे मुल्क पर इस पार्लियामेंट की हुकूमत है। जितने भी मामलात होते हैं यह पार्लियामेंट तय करती है तो हमारा तो इंटरेस्ट अपने देश में हर जगह है और ऐसा सोचना कि हम अपने इंटरेस्ट का काम करेंगे और दूसरों को रिजेक्ट करेंगे, यह कोई हमारा तरीक़ा होगा, इस तरह से सोचना ग़लत है, कभी भी इस तरह सोचना नहीं है। यही विचार आपके थे और यही विचारधारा थी जिसको कि अपने दिमाग़ में रख कर आपने अपना संविधान बनाया था। आज वह सविधान चलता नहीं है और

[पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय]

जब आप संशोधन की तरफ़ जाते हैं तो कुहराम मच जाता है। और जगह जो विधान बने हुये हैं वह एक व्यवहारिक तरीक़े के प्रैक्टिकल संविधान है जो ठीक ठीक समाज में चल सकते हैं। लेकिन हमने जो अपना संविधान बनाया उसमें बड़ी ऊंची ऊंची और हवाई बातें रक्खीं जो कि देवताओं के लोक में भले ही चल सकें मृत्यु लोक में वह नहीं चल सकती हैं और उनमें दिक्क़तें पड़ सकती हैं और हमें उनमें संशोधन करना पड़ता है, और जब संशोधन करने लगें तो एक कुहराम मचाना कि आप बैठ कर अपने मतलब के क़ानून बनाते जा रहे हैं, यह दुरुस्त नहीं है। संशोधन जो आवश्यक हो वह अवश्य करना है। सही काम करने में किसके हित में है और किसके अहित में है इस पर विचार नहीं होना चाहिये जब कि वह सार्वजनिक हित में हो। हम को इस मसले को आखिर में लोक सभा के सामने विचार के लिये लाना चाहिये क्योंकि इस लोकसभा के सदस्य लोग सारे देश की खाक छाने हुये हैं और चप्पा चप्पा घूमे हुये हैं और वह समझते हैं कि किस तरह से कान्स्टीटुऐंसी का बनाना ठीक होगा और कैसे ठीक से काम चलेगा। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। मैं यही निवेदन करूंगा कि इसमें हिचक न होनी चाहिये और वह मिश्र जी का संशोधन मान लिया जाना चाहिये। इसके अलावा यह आर्टिकल ३४१ के मातहत जो प्रेसीडेंट के आर्डर की तरमीम है, जब तक उस आर्डर में तरमीम करके आप उन जातियों को नहीं ला देते हैं जिन जातियों की तादाद के बाबत हम रिवाइज्ड संख्या लाकर उसके आधार पर कांस्टीटुऐंसीज़ बनाने जा रहे हैं, जब तक यह नहीं होता तब तक यह सारे का सारा आपका बनाया हुआ क़ानून बेकार हो जायगा। न यह हमारे यू० पी० के काम आयेगा और न किसी और के काम में आयेगा। मेरी अपनी सहानुभूति मंत्री जी के साथ में है कि वह इसमें कुछ नहीं कर सकते कारण कि उसका क्षेत्र सीमित है। हमने कोशिश की कि कोई संशोधन इसमें लायें और इसमें कुछ हो जाय लेकिन संशोधन इसमें नहीं आ सकता है क्योंकि इसका इतना सीमित दायरा है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय को न बातों पर ग़ौर करके दूसरा बिल लाना चाहिये जिस में सब चीज़ों का प्रबन्ध होना चाहिये। यह कुछ भी आगे हम को नहीं ले जा सकता है और खतरे में डालता है।

श्री कजरोलकर (बम्बई नगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति जी, यह जो संशोधित बिल लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। पहले जब यह दिल आया था तो वह हमारे मित्र श्री वेंकटेश नारायण तिवारी के प्रयत्नों का फल था और जिसके द्वारा यू० पी० के मामले में जो अन्याय हुआ था उसको रेक्टिफाई करने के लिये वह बिल आया था। तिवारी जी की कोशिश के अलावा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हमारे लीडर और स्पीकर साहब से खुद मिले थे और इन प्रयत्नों के फलस्वरूप वह बिल लाया गया था और हमने उनको धन्यवाद दिया कि हमारे साथ होने वाले अन्याय को उन्होंने दूर किया। लेकिन साथ ही साथ दूसरे बहुत से ऐसे मेम्बरान हैं जिनकी कि कांस्टीटुएंसीज़ के विषय में भी अन्याय हुआ है, तो वह अन्याय भी दूर होना चाहिये। बड़ी खुशी की बात है कि इस हाउस के मैम्बरान ने और ला मिनिस्टर श्री पाटस्कर साहब ने बड़ी सहानुभूति दिखाई और इस बिल को सिलेक्ट कमिटी के सुपर्द कर दिया। सिलेक्ट कमिटी में भी हमारे मैम्बरों ने इस बिल पर काफी सोच विचार किया और काफी सुधार किया है।

मैं जानता हूं कि यह सुधार सेंट परसेंट नहीं है लेकिन फिर भी यह बिल पहले से अब काफी अच्छा बन गया है। हमारे मित्र मूर्ति जी और जांगड़े जी ने बहुत सी कमियां बतलाईं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता और इतना ही कहना चाहता हूं कि सेंसस करते वक्त बहुत सी जातियों को शैड्यूल्ड कास्ट या शैड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में नहीं रखा गया है। इन जातियों को प्रेज़ीडेंट साहब और शैड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर साहब के नोटिस में लाया जाना चाहिये ताकि वे इन ग़लतियों को ठीक कर सकें। बैकवर्ड क्लासिस कमिशन जो नियुक्त किया, सौभाग्य से उस की रिपोर्ट भी जल्दी ही पेश होने वाली है। मैं उसका एक सदस्य होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि जो भी सुधार वह आपके सामने लाये उन पर पूरी पूरी तरह से अमल किया जाये ताकि जो अन्याय हरिजनों के साथ हुआ है वह ठीक किया जा सके। इसके साथ ही साथ मैं ला मिनिस्टर साहब से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो भी लिस्ट वह दे उस पर पूरी तरह से अमल किया जाये और उन जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल कर लिया जाये।

इतना कहो हुए मैं ला मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जो बातें मैं ने बताई हैं वे उन को अमल में लाने की कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय : सदस्यगण संक्षेप में बोलें।

श्री नवल प्रभाकर : सभापति महोदय, मैं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के बारे में विशेष तौर से कहना चाहता हूं। जो एस्टीमेट इन जातियों का किया गया है उसके बारे में मुझे बड़ा कटु अनुभव है। एक वर्ष से मैं लगातार इस काम में लगा हुआ हूं और मैं ने इस सम्बन्ध में कई पत्र भी लिखें हैं और कई मेमोरेन्डम भी भेजे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की किस तरह से गणना की गई है वह कमिश्नर की रिपोर्ट में पृष्ठ १०५ पर दी गई है। इस रिपोर्ट में लिखा है:—

> "भारत की जनगणना पेपर नं० ४ और राज्य की जनगणना तालिका में दिल्ली, बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों की जन संख्या के जो आंकड़े दिये गये हैं, वे भारत के संविधान के ३४१ और ३४२वें अनुच्छेदों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेश में जिन अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के नाम दिये हैं, उन की जन संख्या के साथ नहीं मिलते। अगले पैरा में स्पष्ट किये गये कारणों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों की पंजाब-पैप्सू सूची की जनगणना करते समय इस्तेमाल किया गया और बाद में यह मालूम हुआ कि स सूची और राष्ट्रपति के आदेश में सम्मिलित सूची में बहुत अधिक अन्तर है।"

जैसा कि मैं ने अभी पढ़ कर सुनाया दिल्ली की जनगणना करते समय पंजाब पैप्सू की सूचि को ही इस्तेमाल में लाया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि जो कामन जातियां थीं, जो पंजाब और दिल्ली में थीं उनकी गणना तो हो गई और वो जातियां जो इस लिस्ट में नहीं थी उनकी गणना होने से रह गई। १६ जातियां ऐसी थीं जो कि पंजाब में भी थीं और दिल्ली में भी थीं, इन को तो गिन लिया गया परन्तु २५ जातियां छोड़ दी गईं। इन २५ जातियों के सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट तैयार किया। जब यह स्टेटमेंट भेजा गया तो जवाब में

[श्री नवल प्रभाकर]

मुझे कहा गया कि यह जातियां १९११ में, या १९२१ में या १९३१ की लिस्ट में कहीं भी नहीं हैं। मैं मिसाल के लिये बलाई जाति को ही लेता हूं जिस के बारे में यह कहा जाता है कि यह कहीं भी नहीं मिलती। पहले यह जाति राजस्थान में बसी और अब यह दिल्ली में आ कर रहने लग गई है। इस जाति के सम्बन्ध में डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल ने मुझे लिखा है कि यह जाति नान-अवेलेबल है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर वह कहते हैं कि यह जाति नान-अवेलेबल हैं तो वे मेरे साथ चलें और मैं दिखाऊंगा कि यह जाति अवेलेबल है या नान-अवेलेबल। मैं दावे से कह सकता हूं कि इस जाति के सम्बन्ध में जो उन्होंने कहा है कि इसका एक भी आदमी नहीं है, कम से कम इस जाति की आबादी दिल्ली में ४०,००० है। अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो हम वास्तविकता से बहुत दूर चले जायेंगे। तो मेरी ला मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि इस काम में व्यावहारिकता ज़रूर होनी चाहिये और इस बिल में लिखना चाहिये कि जो जातियां छूट गई हैं चाहे वह कितनी संख्या में ही क्यों न हों उन को लिस्ट में शामिल कर लिया जाये। अगर हम इसी तरह से चले कि यह जातियां १९११ में नहीं थीं, १९२१ में भी नहीं थीं, १९३१ में नहीं थी और १९४१ में इनके होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो यह ठीक न होगा। इस काम में व्यावहारिकता से काम लिया जाये और हर स्टेट के अन्दर जा कर देखा जाये इन नामों की कोई जातियां हैं। बलाई जाति के इलावा ८ या ९ और ऐसी जातियां हैं जो कि छोड़ दी गई हैं।

दूसरी बात सब रियास्तों या राज्यों के कई लोगों ने अपने नाम के आगे भंगी लिखवा दिया, किसी ने जमादार लिखा दिया किसी ने कुछ लिखवा दिया और किसी ने कुछ। इन सब की भी गणना नहीं की गई क्यों कि एक ही जाति के लोग होते हुये भी उन्होंने अपने नामों के आगे भिन्न भिन्न नाम लिखवा दिये थे।

दिल्ली, बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश में दो तरह की ग़लती हुई है। मैं चाहता हूं कि इस बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। और न जातियों को जो कहा जाता है कि स्टेटमेंट में नहीं आती हैं, यह सर्वथा अनुचित है। मैं प्रार्थना करता हूं इन जातियों के बारे में साहनुभूतिपूर्वक विचार किया जाये और इन के नाम गणना लिस्ट में शामिल कर लिये जायें।

श्री कक्कन (मदुरै—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं सरकार को, विशेषकर विधि मंत्री को, यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिये हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

हम केवल संविधान में दिये गये अधिकारों की ही मांग कर रहे हैं। हम अधिक नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें हमारी जन संख्या के अनुसार स्थान मिलने चाहियें। जहां तक मद्रास का सम्बन्ध है, १९५१ की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या ५६,७२,१२६ है। किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों को क्रमशः ३६ और १ स्थान ही दिये गये हैं, जब कि जनसंख्या के अनुसार कम से कम ४२ या ४३ स्थान मिलने चाहिये थे। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री हमारे साथ न्याय करें और हरिजनों के लिये उचित संख्या में स्थान नियत करें। श्री लिंगम ने हरिजनों के हितों का ध्यान रखे बिना इस विधेयक का विरोध किया है। मुझे खेद है कि वे स बारे में मद्रास के हरिजनों की स्थिति से अनभिज्ञ हैं।

मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं क्योंकि मैं यह अनुभव करता हूं कि कांग्रेस सरकार ने, ग़लती को सुधार लिया है और हरिजनों के लिये ठोस रूप में बहुत कुछ किया है ।

श्री पी० एल० बारपाल (गंगानगर-झुंझनूं--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । मेरे जो साथी पहले बोल चुके हैं और उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उन से मैं सहमत हूं ।

परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यादव माने अहीर के हैं और जाटव का अर्थ चमार है । कुछ चमार लोग राजस्थान में अपने को यादव कहने लगे हैं लेकिन वे वास्तव में चमार हैं अहीर नहीं । हैं । पूज्य ठक्कर बापा ने अपने एक पत्र में ता० २७-११-५० को चीफ सेक्रेटरी गृह विभाग, भारत सरकार को लिखा था कि राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट वालों की जनसंख्या सन् १९४१ में २० लाख ५० हज़ार थी । परन्तु सन् १९५१ में यह जनसंख्या कम दिखलायी गई है । हम देखते हैं कि हमारे देश की सब जातियों की संख्या बढ़ी है, तो हमें यह देखकर ताज्जुब होता है कि हरिजनों की संख्या कैसे कम हो गयी । इसी प्रकार यू० पी० में कुछ जातियों को हरिजन माना जाता है पर मेहतरों को हरिजन नहीं माना जाता । इसी प्रकार राजस्थान में एक ही हरिजनों की जाति है और वह है चमार । उसके लोग अपने को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं जैसे मेघवाल, बलाई, भांभी, जाटव, बैरबाल, और मेघवंशी । इन भिन्न नामों की वजह से इनको छोड़ दिया गया है और हरिजनों में नहीं लिखा गया । सिर्फ जिस ने चमार लिखवाया उन को ही अनुसूचित जाति में माना गया । यह उनके साथ अन्याय है । इन सब लोगों की संस्कृति एक है, वेषभूषा एक है, रस्मो रिवाज़ एक है, इनका धन्धा एक है और इस तरह से इनमें कोई फर्क नहीं है । इनके आपस में रिश्ते होते हैं । इनका आर्थिक और सामाजिक स्तर एक है । मेरी समझ में नहीं आता कि इनको किस तरह से अलग कर दिया गया है । हमारे गृह उप-मंत्री श्री दातार जी ने जब ता: १३-१२-५२ को घोषणा की थी कि भारत में हरिजनों की संख्या ५ करोड़ है, तो मैं ने कहा था कि राजस्थान में हरिजनों की गणना कम हुई है । जहां तक मेरा ख्याल है वहां तक हरिजनों की संख्या राजस्थान में ३० लाख है जब कि उन्होंने १५ लाख २० हज़ार ही बतलायी थी । यह हमारे साथ अन्याय है । यदि सरकार हमारा आर्थिक और सामाजिक उत्थान करना चाहती है, यदि सरकार हमको आर्थिक, सामाजिक व शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहती है और हमारी उन्नति करना चाहती है तो उसको ईमानदारी से हमारा काम करना चाहिये और हमको हर तरीक़े से सहूलियतें देना चाहिये । यह नहीं करना चाहिये कि हमारी जाति को घटा कर कम कर दिया जाय और हमको उचित सहूलियत न दी जा कर हमें उससे वंचित कर दिया जाये । जब हम यह देखते हैं तो हमको सन्देह होता है । मैं चाहता हूं कि जो ग़लतियां रह गयी हैं उनको दूर किया जाय और मैं प्रार्थना करूंगा कि जो प्रेसीडेंट महोदय का आर्डर है उसको भी चेंज करके इन जातियों की संख्या में जो कमी हुई है उसको ठीक किया जाय । मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि अब इस पर काफी चर्चा हो चुकी है ।

श्री गणपति राम (ज़िला जौनपुर--पूर्व--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं एक मिनट में तीन बातें कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : अच्छी बात है । माननीय सदस्य अन्तिम वक्ता होंगे ।

श्री गणपित राम : मेरी पहली मांग यह है कि उत्तर प्रदेश में जो शिड्यूल्ड कास्ट की सीटों का निर्धारण हो वह उनकी जनसंख्या के अनुसार हो क्योंकि प्राय: देखा गया कि कहीं पर १९ पर सेंट पर सीटें नहीं दी गयीं हैं और कहीं १६ पर सेंट पर दी गई है । कहीं २६ पर सेंट पर नहीं दी गयी हैं और १६ पर सेंट पर दी गयी हैं । इसलिये इसका विशेष तौर से ध्यान रखा जाना चाहिये ।

दूसरी मेरी मांग यह है कि डिलिमिटेशन का जो दूसरा बिल लाया जाय उसको बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जोड़ी गई जातियों के बढ़े हुये आंकड़ों का ध्यान रखते हुये लाया जाय और हमारी सीटों की संख्या उसके अनुसार निर्धारित की जाय और वह भी जनसंख्या के अनुपात से की जाय ।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि जहां उत्तर प्रदेश में विधान सभा की तीन सीटें बढ़ायी जा रही हैं वहां पार्लियामेंट की एक सीट कम की जा रही है यानी १७ से १६ कर दी गयी है । मेरा निवेदन यह है कि ये सीटें हमारी आबादी के अनुसार रखी गयी थीं । अगर इनको बढ़ाया न जाय तो कम से कम 'स्टे स को' तो कायम रखा जाया । मैं अन्त में फिर यही कहूंगा कि बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हमारी बढ़ी हुई आबादी के अनुसार हमारी सीटें निर्धारित की जायं ।

श्री पाटस्कर : मं ने इस विधेयक के सम्बन्ध में सभा में हुई चर्चा को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है और में सभा को आश्वासन देता हूं कि न तो जनगणना प्राधिकारी द्वारा न चुनाव आयुक्त द्वारा और न इस सरकार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जान-बूझ कर कोई ऐसा कार्य किया गया है जिससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को, जिनके लिये संविधान में दस वर्ष तक विशेष प्रतिनिधित्व का उपबन्ध किया गया है किंचित मात्र भी सन्देह करने की गुंजाइश हो । सभा में इस विधेयक को पुर: स्थापित करने का कारण भी मैं बता देना चाहता हूं ।

ति दस वर्ष के पश्चात् जिस प्रकार जन गणना की जाती है १९४१ में उसी प्रकार ौर उन्हीं तरीक़ों से की गई थी । सरकार के आदेशानुसार जाति तथा उपजाति का बहुत कम उल्लेख उसमें किया गया ।। सके पश्चात् १९५१ में जनगणना हुई । मेरे विधेयक का समर्थन करते हुए श्री सा न गुप्त ने आन्ध्र में चनाव यथाशीघ्र होने चाहियें यह कहने के साथ ही जनगणना के कार्य के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह बहुत अनुचित है । जिस तरीक़े से जनगणना की जाती है उसकी कोई शिकायत अभी तक मैं ने नहीं सुनी है । विदेशी शासन काल में भी प्रत्येक छोटे-बड़े व्यक्ति की गणना की जाती थी । ऐसा उस समय तक हुआ करता था । यह कोई ऐसा काम तो है नहीं कि एक ताल्लुके या ज़िले में बैठ कर कोई सारी गणना कर डाले । ग़लती किसी और कारणवश हो जाती है । इसी आधार पर उन्होंने यह समझ लिया कि सरकार ने कुछ ग़लती की होगी । जहां तक चुनाव कार्यों का सम्बन्ध है, मैं यही कह सकता हूं कि जान-बूझ कर किसी भी व्यक्ति को गणना से छोड़ा नहीं गया था, क्योंकि यही काम तो करना था । पहले से मूल अन्तर यही था कि १९४१ की फूट डालो और शासन करो, की नीति अपनाई जाने के कारण

सभी छोटी बड़ी जातियों और उपजातियों का उल्लेख उसमें किया गया था । इस संविधान को पारित करते समय हमने यह निश्चय किया था कि जाति-पांति का भेद-भाव छोड़ कर सारे नागरिकों को समान समझा जाये क्योंकि हम जानते हैं कि जातियों और उप-जातियों में विभाजन करना ही हमारे देश के पतन का मूल कारण रहा है और इसी लिये हम थोड़े समय के अन्दर स्वाधीन नहीं हो सके । इससे पूर्व हमें दूसरे आधार पर कार्य करना पड़ता था किन्तु १९५१ में हमने यह तय किया कि जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिये था । किन्तु बाद को ज्ञात हुआ कि संविधान के अनुसार किन्ही अन्य उपबन्धों के प्रयोजन से दस वर्ष तक कुछ जातियों की गणना करना आवश्यक समझा गया । यही कारण था कि १९४१ की जनगणना १९५१ से भिन्न थी । १९५१ में सामान्य विचार यह था कि केवल उन्हीं जातियों की गणना की जाय जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद३४१ (२) में किया जा चुका है जिससे उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिल सके । इसके अतिरिक्त किसी भी समय कोई अन्य विचार नहीं किया गया था । इसी आधार पर १९५१ की जनगणना की गई थी । जैसा कि मैं आरम्भ में कह चुका हूं, जाति के पर्यायवाची शब्दों में जैसे आकार, इकार अथवा उकार का कुछ अन्तर पड़ गया था । सम्भवतः हैदराबाद और सौराष्ट्र में कुछ ग़लती हो गई थी । हमारे अभिलेखों में जहां कहीं भी हमें किसी ग़लती का पता लगा, हमने उसे ठीक करवा दिया था ।

अतः यह कहना ठीक नहीं होगा कि किसी प्राधिकारी ने जानबूझ कर कोई ग़लती की थी । स्थिति पर शान्तिपूर्वक विचार करने से ज्ञात होगा कि जिन लोगों की गणना विशेष रूप से गणना की गई आदिम जातियों और जातियों में की गई है, वे भी जानते हों कि जानबूझ कर कोई ग़लत चीज़ नहीं की गई थी । सरकार ने यह कार्य बड़ी सावधानी से किया इस कारण किसी को शिकायत का कोई अवसर नहीं होना चाहिये । एक मामले में कुछ ग़लती हो गई थी, जिसका मुझे खेद है, किन्तु उसे भी ठीक करने के सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

यह ग़लती इस प्रकार हुई । जिन जातियों को अनुसूचित जातियों में अभिलिखित किया गया था, वे ठीक पहले की भांति नहीं थीं यद्यपि उन में से बहुतों के विषय में यह धारणा थी कि वे अनुसूचित जातियां हैं । अतः कठिनाई यह है कि १९४१ की जनगणना की सच्चाई पर निर्भर नहीं रहा जा सकता । कुछ अन्य तरीक़े भी अपनाये जा सकते हैं । न्याय का विश्वास दिलाने के पश्चात् मैं यह कहना चाहूंगा । जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि १९४१ में जनसंख्या में १४ प्रतिशत वृद्धि हुई थी, और जिन जातियों का उल्लेख इस उपबन्ध के अन्तर्गत किया गया है उसमें कमी हुई है, इस कारण अनुपात क्यों न निकाल लिया जाय ? मेरे विचार से ऐसा करना न तो ठीक ही होगा और न उचित ही । यदि हम ऐसा करते है तो कुछ लोग इस पर आपत्ति कर सकते हैं । सब से अच्छा उपाय इस विधेयक के लिये यही है कि इस प्रकार आगे न बढ़ा जाये । जनगणना प्राधिकारी क्या करते हैं इससे इस विधेयक का कोई सम्बन्ध नहीं । इसका तो सम्बन्ध केवल इस बात से है कि जब कभी उस अभिलेख में कोई सुधार करना हो तो परिसीमन आयोग को उसके अन्तिम आदेशों का पुनरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है । अतः संविधान में अनुच्छेद ३४१ (२) में जिन जातियों की गणना की गई है, हमें उन्हीं तक सीमित रहना चाहिये । इस प्रकार हम

[श्री पाटस्कर]

आगे बढ़ सकते हैं । इस विधेयक का यही उद्देश्य है और जब उस अभिलेख में संशोधन कर लिया जाता है तो स्वभावतः परिसीमन आयोग को न केवल उन्हीं राज्यों में इस प्रश्न को पुनः उठाने का अधिकार प्राप्त है जिन में अन्तिम आदेश पारित नहीं हुये हैं, वरन् उन राज्यों के लिये भी इस आयोग को अधिकार प्राप्त है, जिन में अन्तिम आदेश पारित किये जा चुके हैं और जिन में संशोधन करना होगा ।

इस प्रकार मैं समझता हूं कि अब किसी के भी मन में इस प्रकार की आशंका करने का कोई कारण नहीं रह जाता कि सरकार, जनगणना प्राधिकारी अथवा परिसीमन आयोग ने उचित रूप से कार्य नहीं किया है। कहीं पर कुछ और खराबी हो सकती है किन्तु इतना मैं निश्चय के साथ कह सकता हूं कि जानबूझ कर कोई ग़लत चीज़ नहीं की गई थी ।

आन्ध्र में भी यदि अन्य राज्यों की भांति सामान्य स्थिति होती तो कोई कठिनाई न पड़ती, किन्तु वहां की स्थिति कुछ और ही प्रकार की है । वहां इस समय राष्ट्रपति का शासन रहा है । इस कारण सरकार इस बात की इच्छुक है कि वहां भी संसदीय प्रणाली वाली सरकार बने या सदस्यों का चुनाव यथाशीघ्र हो । चुनाव में अनावश्यक विलम्ब होगा ऐसा किसी भी दल को नहीं सोचना चाहिये । श्री मूर्ति ने बताया था कि अविभाजित मद्रास की अनुसूचित जातियों की जनगणना में लगभग ८ लाख की ग़लती हो गई है। जब तक इस विषय में किसी उचित रूप से कोई पता न लगे तब तक मैं नहीं कह सकता कि उनके द्वारा दिये गये आंकड़े सही हैं । यदि ये आंकड़े सही हैं तो वर्तमान आन्ध्र राज्य की जनसंख्या अविभाजित राज्य की एक तिहाई है और इस प्रकार केवल एक या तीन स्थानों का अन्तर पड़ेगा ।

इन तथ्यों की जांच करवा लेना आन्ध्र राज्य के हित में होगा । यदि चुनाव से पूर्व कुछ और पता लग जाता है तो सरकार चुनाव के समय नवीन आंकड़ों के आधार पर यथासम्भव उचित कार्यवाही करेगी । मेरे सामने सब से बड़ी कठिनाई यही है कि मैं चुनाव के लिये समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता । जनगणना प्राधिकारी को क्या कठिनाई होगी और वह किस प्रकार चुनाव करेंगे । इस समय इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं बता सकता । इस सुझाव पर इस समय कुछ विचार नहीं किया जा सकता । यदि बाद को आंकड़ों में संशोधन किया जाता है और यह पता लगता है कि अनुसूचित जाति के लोगों के इस समय कुछ अधिक स्थान होने चाहियें, तो हमें दुख होगा कि इस प्रकार की चीज़ हुई ।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या उन्हें तीन स्थानों से वंचित रखना, जिस का उन्हें अधिकार है, उचित है ?

श्री पाटस्कर : वस्तुतः जब हम अधिकार की बात करते हैं, तो जहां तक विधि का सम्बन्ध है, इस समय कोई अधिकार नहीं है । किन्तु मैं विध्यनुकूल स्थिति तथा प्राधिकार की बात करने न्याय, समता, मानवता और सम्पूर्णता देश के हित की बात कह रहा हूं । जैसा मैं ने कहा, मुझे यह जान कर खेद होगा कि उनको उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिये था । किन्तु, यदि आप इस पर शान्त चित्त से विचार करें तो वहां वर्तमान शासन रखना अधिक अच्छा नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वे दो या तीन स्थान प्राप्त कर लेंगे । मेरे विचार में इस मामले में प्रजातन्त्र का अर्थ थोड़े से

व्यक्तियों के प्रजातन्त्र से न हो कर सम्पूर्ण देश के प्रजातन्त्र से है। और मैं अपने माननीय मित्रों तथा श्री मूर्ति से यह निवेदन करूंगा कि वे इस प्रश्न पर इसी दृष्टिकोण से विचार करें। वस्तुतः जो कुछ सम्भव होगा किया जायगा। किन्तु, मैं आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे यह नहीं मालूम कि वह कब किया जायेगा। किन्तु यदि चुनाव को स्थगित करने की बात आती है, तो मैं निश्चयपूर्वक कहता हूं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। किन्तु इसी बीच में यदि कुछ सम्भव हुआ और उचित समझा गया तो वह अवश्य किया जायेगा। केवल अनुपात के आधार पर चलना ठीक नहीं समझा जायेगा, और मैं नहीं कह सकता कि जनगणना प्राधिकारियों को किस ढंग से काम करना चाहिये।

श्री टी० एन० सिंह : प्रश्न तो केवल निर्वाचन स्थगित करने का है। परन्तु विरोधी दल को भी स्पष्टतः यह अवश्य कहना चाहिये कि वे राष्ट्र के हित में स्थायी रूप से अनुसूचित जातियों के हित का परित्याग करेंगे। अन्यथा, बाद में वे इससे लाभ उठा सकते हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : मेरा निवेदन है कि यह विरोधी दल की मांग है और सरकार इससे इन्कार करती है।

श्री पाटस्कर : मैं फिर अपने माननीय मित्र श्री मूर्ति और अन्य मित्रों से यह निवेदन करता हूं कि इस बारे में मैं विरोधी दल के या इस ओर के सदस्यों के मत का अनुकरण नहीं करूंगा। मैं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं इसे भिन्न दृष्टि से देखता हूं और मुझे केवल इस कारण चिन्ता है कि अब कुछ भी करना कठिन होगा क्योंकि इसके आदेश निश्चित कर लिये गये हैं और यह पहिले ही समाप्त नहीं हो सकेगी। यह देखने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा कि क्या यह किया जाता है, और यदि यह नहीं किया जाता है तो मैं अवश्य कहूंगा कि मुझे निर्वाचनों को स्थगित करना पसन्द नहीं है। स्थिति यह है। जिस विधि के बारे में हम सहमत हैं, उसमें हमें इस दल या उस दल के हित का प्रश्न नहीं लाना चाहिये। मैं स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। मेरा विचार है कि वह समस्त माननीय सदस्यों को, चाहे वे इस दल के हैं या उस दल के, सन्तुष्ट करेगी। यह एक बहुत ही सीमित विधि है और हम अन्य राज्यों में त्रुटियों को उसी प्रकार दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं जैसा कि दो राज्यों के मामले में किया गया है। वहां एक वास्तविक त्रुटि थी और हम उसे यथासम्भव ठीक हुई देखना चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि क्या यह सम्भव नहीं है कि अनुच्छेद ३४१(२) में वर्णित जातियों में वृद्धि कर दी जाय। मैं मामले को दबाना नहीं चाहता। इस विधेयक का उद्देश्य यह नहीं है। यह इस प्रकार और इस समय नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि यथोचित प्राधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, उसमें उल्लिखित बातों पर विचार किया जायेगा। यह अनुच्छेद ३४१(२) के अधीन भिन्न विभाग तथा भिन्न विधि द्वारा किया जायेगा। मैं इस विधेयक में ऐसे किसी उपबन्ध के रखे जाने से सहमत नहीं हो सकता। मैं सदस्यों को चेतावनी देता हूं कि मैं, देश में लोगों द्वारा कही गई बातों से प्रभावित नहीं हूंगा। यह संकेत किया गया था कि यदि हम संविधान के विरूद्ध कुछ करना चाहें, तो सम्भव है कि इससे अनिश्चितता उत्पन्न हो जाय और हो सकता है कि इससे उन्हें वह प्राप्त न हो जो हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः अच्छा यही है कि हम उन मामलों में न पड़ें जिनका सम्बन्ध इस विधेयक से

[श्री पाटस्कर]

नहीं है । और जिस पर पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संसद् द्वारा पृथक् तथा भिन्न ढंग से विचार किया जाना चाहिये । अतः मेरा विचार है कि इस समय वह प्रश्न उठाने की भी आवश्यकता नहीं है ।

मैं ने अपने माननीय मित्र श्री उपध्याय के तर्कों को बड़ी एकाग्रता से सुना है । उन्होंने कहा था कि समिति में सम्मिलित होने पर भी उन्होंने देखा कि विधेयक का क्षेत्र सीमित है । वह एक महान् और भिन्न अभिभाषक है और उन्हें यह अवश्य ही विदित हुआ होगा कि स्थिति में क्या क्या कठिनाइयां हैं । अतः परिसीमन आयोग का कार्य या कुछ लोगों की अन्य मामलों में कठिनाइयों के बारे में, विद्यमान या अविद्यमान समस्त कठिनाइयों के समाधान की आशा करना, स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, वर्तमान विधेयक के क्षेत्र के परे है । यह अपने विषय में सीमित है ।

एक सुझाव, जिसका मैं इस समय उत्तर देना चाहता हूं, यह है कि आदेश पर सभा की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिये । प्रवर समिति में हमने एक उपबन्ध बनाया है कि यह सभा-पटल पर रखा जायेगा । यह उपबन्ध उपखण्ड (३) में है । १९५२ में हमने जो अधिनियम पारित किया था उसका पूर्ण उद्देश्य यह है कि परिसीमन आयोग के आदेश अन्तिम होंगे । खण्ड १० में क्लर्क आदि की अशुद्धियों के शोधन का उपबन्ध है । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, स समय यह कहना अत्यधिक होगा कि हम इसके आधारभूत सिद्धान्त को परिवर्तित करना चाहते हैं और जो कुछ निर्धारित किया जायेगा अन्तिम होगा । ऐसा कहना निश्चय ही इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं है । अतः मैं यह कहूंगा कि जहां तक इस विधेयक के सीमित उद्देश्य का सम्बन्ध है जो कुछ भी सर्वोत्तम किया जा सकता था किया गया है । यद्यपि आरम्भ में विधेयक का उद्देश्य उन राज्यों में केवल ऐसी अशुद्धियों को दूर करना था जहां आदेशों को अन्तिम रूप न दिया गया था, फिर भी, मैं प्रवर समिति के सदस्यों द्वारा हमें दिये गये सहयोग की अवश्य प्रशंसा करूंगा । उन्होंने सम्भावनाओं इस विधेयक के क्षेत्राधिकार तथा सीमा को महसूस किया और इस प्रकार उन्होंने सर्वोत्तम काम करने का प्रयत्न किया, जो किया जा सकता था । इस प्रतिवेदन पर लगभग एकमत है, क्योंकि उन में से प्रत्येक ने, चाहे वे सभा की इस ओर के थे या उस ओर के, इस विधेयक के अच्छे परिणाम से प्रेरित हो कर कार्य किया था । उन सब ने यह महसूस किया था कि यह तनिक भी दल का प्रश्न नहीं है । अतः मेरा विचार है कि उन व्यक्तियों के हित में जिन के मामले में अशुद्धि है, और जिसे अब ठीक करना चाहते हैं, हमें विधेयक को, प्रवर समिति के सदस्यों द्वारा पर्याप्त विचार करने और उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के पश्चात् ज्यों-का-त्यों पारित करना चाहिये । विधेयक के क्षेत्राधिकार के अधीन जो भी सर्वोत्तम किया जा सकता है वह उन वर्गों के हित में किया जा रहा है । मैं सभा से प्रस्ताव की सिफारिश करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत आ ।

खण्ड १ और २

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डानुसार विचार करेंगे । बहुत से

संशोधनों की सूचना ी गई है । मैं महसूस करता हूं कि संशोधन संख्या २, ४, ५ तथा ८ नियमानुकूल नहीं हैं, क्योंकि वे विधेयक के क्षेत्र के परे के विषयों का उल्लेख करते हैं ।

श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्दशहर) : मेरी सबमिशन है कि जो पावर्ज़ पेरेंट एक्ट के अन्दर कमिशन को दी गई थीं उसके मुताल्लिक यह लिख दिया गया था कि उस के आर्डर हाउस के सामने रख दिये जायें । अब हम ९(ए) को अमैंड कर रहे हैं । इस को अमैंड करने के बाद जो कमियां सैंसस में रह गई हैं या जो ग़लतियां डिलिमिटेशन कमिशन के सामने आई हैं और जो तमाम काम इस कमिशन ने आज तक किया है उसको वह अब रिवायिज़ करेगी और हम उन आर्डरों को फाइनल करने जा रहे हैं । जो भी ग़लतियां उन के सामने आयें, मैं समझता हूं कि उनको ठीक करने के लिये कमीशनर को पूरे अख्तियारात नहीं होने चाहियें और इस हाउस की मंजूरी लेना ज़रूरी होना चाहिये । अब तो यह होता है कि उसके आर्डर्ज़ टेबल पर रख दिये जाते हैं और इस हाउस की मंजूरी नहीं ली जाती । यह ठीक बात नहीं है । मैं चाहता हूं कि इस हाउस को अख्तियार होना चाहिये कि वह यह देख सके कि जो भी पावर्ज़ कमिशन को दी गई हैं उनका वह ीक ठीक इस्तेमाल कर रही है, और वह तभी हो सकता है जब यह सब चीज़ें हमारे सामने आयें और इन को डिस्कस करने का मौक़ा मैम्बरों को दिया जाये बजाय इसके कि इन आर्डर्ज़ को टेबल पर ही रख दिया जाय ।

सभापति महोदय : मैं केवल यह जानना चाहता था कि वे विधेयक के क्षेत्राधिकार में कैसे हैं ।

श्री आर० डी० मिश्र : मेरा संशोधन विधेयक के क्षेत्राधिकार में है । इसके पूर्व कि परिसीमन आयोग के आदेशों को अन्तिम सरूप दिया जाय, इस सभा को इस बात का अधिकार है कि वह उनमें संशोधन कर सकती है, अर्थात् इन आदेशों पर सभा की अनुमति लेनी चाहिये ।

श्री टी० एन० सिंह : मेरा ख्याल है कि इसे केवल इस कारण नियम प्रतिकूल घोषित करना कि यह विधेयक के क्षेत्राधिकार के परे जाता है, सर्वथा उचित न होगा क्योंकि खण्ड ९-क में आदेश को अन्तिम रूप देने की भिन्न प्रक्रिया का उपबन्ध किया गया है । मूल अधिनियम की धारा ९ के बारे में भिन्न उपबन्ध है । इसकी राजपत्र में घोषणा होती है । निर्वाचन आयोग तनिक भी लोगों के समक्ष नहीं आता । यहां परिसीमन आयोग कार्य कर रहा है । अतः खण्ड ९-क के लिये एक भिन्न प्रणाली का उपबन्ध किया जा रहा है, अर्थात् अनुसूचित जातियों के सीमित उद्देश्य के लिये निश्चय ही इस पर विचार-विमर्श करने का सभा को अधिकार है, क्योंकि यह पहिले ही प्राचीन प्रक्रिया से विभिन्न है । अतः यदि यह किया जा सकता है, तो मुझे इस का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता कि मेरे माननीय मित्र द्वारा बताई गई प्रक्रिया विधेयक के क्षेत्राधिकार के परे है ।

श्री पाटस्कर : मैं आरम्भ में ही कह चुका हूं कि पूर्ववर्ती अधिनियम का उद्देश्य यह है कि ये सारे आदेश, क्लर्क-कार्य सम्बन्धी अशुद्धियों को छोड़ कर, अन्तिम होंगे । वर्तमान विधेयक केवल कुछ क्रयों पर परिसीमन आयोग द्वारा फिर से विचार करने की अनुमति देना चाहता है । समें यह नहीं कहा गया है कि ये आदेश जो किसी मामले पर पुनः आरम्भ होने के पश्चात् दिये जाते हैं, अन्तिम नहीं होंगे । मैं समझता हूं कि खण्ड ९-क का जो उद्देश्य है, उससे आयोग द्वारा दिये गये आदेशों के रूप या अन्तिमता

[श्री पाटस्कर]

पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । यदि सभा की यह धारणा है कि यह किया जाना चाहिये, तो वह एक भिन्न बात है । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, हम उस प्रश्न को फिर उठाने के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं जिसे संसद् ने गत अधिनियम पारित करते समय स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था, अर्थात् अब परिसीमन आयोग का आदेश अन्तिम होगा । अतः ये सारे संशोधन पूर्णतया नियम प्रतिकूल हैं । वे विधेयक के क्षेत्राधिकार के बाहर हैं ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि ये सारे संशोधन विधेयक के क्षेत्र से परे हैं । यह एक संशोधन करने वाला विधेयक है और इसमें हम उस उद्देश्य से बाहर नहीं जा सकते जिसमें संशोधन करने की आवश्यकता बताई गई है । अब प्राचीन अधिनियम के मूल सिद्धान्तों पर प्रश्न नहीं किये जा सकते ।

श्री बी० के० दास (कंटाई) मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ १, पंक्ति १६ में, "tabulation" ("तालिका") के पश्चात् निम्न अंश रखा जाय :

"Or make them conform to the variations caused by the inclusion or exclusion of any Scheduled Castes or Tribes as a result of the recommendations of the Backward Classes Commission."

["या उन्हें पिछड़े वर्गों के आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप आदिम जातियों की किन्हीं अनुसूचित जातियों के सम्मिलित करने या अपवर्जन द्वारा कटित विभिन्नताओं के अनुकूल बनाया जाय ।"]

श्रीमान्, माननीय मंत्री इस बात पर बोल चुके हैं और कह चुके हैं कि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं । उन्होंने बताया है कि इसके लिये एक भिन्न विधेयक की आवश्यकता होगी । मेरी समझ में नहीं आता कि इसके लिये अन्य विधेयक की आवश्यकता क्यों होगी । यदि कोई परिवर्तन होता है तो यह सदैव के लिये एक बार होना चाहिये । यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो एक बार सदैव के लिये संख्या निश्चित की जा सकती है, जिस से कार्य सरल हो जायेगा ।

सभापति महोदय द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री पाटस्कर : एक ग़लत धारणा यह बन गई प्रतीत होती है कि जैसे ही पिछड़े वर्गों का आयोग अपना प्रतिवेदन देता है और यह बताता है कि अमुक अमुक अनुसूचित आदिम जातियों अथवा जातियों को सम्मिलित किया जाय तो उन्हें स्वयं ही अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा । देखें कि आगे क्या होता है । आयोग कुछ सिफारिश करेगा । अनुच्छेद ३४१ के खंड (२) के अधीन सभा को यह अधिकार होगा कि उन्हें स्वीकार करे अथवा न करे । सभा यह निश्चय करेगी कि किन जातियों एवं आदि जातियों को अनुसूची में रखा जाय । तदुपरांत अभ्यावेदन करने के कार्यों में सम्मिलित होने के वे अधिकारी होंगे । इस एक वर्ष के भीतर हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया था वह ठीक हो जाय । किन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि यह कैसे हो सकता है ।

आयोग का प्रतिवेदन अभी मिला भी नहीं है, हम यह नहीं जानते कि उस प्रतिवेदन में वे क्या कहेंगे। विधेयक में एक ऐसा सामान्य उपबन्ध बनाना जिसका उद्देश्य भूलों का सुधार करना हो इस उपबन्ध के क्षेत्राधिकार की बात नहीं है, और मैं कह सकता हूं कि किसी भ्रान्ति के आधार पर ही इसे प्रस्तुत किया गया है। सभा को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आयोग का प्रतिवेदन मिल जाने के बाद उसे सभा के सामने प्रस्तुत किया जायेगा और सभा ही यह निर्णय करेगी कि क्या उन सिफारिशों को ज्यों का-त्यों स्वीकार किया जाय अथवा कुछ संशोधनों के बाद।

श्री टी० एन० सिंह : अब प्रश्न यह है मान लीजिये कि तीन अथवा चार महीने पश्चात् पिछड़े वर्गों का आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को सभा स्वीकार कर लेती है। आंकड़ों को ठीक करने की व्यवस्था हमने जनवरी १९५६ तक के लिये की है। अनुच्छेद ३४१ में भी आंकड़ों में संशोधन करने की व्यवस्था है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब सभा ने अपने कर्त्तव्य की पूर्ति कर दी है तो अनुसूचित जातियों को उससे लाभ क्यों न मिले।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इस संशोधन के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या सम्बन्धी जो आंकड़े हैं उनमें संशोधन करने के लिये पिछड़े वर्गों के आयोग की सिफारिशों पर विचार होगा। किन्तु यह मानी हुई बात है कि उनकी सिफारिश इन आदिम जातियों एवं अनुसूचित जातियों के बारे में होगी। हमें अभी तक यह मालूम नहीं है कि आयोग की सिफारिशें क्या होंगी।

इसके अलावा यह परिसीमन अधिनियम दस वर्षीय अधिनियम है। यह स्थायी अधिनियम नहीं है। इसलिये आयोग की सिफारिशों को सभा द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद भी आप इस अधिनियम में संशोधन कर सकते हैं। विधेयक का क्षेत्र सीमित होने की दृष्टि से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री पाटस्कर : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इसे मतदान के लिये रखा जाय ?

श्री बी० के० दास : मैं इसे वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन, अनुमति से वापिस लिया गया।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या २ रद्द हो गया है। संशोधन संख्या ३ के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। इसलिये माननीय सदस्य बहुत ही संक्षिप्त में अपने विचार प्रकट करें।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २, पंक्ति २९ के पश्चात् निम्न आदिष्ट किया जाय :

"2 A. The benefits of this Act shall be given to the Andhra State in the forth coming general elections in that State."

["२-क. इस अधिनियम से आंध्र राज्य सरकार को उस राज्य में होने वाले आगामी साधारण निर्वाचन में इस अधिनियम का फायदा पहुंचाया जायेगा"]

[श्री बी० एस० मूर्ति]

यदि आंध्र राज्य की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को यह लाभ नहीं मिलता ो इस विधान से उनको कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि पांच अथवा छः वर्ष के बाद यह विशेष प्रतिनिधि व्यवस्था समाप्त करने जा रहे हैं इसलिये माननीय गृहमंत्री से निवेदन है कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें और आंध्र की इन ४० लाख अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों को इसका लाभ पहुंचायें ।

श्री पाटस्कर : यह बात नहीं है कि हम भूलों में सुधार नहीं करना चाहते । हम चाहते हैं कि उनमें सुधार हों किन्तु जो कारण मैं बता चुका हूं उनकी बिना पर मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता । मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि इतने थोड़े समय में हम यह कार्य कर सकते हैं । और चुनाव स्थगित करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

सभापति महोदय द्वारा श्री बी० एस० मूर्ति का उप ोक्त संशोधन प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या ४ तथा ५ नियमविरुद्ध है । संशोधन संख्या ६ को भी कोई प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं । संशोधन संख्या ७ भी रद्द हो चुका है । अब संशोधन संख्या ८ है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : यह भी रद्द हो गया है । अब संशोधन संख्या ९ है । वे कुछ पंक्तियां निकालना चाहते हैं ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २ में, पंक्ति १८ से २० तक का अंश निकाला जाय । चूंकि अनुच्छेद ३२९ तथा ३२७ में इन शब्दों के बारे में स्पष्टीकरण कर दिया गया है अतः अब इनकी आवश्यकता नहीं है । दूसरे, हम यह भी नहीं चाहते कि इस निकाय का, चाहे यह कितना ही हो, आदेश पवित्र माना जाय ।

श्री पाटस्कर : श्री अग्रवाल के इस संशोधन का मैं वि ोध करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम संशोधन संख्या १० लेंगे ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : मैं संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पाटस्कर : धारा ८ की उपधारा (३) में उस प्रक्रिया एवं उपबन्धों की व्यवस्था की गई है जिसका अनुसरण परिसीमन आयोग करेगा । इसमें कहा गया है कि आयोग, प्रस्तावों को, जिसमें विमति-टिप्पणी भी सम्मिलित होंगी जो यदि किसी सदस्य ने दी है, प्रकाशित करेगा, उसके बाद उस तिथि की भी घोषणा करेगा जिस दिन अथवा जिस के बाद या पहले उन प्रस्तावों पर फिर विचार किया जायेगा । इसके अनुसार आयोग को सभी आपत्तियों एवं सुझावों आदि पर विचार करना होगा । प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिये इसमें अच्छी व्यवस्था की गई है । इस विधेयक के द्वारा पुनरीक्षित आंकड़ों के बारे में हमें विचार करना है । इस साधारण से कार्य के लिये इतनी लम्बी चौड़ी प्रक्रिया को अपनाया जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आई । इसलिये प्रवर समिति ने यह ठीक ही किया है कि धारा ८ उपधारा (३) के उपबन्ध उन पर लागू नहीं होंगे जो इस विधेयक के अधीन हो रहे हैं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १० प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : संशोधन ११ रद्द हो गया है। अब मैं खंड को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १, विधेयक का नाम, तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री पाटस्कर : मैं प्रस्तावकरता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

सभापति महोदय : अब सभा में श्री गुलजारी लाल नन्दा के निम्न प्रस्ताव के बारे में, जो उन्होंने २२ दिसम्बर, १९५४ को प्रस्तुत किया था, चर्चा होगी :

"कि पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन पर विचार किया जाय । "

कार्यवाही आगे प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय सदस्य को मैं यह बता देना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय ने दल के नेताओं के लिये १५ मिनट तथा साधारण सदस्यों के लिये १० मिनट के भाषण का समय निश्चित किया है ।

श्री पी० एन० राजभोग (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का मामला **कब आवेगा ?**

सभापति महोदय : वह कल आयेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : आर्थिक नीति सम्बन्धी चर्चा पर मैं ने माननीय मंत्रियों के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है, परन्तु मुझे श्री टी० टी० कृष्णमाचारी को यह कहते सुनकर बड़ा खेद हुआ कि उन्हें इस विवाद से बड़ी निराशा हुई और यह 'निरर्थक प्रलाप' (डैम्प स्क्विब) मात्र थी । विरोधी दल के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक पर मंत्रियों द्वारा किये गये आक्रमण से भी मुझे दुःख हुआ ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य इस बात का उल्लेख न करें । यह विषय समाप्त हो चुका है । सम्बन्धित माननीय सदस्य अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं । यह इस चर्चा में संगत नहीं है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : इस प्रकार की भाषा के प्रयोग से हमें सफलता नहीं मिलेगी । पंचवर्षीय योजना की वास्तविक सफलता जनता को हुये लाभ, उसमें उत्पन्न किये गये विश्वास और भविष्य सम्बन्धी आशा से ही नापी जा सकती है । मेरी समझ से इसमें विशेष सफलता नहीं मिली है । जनता का स्तर उन्नत करने और राष्ट्र में नवनिर्माण के लिये उत्साह पैदा करने में ही सरकार की सफलता निहित है । वित्त मंत्री की इस बात से कोई भी असहमत नहीं हो सकता कि प्रत्येक अविकसित देश की आर्थिक नीति का लक्ष्य संविधान के निदेशक तत्वों के अलावा जीवन स्तर उन्नत करना और यथा-

[श्री एन० सी० चटर्जी]

शीघ्र जनता के लिये पूरा रोज़गार सुलभ कर देना होना चाहिये ।

हमें तीसरे प्रगति प्रतिवेदन की आर्थिक सफलता को तीन दृष्टियों से देखना चाहिये । पहले, तो योजनायें रखे गये लक्ष्य बिन्दुओं, दूसरे, पूरे रोज़गार की दिशा में प्रगति और तीसरे, योजना की वित्त व्यवस्था । कहा जाता है कि उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में प्रशंसनीय सफलता मिली है । निःसंदेह कृषि सम्बन्धी उत्पादन बढ़ा है । औद्योगिक उत्पादन के देशनांक १९५० के १०५ से बढ़कर १९५४ में १४० हो गया है । मूल्य भी कोरिया-युद्ध से पहले के स्तर पर स्थिर हो गये हैं । व्यापार संतुलन भी हमारे हित में है । पर इन छोटी सी सफलताओं का सारा श्रेय सरकार को ही नहीं, परिस्थितियों को भी है । मानसून अच्छे हुये और कच्चा माल अच्छी तरह मिलने लगा । औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी और ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों का संघर्ष चलता ही जा रहा है । वह समाप्त नहीं हुआ है । वस्तुतः इस योजना के सम्बन्ध में सरकार की नीति समझ सकना बड़ा कठिन है । वित्त मंत्री मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की बातें करते हुये ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों को आश्वासन देते हैं कि उनका अस्तित्व बना रहेगा । उधर प्रधान मंत्री पूर्ण समाजी-करण की बात करते हैं । सरकार की बात 'पंच शिला' की भांति 'पंचमुखी' हो रही हैं । इसी से मंत्रिमंडल में आन्तरिक संघर्ष की अफवाहें उड़ रही हैं । योजना निर्माताओं ने कहा था कि कुछ वर्षों तक सरकार अपनी कार्यवाही विशेष न बढ़ा सकेगी और ग़ैर-सरकारी उद्योग उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण भाग लेते रहेंगे ।

मंत्रियों की इन परस्पर विरोधी बातों के कारण निजी उद्योगों में भारी निराशा फैल गयी है । कुछ बातों से उन्हें विशेष असन्तोष है—पहले तो वे यही नहीं जानते कि कम्पनी व्यवस्था का क्या होगा । सरकार को इसके लिये कुछ आश्वासन देना चाहिये । नीति की अस्थिरता के कारण ग़ैर सरकारी उद्योग स्थिरता का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं । सरकार की तथाकथित मिश्रित अर्थ-व्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद की बुराइयों का मिश्रण मात्र बन रही है । जब तक आप निजी उद्योगों को निम्न स्थान देने की बात करते हैं, आप मिश्रित अर्थ-व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते ।

योजना का दूसरा लक्ष्य जनशक्ति का पूर्ण उपयोग था । पर अन्यथा प्रचार के होते हुये भी बेरोज़गारी बढ़ रही है । प्रगति प्रतिवेदन के १८ वें अध्याय में दिये आंकड़े ही पर्याप्त हैं, अन्य उद्धरण आवश्यक नहीं हैं । योजना के भाग्यविधाता भी मानते हैं कि बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या अनुदिन बढ़ रही है और नये स्थान उतने अधिक नहीं हैं । वे केवल नारे लगा रहे हैं, चाहे इनसे मत भले ही प्राप्त हो जायें, किन्तु उनको स्वीकार करना होगा कि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को उचित रूप से काम नहीं मिला है अथवा आंशिक रूप से ही काम मिला है । नगर तथा देहात दोनों में ही पर्याप्त बेकारी फैली हुई है ।

जुलाई, १९५३ से वे केवल इतना ही कर सके हैं कि उन्होंने बेकारी की स्थिति के सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़ों का पता लगाने के लिये कुछ अध्ययन प्रारम्भ किये हैं । उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय नमूना परि-माप, तथा त्रावनकोर विश्वविद्यालय द्वारा तथ्य एकत्र किये जा रहे हैं । तीन वर्ष पश्चात् करोड़ों रुपया व्यय करके केवल यह कहना कि हम अभी तथ्य का पता भर लगा रहे हैं, अक्षमता तथा असफलता की हद है ।

बेकारी निरंतर बढ़ती जा रही है : जुलाई, १९५३ में कुल ४,९३,००० व्यक्तियों ने काम दिलाऊ दफ्तरों में अपना नाम पंजीयित कराया था। जुलाई, १९५४ में यह संख्या ५,८९,००० हो गई। इसी प्रकार शिक्षित वर्ग की बेकारी में २९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बहुत गम्भीर स्थिति है।

अब मैं मंत्रियों के विचारार्थ कुछ रचनात्मक सुझाव दूंगा। पहिला, राज्य सरकारों को स्वयं अपनी अपनी योजना बनाने की स्वतन्त्रता दी जाय। दूसरे, यदि आप निजी क्षेत्र स्वीकार करते हैं तो उद्योगपतियों को कुछ सुविधायें दी जायें। तीसरे, आयोजकों की शीघ्र ही जनशक्ति की गणना करनी चाहिये और विशेषकर वैज्ञानिकों की। विदेशी विशेषज्ञों को तब तक नियुक्त न किया जाय जब तक कि भारत में अपने विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।

प्रशासनिक कार्य प्रणाली का पुनर्निर्माण किया जाय तथा उन्हें पुराने नौकरशाही तरीके न अपना कर स्वतन्त्रता-पूर्वक कार्य करने की छूट देनी चाहिये। अन्त में देश के लघु उद्योगों में व्यक्तियों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाय। यह महान् निराशाजनक बात है कि ग्राम उद्योगों तथा गृह उद्योगों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है, तथा यद्यपि इन उद्योगों के निमित्त १५ करोड़ रुपया स्वीकृत था फिर अभी तक १० प्रतिशत से भी कम रुपया व्यय किया गया है। जब तक आप ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक बड़े उद्योगों में भी जो थोड़ी सी नौकरियां होती हैं उनमें भी कड़ी प्रतिस्पर्धा हो जायगी। यदि सरकार इन उद्योगों का सुधार करना चाहती है तो इन पर कम-से-कम १५ करोड़ रुपये में से ही अधिकतम राशि व्यय करे।

मैं बंगाल से आया हूं तथा जानता हूं कि वहां कितनी भयानक बेकारी है। केवल कलकत्ता में लगभग ३ लाख व्यक्ति बेकार हैं जिनमें से हज़ारों वैज्ञानिक हैं जिनकी सेवाओं का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है।

साथ ही साथ मैं बतलाना चाहता हूं कि निजी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये कुछ प्रत्याभूतियां तथा आश्वासन मिलने चाहियें जिससे हमारे मूलभूत अधिकार न कुचले जायें। किन्तु यदि आप प्रतिकर नहीं देंगे अथवा प्रतिकर को कार्यपालिका की इच्छा पर छोड़ देंगे तो यह एक राज्य की नीति हो जायेगी, और इससे निजी क्षेत्र का उत्साह तथा उपक्रम भी पंगु हो जायेगा।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : पिछले तीन वर्षों में वास्तव में क्या प्रगति हुई है इसका मूल्यांकन करने के लिये योजना के प्रतिवेदन की परीक्षा, योजना के लक्ष्यों को ध्यान में रख कर की जानी चाहिये। योजना के लक्ष्य थे व्यक्तियों का जीवन-स्तर बढ़ाना, विषमताओं को हटाना तथा स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवाओं के लिये अधिक सुविधायें प्रस्तुत करना। स माप-दण्ड से मैं गांवों की प्रगति को नापूंगा क्योंकि भारत की ९३ प्रतिशत जनता गांवों में ही निवास करती है।

हाल ही में हमने कृषि श्रम जांच समिति का प्रतिवेदन देखा। उससे प्रगट होता है कि कम-से-कम १ करोड़ १० लाख श्रमिक परिवार पशुवत् जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिये जब हम राष्ट्रीय आय वृद्धि की बात कहते हैं तो हमें यह जानना चाहिये कि इस वृद्धि से उन ग़रीब लोगों का कोई भला नहीं हुआ है जिनका सरकार को सर्वाधिक विचार करना चाहिये।

यदि आप किसानों से बातें करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनका ऋण बढ़

[श्री एन० बी० चौधरी]

रहा है । उन पर कर बढ़ा दिये गये हैं तथा अभी तक वे परेशानियों और कष्टों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।

खाद्य उत्पादन की वृद्धि के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । इतने पर भी देश के बहुत बड़े भाग बाढ़ तथा अकाल से पीड़ित हैं और वहां फसल कटने के समय भी लोगों को कष्ट रहता है । वास्तव में इस उत्पादन-वृद्धि का लाभ भी कुछ धनी किसानों और ज़मीदारों को हुआ है ।

जहां तक किसानों के ऋण का सम्बन्ध है उनकी स्थिति अभी तक उतनी ही बुरी है जितनी कि पहिले थी । अभी तक गांवों के सूदखोरों को ज़मीनें अधिक संख्या में बेची जाती हैं तथा जो थोड़ी बहुत राशि सहकारी संस्थाओं से मिलती भी है वह भी बड़े किसानों को ही मिलती है ।

सिंचाई की सुविधाओं के लिये हमारे पास बहुप्रयोजनीय नदी घाटी योजनायें हैं । किन्तु सिंचाई की दर दुगुनी अथवा तिगुनी कर दी गई है । उदाहरणार्थ मयूराक्षी परियोजना से उस क्षेत्र के लोग दो वर्ष तक केवल इस कारण लाभ न उठा सके क्योंकि उन्हें ७५ पये प्रति एकड़ सुधार उपकर तथा १५ रुपये प्रति एकड़ उन टुकड़ों के लिये देना पड़ा जहां वर्ष में दो फसलें पैदा की जाती थीं ।

कृषि पदार्थों के मूल्यों की क्या स्थिति है । गन्ना तथा जूट उगाने वालों के लिये कोई निम्नतम दर नहीं निश्चित की गई, यद्यपि गन्ना उगाने वालों के प्रतिनिधियों ने कई बार मांग की है तथापि सरकार ने गन्ने की दर १ रुपया १२ आने से घटा कर १ रुपया ७ आने कर दी है ।

यद्यपि योजना के अनुसार सरकार का लक्ष्य ४८ अस्पताल, गांवों में ६११ तथा नगरों में ३३७ दवाखाने खोलने का था तथापि अब तक केवल २० अस्पताल और नगरों में १५२ तथा गांवों में २०९ दवाखाने खोले गये हैं ।

जहां तक जल संभरण का प्रश्न है ११ करोड़ रुपयों में से अभी केवल ५ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं । जब कि गांव के लोगों को कूओं अथवा नलकूपों की नितान्त आवश्यकता है ।

शिक्षा नीति के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चहाता हूं कि यद्यपि इस योजना के अनुसार ३८,०५९ अतिरिक्त प्रारंभिक पाठशालायें खोली जानी थीं तथापि अभी केवल १६,२७६ पाठशालायें खोली गई हैं ।

यद्यपि लोग अभी परेशान हैं और उनकी अवस्था गिरती जा रही है तथापि हमसे कहा गया है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है । वास्तव में इससे कुछ ही लोगों को लाभ हुआ है तथा विषमतायें बढ़ी हैं ।

इस प्रगति प्रतिवेदन के अध्ययन से जो पहिली बात हमारे दिमाग़ में आती है वह यह है कि चाहे समाज की समाजवादी प्रतिकृति के सम्बन्ध में कुछ भी कहा गया हो वास्तव में हो यही रहा है कि समाज में वही पूंजीवादी व्यवस्था जारी है ।

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : मैं इस अवसर पर प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रशंसा करना चाहता हूं । इससे योजना के कार्य का एक सच्चा चित्र देखने को मिलता है

योजना की प्रगति के सम्बन्ध में सरकार बधाई का पात्र है क्योंकि कई क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्ति हो चुका है । मैं स्वीकार करता

हूं कि कुछ कमी रह गई है, तथापि हमारी योजना संसार की किसी भी दूसरी योजना से अधिक सफल रही है। इस प्रगति के सम्बन्ध में सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना लोगों के त्याग किये ही इतना कुछ प्राप्त हो गया है।

मैं योजना आयोग के इस कथन से सहमत हूं कि युद्ध तथा विभाजन के फलस्वरूप जो असंतुलन पैदा हो गया था वह बहुत कुछ अंशों में इसके द्वारा मिट चुका है।

उल्लेखनीय बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति का भार पड़े बिना ही इतनी प्रगति हो गई है।

हमारा देश अविकसित उद्योग, पिछड़ी कृषि तथा कम उत्पादन का देश है। किसान की व्यवस्था शोचनीय है कृषि अर्थ-व्यवस्था को हल करने में यह योजना असफल रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही करे।

दूसरा प्रश्न योजना के कार्य में कमी है योजना के तीन वर्षों में हमें यह अनुभव हुआ है कि इस की सफलता के लिये वित्त के अलावा यंत्रों की व्यवस्था भी अनिवार्य है।

योजना कार्यान्वित करने में कमी के दो ही कारण हो सकते हैं, पहला, या तो योजना बहुत बड़ी थी, दूसरा, या हम में खर्च करने का सामर्थ्य नहीं है। इन दो कारणों में से दूसरा कुछ ठीक प्रतीत होता है। क्योंकि हमारी मशीनरी ठीक प्रकार चालू नहीं हुई थी और प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब से योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी। योजना आयोग ने भी सेवाओं के संगठन के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं, परन्तु उन्हें क्रियात्मक रूप देने में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई जो कि इस का मुख्य कारण है।

राज्य से जो प्रतिवेदन मुझे मिले हैं उनसे पता चलता है कि योजना में कमी का एक यह भी कारण है कि केन्द्र ने राज्यों को, विशेषकर बिहार को, समय पर सहायता नहीं दी। १९५१ से लेकर अकाल और बाढ़ों के कारण बिहार की आर्थिक स्थिति बुरी रही है। भाग 'क' राज्यों में बिहार का प्रति व्यक्ति राजस्व सब से कम है।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुये]

यह सब होते हुये बिहार में कर की दर अधिकतम है। योजना काल में केन्द्र ने बिहार पर २३·९ करोड़ रुपये व्यय करने का वचन दिया था परन्तु इसके ५० प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं किया गया है।

हम इस योजना को बिना कोई बलिदान दिये पूरा करने का यत्न कर रहे हैं। कहा जाता है कि चीनी के आयात पर हम ने २० करोड़ रुपये का व्यय किया है। इसकी बजाय हमें चाहिये था कि हम अपने उत्पादन से ही निर्वाह करते जैसे कि रूस ने किया है। योजना की क्रियान्विति के लिये यह साधारण सा बलिदान दिया जा सकता था।

नदी घाटी परियोजनाओं में जो प्रगति हुई है उसका श्रेय सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को है, इन से लगभग २८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा चुकी है और ४५०,००० किलोवाट बिजली पैदा की जा चुकी है। योजना में नदी घाटी परियोजनाओं का विशेष महत्व है और इनकी सफलता योजना की सफलता है। इस दिशा में भारत असाधारण प्रयत्न कर रहा है। आशा है कि हमारा देश अमरीका से भी आगे बढ़ जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ले जाने की ओर भी हमें

[श्री एल० एन० मिश्र]

ध्यान देना चाहिये। इसके लिए हमें हाल ही में ७ करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। यह काम शीघ्र ही किया जाना चाहिये क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी। संभरण करते समय हमें मांग को नहीं देखना चाहिये, क्योंकि मांग बाद में बढ़ जाती है।

योजना आयोग ने सिफारिश की है कि नदी घाटी परियोजनाओं में जनता का सहयोग प्राप्त किया जाय, परन्तु इन परियोजनाओं के भार-साधक लोगों ने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है। ऐसा करने से बेहतर परिणामों की आशा की जा सकती है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह जनता का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करे।

श्री तुलसी दास (मेहसाना पश्चिम) : प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रगति-प्रतिवेदन से पता चलता है कि पहले दो वर्ष में खर्च कम किया गया है।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि पहले आरम्भ की गई कोई योजनायें वित्त के अभाव अथवा प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब के कारण पीछे न रहें। परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि स्वीकृत योजनाओं को संभरण प्राप्त करने में एक वर्ष का समय लग जाता है। इस प्रकार प्रशासकीय मशीनरी काम कर रही है। मैं ने सरकार को प्राप्त कराये गये संभरण का विश्लेषण किया है और अभी इन लोगों को १०० करोड़ रुपया दिया जाना है।

हम ने योजना इस विचार से आरम्भ की थी कि हमें राष्ट्रीय आय की पांच प्रतिशत बचत रहेगी और हमें अधिकतर विदेशी सहायता पर निर्भर करना पड़ेगा और भुगतान संतुलन में २०० करोड़ रुपये का घाटा रहेगा, और हमें पौंड पावना का प्रयोग करना पड़ेगा। परन्तु मैं देखता हूं कि बचत काफी बढ़ गई है। भुगतान संतुलन में कोई घाटा नहीं है और हमें पौंड पावना में से भी व्यय नहीं करना पड़ा है, परन्तु हमारा अनुभव है कि योजना में बहुत कम प्रगति हुई है। और जब तक इस प्रशासकीय प्रक्रिया की गति तीव्र नहीं होती तब तक खर्च ठीक प्रकार नहीं होगा। अगली योजना तो और भी बड़ी होगी। उसके लिये हमें ठीक व्यवस्था करनी चाहिये और उनके लिये धन भी साथ साथ मिलता रहना चाहिये। यदि भुगतान स्वीकृति करने में वित्त मंत्रालय का यही बर्ताव रहा तो योजना में प्रगति कैसे होगी।

हमें कोई ऐसा तरीक़ा निकालना पड़ेगा जिस से परियोजनाओं को धन की स्वीकृति देने में विलम्ब न हो। इस विषय में मेरा यह सुझाव है कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के अतिरिक्त एक और समिति होनी चाहिये जो न दोनों से मिल कर कार्य करे और काम की गति को बढ़ाये। सचिवालय लोक लेखा समिति में काम करने वाले श्री दास की आलोचना से डरते हुये कोई निश्चय नहीं कर पाते और अपने ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते। यदि हम इस समय युद्ध काल की भांति कार्य नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि हम बहुत पीछे रह जायेंगे।

हमारा कृषि और औद्योगिक उत्पादन बहुत बढ़ गया है। यह और भी बढ़ेगा परन्तु हमारे परिवहन के ठीक न होने के कारण बड़ी अड़चन पैदा होगी। उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ परिवहन की भी प्रगति होनी चाहिये और यदि रेलें इस मांग को पूरा न कर सकें तो हमें परिवहन के दूसरे साधनों की ओर ध्यान देना चाहिये और जहां तक

संभव हो देश के परिवहन का विकास करना चाहिये ।

गुजरात में ४०० नल-कूप लगाने का विचार था और सका ठेका एक नल-कूप समवाय को दिया गया था । अभी तक केवल ८० नलकूप लगाये गये हैं । इस प्रकार न जाने यह काम कब समाप्त होगा और इस दुर्भिक्ष क्षेत्र में लोगों की पानी की कठिनाई कैसे दूर होगी ।

सड़कें भी बहुत कम हैं । अहमदाबाद से दिल्ली तक एक राष्ट्रीय राजपथ निर्माण करने की योजना थी, परन्तु स में बहुत प्रगति हुई है ।

योजना आयोग को वे आंकड़े भी बदलने चाहियें जिन पर जीवन-निर्वाह देशनांक आधारित होता है, क्योंकि यह आंकड़े बहुत पुराने हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब चेयरमैन साहब, मैं सब से पहले एम्पटी बेंचेज़ को मुबारक़ बाद देता हूं और खासतौर पर श्री नन्दा जी को जिन्होंने मेरी राय में निहायत डिवोशन ू ड्यूटी और ईमानदारी और सिंसेरिटी के साथ हमारी प्लानिंग कमीशन के साथ काम किया है । साथ ही मैं अपने सामने बैठे हुये वाइस प्रेसीडेंट प्लानिंग कमीशन श्री कृष्णमाचारी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने बड़ौदा के तजुर्बे से हमारे देश में नेशनल एक्सटेंशन स्कीम चलायी।

सभापति महोदय : सामने बैठे हुओं का आप ज्यादा जिक्र न कीजिये सिर्फ उनको मुबारकबाद दे दीजिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं मशकूर हूं कि जिस तरह से फेट्स परदे के पीछे रहकर हमारी क़िस्मत का फैसला करती है उसी तरह श्री कृष्णमाचारी जो प्लानिंग कमीशन में बैठे हुये हमारे देश की क़िस्मत का फैसला कर रहे हैं । मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है इसलिये मैं मुबारकबाद में ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता । लेकिन मैं फादर आफ दी हाउस को और अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दिये बगैर नहीं रह सकता । जिस चीज़ को कि हम पहले सपना समझते थे उसको उन्होंने सच्चा करके दिखा दिया । उन्होंने इम्पीरियल बैंक को नेशनलाइज़ किया और रिज़र्व बैंक के फोर्स को रुरल क्रेडिट के लिये डाइवर्ट किया, गो कि यह चीज़ बहुत देर से हुई है । मगर मुझे खुशी है कि कम से कम सरकार की रूरल एरियाज़ की तरफ तवज्जह तो हुई । मुझे अफसोस है कि इससे पहले गवर्नमेंट को रूरल एरियाज़ की डिफीकल्टीज़ का अहसास नहीं हुआ । अगर ऐसा हुआ होता तो यह काम अभी तक हो चुका होता ।

मैं चाहता हूं कि मेरी एक बात श्री गुलजारी लाल नन्दा जी के पास पहुंचा दी जाय । वह यह है कि क़िदवई साहब ने अपने मरने से कुछ अर्से पहले हमसे एक वादा किया था । हम डेपूटेशन लेकर उनके पास गये थे । मेरे साथ पंजाब के इरीगेशन मिनिस्टर थे, और मिस्टर बंसल थे । आपको मालूम है कि पंजाब में गुड़गांव का इलाक़ा हमेशा से सिंडला रहा है । कभी इसकी तरफ़ गवर्नमेंट ने तवज्जह नहीं दी । लेकिन जब हम क़िदवई साहब के पास गये तो उन्होंने हमसे वादा किया कि वह गुड़गांव के वास्ते या तो दो-तीन करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन से दिलवायेंगे या अपने ग्रो मोर फूड में से देंगे । इसके अलावा उन्होंने भाखरा डैम के एक हिस्से से रिवाड़ी को पानी देने का वायदा किया था और उसके लिये ५० लाख रु० देना किया था । हमने उनसे कहा कि गुड़गांव को ट्यूब वैल्स से कोई फायदा नहीं

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

पहुंच रहा तो उन्होंने कहा था कि इस साल जो ४७ ट्यूब्र वैल बनने वाले हैं उनको प्रायरिटी दी जायगी। उन्होंने गवर्नमेंट आफ इंडिया के जरिये एक सर्वे भी कराने का वायदा किया जिसको कि उनके मरने के बाद गवर्नमैंट आफ इंडिया ने टर्न डाउन कर दिया। मुझे आज पता लगा है कि उन्होंने जो वायदे किये थ उनको पूरा नहीं किया गया। कुछ दिन हुए मैंने हाउस में उन वायदों की याद दिलायी थी और एग्रीकल्चरल मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था कि उनको पूरा किया जायगा लेकिन मैं नहीं जानता कि उनको क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है।

आचार्य कृपालानी : और वायदों का भी यही हाल होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कांगड़ा वैली और होशियारपुर में भी उन्होंने पानी देने का वायदा किया था। मैं हाउस से कहना चाहता हूं कि जो वायदा एक मिनिस्टर करे उसको गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिये नहीं तो जाइंट रेसपांसिबिलिटी ही क्या है।

हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे सामने वायदा किया था कि वह नकूडों की हाइड्स एक्सपोर्ट को बन्द कर देंगे। मैं ने एग्रीकल्चरल मिनिस्टर साहब से इसके बारे में कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह वायदा किया है तो उन्होंने कहा कि न मालूम कामर्स और इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर इसको मानेंगे या नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कह दी तो फिर किसी मिनिस्टर के न मानने का क्या सवाल रह जाता है। मैं चाहता हूं कि जो एक मिनिस्टर वायदा करे उसको इस तरह से न तोड़ दिया जाया

मैं ने कुछ अमेंडमेंट दिये हैं जो कि ६ या ७ हैं। उनको मैं पढ़ना नहीं चाहता। उनका जनरल मतलब यह है कि देश के अन्दर जानवरों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और गवर्नमेंट उनकी तरफ क्रिमिनल निगलेक्ट कर रही है। इस देश के २० करोड़ म्यूट जानवरों की तरह हमारी गवर्नमेंट का एटीट्यूड निहायत सख्त क्रूअल रहा है। और उसने कभी यह नहीं देखा कि इनका क्या हाल है। शायद गवर्नमेंट काऊ के लफ्ज़ से घबराती है। लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आज इस रिपोर्ट में क्या दर्ज है। प्लानिंग कमीशन ने हमारे सामने शुरू में वायदा किया था कि वह तक़रीबन ४ करोड़ रुपया इस गरज के लिये रखेगी। उसने २ करोड़ ९७ लाख रुपया गांवों के मवेशियों की मुख्तलिफ स्कीमों के लिये रखा और ९७ लाख गो-सदनों के लिये अलहदा रखा गया था। आज जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ता हूं तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि पिछले सात सालों में गवर्नमेंट ने इस तरफ कितना कम किया है। रिपोर्ट के ८० से ८८ पैरा तक जाहिर है इस चीज़ पर हमारी सारी ज़राअती तरक्की निर्भर है। अगर हम इस तरफ ध्यान देते तो यह सारा काम मवेशियों की उन्नति का दस बारह साल में पूरा हो सकता था। मैं देखता हूं कि उस २ करोड़ ९७ लाख में से अब तक सिर्फ २० लाख खर्च हुआ है और गोसदनों के लिये जो ९७ लाख रखा था उसमें से ३.२१ खर्च किया गया है। मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या यही तरीक़ा है कि गांवों की बहबूदी को बढ़ाने का कि जानवरों पर जो २५ फी सदी सारी कौनी आमदनी सालाना देते हैं उन पर २१४४ करोड़ में से बीस लाख ही खर्च किया जावे। अगर मैं आपको फ़िगर्स दूं कि इस

गवर्नमेंट के राज में किस क़दर गोकशी ज्यादा होगयी है तो आप हैरान हो जायेंगे । आप देखेंगे कि इस अर्से में किस क़दर खालें बाहर भेजी गयी हैं । १९४७-४८ में इस देश से ३० लाख ८१ हज़ार गायों की खालें बाहर भेजी गयीं, १९५३-५४ में ५४ लाख ५५ हज़ार ९६० खालें भेजी गयीं और काफ्स की २५,७३,१२७ । इस तरह से जो सन् १९४७-४८ में ३०,८१,००० थीं वह सन् १९५३-५४ में ८०,२९,०८७ हो गयीं । इसी तरह से सिर्फ तीन पोर्टस से ५६,३८,४५२ रुपये का बीफ बाहर भेजा गया । अब मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप वोन्ज़ की तरफ़ तवज्जह कीजिये । सन् १९४९–५० में १४० लाख की वोन्स भेजी गयीं और १९५०-५१ में २३० लाख की । गर्ज़कि जहां तक गांवों के मवेशियों का सवाल है कोई उनकी बहतरी का काम नहीं किया गया । गवर्नमेंट के स्टेटमेंट हमको एक बात बतलाते हैं मगर हम देखते हैं कि अमल उसके बिल्कुल बरअक्स होता है । मैं नन्दा साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमारे फुड प्रोबलम को हल किया और श्री पंजाबराव को मैं पबलिकली मुबारकबाद दे चुका हूं कि उन्होने फूड के सवाल को और राइस के सवाल को हल किया । लेकिन क्या कोई गवर्नमेंट यह समझ सकती है कि जब तक कि कैटिल वैलफेयर का सवाल हल नहीं होगा क्या कभी गावों की तरक्की हो सकती है । जो लोग गावों की हालत को जानते हैं वे बतला सकते हैं कि एक ज़मींदार का काम बगैर बैल के एक दिन भी नहीं चल सकता । उसका हर काम बैल ही करता है । वही उसके लिये चित्तरंजन है और वही उसके लिये सिंदरी है जैसा कि कृष्णाप्पा साहब ने एक बार इस हाउस में तस्लीम किया था । गवर्नमेंट की इस पालिसी का नतीजा क्या है ? नतीजा यह है कि जिस ज़िले से मैं आता हूं वहां गायों की दूध देने की शक्ति कम हो रही है । गायें बच्चे कम देती हैं । सूखा पीरियड बढ़ गया है मार्केटिंग आफ मिल्क की रिपोर्ट के २२ पृष्ठ पर साफ लिखा है कि इस देश के अन्दर गायों की दूध देने की शक्ति कम होती जा रही है ।

गायों का ड्राई पीरियड ज्यादा होता जा रहा है । मैं अर्ज़ करूं कि यह कौन सी तरक्की है जो बजाय हमको आगे ले जाने के पीछे की तरफ़ लिये जा रही है और पशु-धन की हानि होने से हमारे देश को ऐसा नुक़सान हो रहा है जिसको आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते । मैं अदब से आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कान्स्टीट्यूशन में जो यह दफा ४७ रखी है जिसमें लेविल आफ न्युट्रिशन बढ़ाने को कहा गया है, लोगों की हैल्थ बढ़ाने का ज़िक्र है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि लोगों की हैल्थ बढ़ाने का और कौन सा तरीक़ा हो सकता है सिवाय इसके कि आप लोगों के लिये काफी तादाद में दूध का इन्तज़ाम करें । और जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि बजाय दूध लोगों के लिये हम ज्यादा मुहैया करें हम देख रहे हैं कि वह घटता जा रहा है । पहले प्रति आदमी दूध मिलने का औसत ६·६ औंस पड़ता था, बंटवारे के समय वह घट कर ५·३ औंस रह गया और आज दूध का औसत केवल ४·७५ औंस प्रति मनुष्य ही रह गया है और इस तरह हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन लेविल आफ न्युट्रिशन नीचे गिरता जा रहा है और हम इस दिशा में तरक्की नहीं कर रहे हैं ।

पिछली दफा मुझ से कुछ लोगों ने कहा कि अगर गवर्नमेंट को ऐसी राय मिल जाती कि वनस्पति दरअसल खराब है और मुज़िर है, तो वह वनस्पति को फौरन बन्द कर देती । मैं आपको डाक्टर केहर की ओपीनियन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बतलाना चाहता हूं जो कि गवर्नमेंट ऐक्सपर्ट हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि वनस्पति खराब और नुक़सानदेह चीज़ है . .

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : वह रिपोर्ट वनस्पति वालों ने चुरा ली ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह रिपोर्ट चुरायी नहीं गयी है । वह तो हाउस टाप से बोलती है । सिलवर जुबली सौविनर जो आपने बांटा है उसके अन्दर सफे ९४ पर आपके डाक्टर ऐसा कहते हैं । मैं ने चन्द दिन हुये हाउस में कहा था कि इस वनस्पति के इस्तेमाल से उन इलाक़ों में जहां खुराक़ में काफी विटामिन नहीं होते नुक़सान हो रहा है । वहां के लोगों की जिस्म की ग्रोथ कम होती जा रही है और देश के रहने वालों की तन्दुरुस्ती दिनों दिन खराब होती जा रही है और देश अधोगति को जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों की तन्दुरुस्ती ठीक हो तो बग़ैर दूध का इन्तज़ाम किये यह मुमकिन नहीं है । आप किसी भी नुक्ते निगाह से देखें जब तक हमारे देश में जानवरों की पूरी तरक्क़ी नहीं होगी उस वक्त तक नामुमकिन है कि हम लोग ज़िन्दा रह सकें । आप रोज़ महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे कहना चाता हूं कि उनके नज़दीक़ गाय की रक्षा और पालन का सवाल स्वराज्य से भी बढ़ कर था और उन्होंने कहा कि गौरक्षा और पशुपालन के बग़ैर दुनिया का कोई भी देश ज़िन्दा नहीं रह सकता । मुहम्मद साहब ने गाय के दूध को नेक्टर कहा है । महात्मा बुद्ध आदि जितने भी हमारे देश के अगुवा हुये हैं उन सब का यही मत रहा है कि गाय जैसी पवित्र चीज़ और दूध जैसी पवित्र चीज़ दूसरी नहीं है ।

सरकार की १६० गोसदन देश में बनाने की स्कीम थी जिसमें कि कहते हैं कि अब तक कुल दस बनाये गये हैं और पिछली दफा हमारे मिनिस्टर ने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, लोग वहां पर अपने डंगर ही नहीं लाते हैं । आखिर इसकी वजह क्या है, यह भी आपने सोचा । दरअसल इन्तज़ाम इतना खराब है कि वह गोसदन नहीं है और असल में काऊ स्लाटर हाउस हो रहे हैं । अगर सरकार सचमुच चाहती है कि देश में गोसदन स्थापित हों और वह अपना उपयोगी काम करें तो यह काम अगर किसी नान आफिश्यल बाडी का दे दें तो वह सारे गोसदन चला देगी । गवर्नमेंट तो महज़ बहाना बनाना चाहती है । गवर्नमेंट को गाय का काम लेते ये डर लगता है, वह गाय के अन्दर पालिटिक्स देखती है लेकिन मैं गाय के बारे में जो कहता हूं कि वह सिर्फ एकोनोमिक प्वाइंट को सामने रखते हुये कहता हूं, मैं गाय में पालिटिक्स नहीं देखता । कांस्टीट्यूशन की दफा ४८ के अन्दर हमने ऐसा लिखा है : "गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारु एवं वाहक ढोरों की हत्या का प्रतिषेध" अगर हम अपने कांस्टीट्यूशन को मानते हैं और उसमें जो एकोनामिक प्रिंसिपल्स दिये हुये हैं उनको मानते हैं तो हमें अपने पशुधन की रक्षा करनी चाहिये और गौरक्षा का माक़ूल इन्तज़ाम करना चाहिये, या गवर्नमेंट कह दे कि हम इस कांस्टीट्यूशन को नहीं मानते और उस हालात में मैं कहूंगा कि वह गवर्नमेंट भी अनकांस्टीट्यूशनल है जो अपने बनाये हुये कान्स्टीट्यूशन पर न चले । यह बहुत ज़रूरी है कि हर कोई यह जो हमारा संविधान बना है उस पर अमल करे और मैं हर एक मेम्बर से बहुत ज़ोर से इलतजा करता हूं कि अगर हम ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं और अगर हमारे दिल में वाक़ई यह ख्याल है कि हमारे देश में लोगों की सेहत ठीक हो, हमारे देश में खुशहाली

हो और वह तरक्की करे तो हम सब का फ़र्ज़ है कि इसको पार्टी का सवाल न बनायें और जितने मेरे अमेंडमेंट्स हैं उन सब को हाउस को मंजूर करना चाहिये और हमें गवर्नमेंट को कह देना चाहिये कि इस बारे में जो आपकी नीति है वह ग़लत है और ख़िलाफ क़ानून है और साथ ही यह ऐसी है जिससे देश को नुक़सान पहुंचेगा । मैं और भी कुछ बातों के बाबत अर्ज़ करना चाहता था क्योंकि अख़बारों में लोग शिकायत करते हैं कि मेम्बर साहबान सब बातों पर बहस नहीं करते। मैंने जितना हो सका इस दस मिनट के क़लील अर्से में अर्ज़ कर दिया, मुझे और भी बहुत सी बातें अर्ज़ करनी थीं, अगर मुझे कुछ टाईम एक आध मिनट और मिलता तो उनको भी बहुत मुख्तसर में अर्ज़ कर देता । मैं ने अपने हिस्से का सारा समय १० मिनट का २० करोड़ पशुओं के लिये लगा दिया मनुष्यों के बारे में बोलने का वक्त ही नहीं ।

सभापति महोदय : आपको बोलते चौदह मिनट हो गये हैं, अब मेहरबानी करके रहने दीजिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अच्छा जाने दीजिये ।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : प्रथम पंच-वर्षीय योजना में बहुत अच्छा कार्य हुआ है । खाद्य, उद्योग, सिंचाई कार्य और जल विद्युत् योजनाओं में बड़ी उन्नति हुई है । परन्तु विदेशों पर निर्भर करने के कारण हमारी अर्थ व्यवस्था को बड़ी हानि हो रही है ।

प्रधान मंत्री ने सरकार की आर्थिक नीति पर बोलते हुये कहा कि उसका उद्देश्य जाति रहित और वर्गहीन समाज का निर्माण करना है परन्तु योजना हमें उस ध्येय तक नहीं पहुंचायेगी । इस से तो वर्ग भेद और भी बढ़ेगा । योजना आरम्भ करने से पहले भूमि को समानता से बांटा जाना चाहिये था और भूमि सुधार विधान बनाया जाना चाहिये था ।

पचवर्षीय योजना के नवीनतम प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया गया है कि देश में बेरोज़गारी के आंकड़े ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं किये जा सकते । काम दिलाऊ दफ्तर के आंकड़ों पर निर्भर करते हुये यह देखा गया है कि दिन प्रति दिन बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है । जुलाई, १९५३ में बेरोज़गार लोगों की संख्या ४,९३,००० थी जो जुलाई, १९५४ में ५,८९,००० हो गई है । इनके अतिरिक्त कई करोड़ लोग काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध नहीं हैं ।

प्रत्येक वर्ष ६ या ७ लाख विद्यार्थी स्कूल की शिक्षा समाप्त करके बेरोज़गारों की संख्या में वृद्धि करते रहेंगे ।

उत्तर प्रदेश में किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी बेरोज़गारी और दरिद्रता है । पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया गया है कि बेकार लोगों को खपाने के लिये पर्याप्त संख्या में नौकरियों की व्यवस्था नहीं की जा रही है । प्रत्येक वर्ष ५० लाख जनसंख्या बढ़ती है । हमें इन सब के लिये नौकरियों का प्रबन्ध करना होगा ।

उद्योगीकरण के बारे में दो राय है । कुछ लोगों का विचार है कि उद्योगीकरण से बेरोज़गारी की समस्या हल हो जायेगी परन्तु महात्मा जी का यह विचार था कि जब तक जनशक्ति काफी है तब तक यान्त्रिक शक्ति की ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये । विनोबा जी और डा० राजेन्द्र प्रसाद भी इसी बात का समर्थन करते हैं । उनका कहना है कि उद्योगीकरण से थोड़े व्यक्ति अधिक काम कर सकेंगे जिसके परिणामस्वरूप बेरोज़गारी बढ़ेगी । अतः

[श्री केलप्पन]

उद्योगीकरण की नीति जिसका उद्योग मंत्री और देश के उद्योगपति समर्थन कर रहे हैं, ग़लत है ।

पूना में हुये खादी और ग्रामीण उद्योग सम्मेलन में भी उन्होंने एक संकल्प पारित किया जिसका अभिप्राय था कि सरकार उन कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे जहां न कोई मालिक है, न कोई नौकर ।

हम देश के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने में भी असफल रहे हैं । इस विषय में मैं कुछ कहना चाहता था परन्तु समय न होने के कारण अब समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदय : श्री आर० एन० शाह उनका इस सभा में यह पहला भाषण होगा ।

श्री आर० एन० शाह (छिंदवाड़ा) : सभापति जी, आप ने प्रथम बार मुझे यहां बोलने का मौक़ा दिया इस के लिये मैं आप का आभारी हूं ।

पंचवर्षीय योजना की प्रगति के ऊपर विचार करते हुये कल हमारे योजना मंत्री ने कहा कि हम कृषि उत्पादन में जो हमारे अंक थे उन के आगे बढ़ गये हैं । इस में कोई सन्देह नहीं कि उस के बारे में हम योजना कमीशन को और अपनी सरकार को धन्यवाद दे सकते हैं । हम देखते हैं कि हम अनाज और तिलहन के उत्पादन में अपने लक्ष्यों से बहुत आगे हैं । परन्तु इस के साथ जैसा कल कई सदस्यों ने कहा कि एक खतरा भी हमारे सामने है । अनाज का उत्पादन ज़रूर बढ़ा है लेकिन उस की क़ीमतें दिनों दिन गिरती जा रही हैं । यदि हम ने उस की तरफ़ दुर्लक्ष्य किया तो यह हमारे उत्पादन में बाधक बनेगा क्योंकि आज किसानों की स्थिति यह है कि जो अन्न उत्पादन में आज उन का खर्च होता है वह भी, आज की क़ीमतों को देखते हुये, निकलना मुश्किल है ।

दूसरी समस्या आज हमारे सामने बेकारी की है । परन्तु देहातों के अन्दर की हालत इसके विपरीत है । किसानों को मज़दूर नहीं मिलते हैं । इस का कारण यह है कि किसान आज उन को उचित मज़दूरी नहीं दे सकते हैं । इसी लिये आज मज़दूरों में गांवों में रहने की तरफ़ कोई मोह नहीं है और वह गांव छोड़ कर शहरों की तरफ भागे जा रहे हैं । नतीजा यह हो रहा है कि किसान को अपनी खेती करने में बहुत खर्चा करना पड़ता है और जब वह अपना माल बेचता है तो उसको उतनी भी क़ीमत नहीं मिलती जितना कि उसका खर्चा हुआ है । इसलिये हमें डर है कि अगर यही हालत रही तो आगे चल कर किसान केवल अपने काम लायक उत्पादन करेगा और उससे ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि यह स्वाभाविक बात है कि अगर किसी को अपना उत्पादन व्यय भी पूरा नहीं मिलेगा तो वह उस धन्धे को नहीं करेगा । इस सवाल पर हमको बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिये ।

आज किसानों की हालत बुरी होती चली जा रही है । मुझे खुशी है कि इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो रहा है । इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि किसानों को आसानी से क़र्ज़ मिलने की भी व्यवस्था की जाय तभी इससे लाभ होगा । आज किसान को क़र्ज़ लेने के लिये बहुत तक़लीफ उठानी पड़ती है और ब्याज के मारे उसकी कमर टूटी जा रही है । मैं आशा करता हूं कि इसके लिये सरकार की ओर से प्रबन्ध किया जायेगा ।

देहातों में अभी भी बेकारी है क्योंकि किसान के पास पूरे साल भर के लिये काम नहीं है । मज़दूरों को भी इसी वजह

से पूरे समय के लिय काम नहीं मिलता। यह भी एक कारण है कि मज़दूर शहरों को आ रहे हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार इन लोगों को कोई ऐसा ग्रामोद्योग दे कि जिससे इनको १२ महीने गावों में काम मिल सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो गांव उजड़ते चले जायेंगे। हम कहते हैं कि हमारा देश गांवों में बसता है और हमारा लक्ष्य गांवों की उन्नति करना है। मगर हम देखते हैं कि हो इसके विपरीत रहा है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का अधिकतर ध्यान शहरों की तरफ़ है। वहां अधिकतर सुविधायें दी जा रही हैं। गांवों म न पढ़ाई का कोई इन्तिज़ाम है, न वहां के लोगों के स्वास्थ्य के लिये कोई इन्तिज़ाम है, न कोई दवाखाना है और न और कोई इन्तिज़ाम है। इसलिये अब हमारा सब से अधिक ध्यान उस तरफ़ होना चाहिये।

जहां तक रिवर वेली स्कीम्स का सवाल है मैं कह सकता हूं कि उनका काम बहुत अच्छा हो रहा है और वह तारीफ लायक़ है। इस काम के लिये हमें अपने इंजिनियरों की तारीफ करनी चाहिये। मैं ने भाखरा नंगल के काम को जा कर देखा है। तो जहां तक बड़ी नदी घाटी योजनाओं का सवाल है मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना है। वह अच्छी तह से चल रही हैं। लेकिन जहां तक नेशनल सरविस एक्सटेंशन स्कीम का सवाल है, मुझे कहते हुये दुःख होता है कि उनके बारे में जो चित्र हमारे सामने रखा जाता है वह ग़लत रखा जाता है। जहां तक मेरे अपने क्षेत्र का सवाल है मैं कह सकता हूं कि जैसा वहां के लोगों में इस काम के प्रति उत्साह था उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि जो हमारे अधिकारी लोग वहां गये हुये हैं वे पुराने ढर्रे के हैं। वह जनता के बीच में जाकर काम नहीं करना चाहते वे साहिबी ढंग से काम करते हैं। आप सारे देश में इस स्कीम का जाल बिछाना चाहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस तरफ़ अधिक ध्यान दें। कहा जाता है कि वहां काम बहुत हो रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि जो तस्वीर यहां हमारे सामने रखी जाती है वह ग़लत रखी जाती है। मैं यह कहने को तैयार हूं कि इस काम की जो पिक्चर हमारे प्रधान मंत्री के सामने रखी जाती है वह सही नहीं रखी जाती, हमारा यह कर्तव्य है कि हम देखें कि हमारा काम ठीक से चलता है या नहीं।

हमारे कई भाइयों ने जो कि सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं कहा कि भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जाता है। उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अधिकारी वर्ग की जो पुरानी मेंटेलिटी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं पड़ा है। वह आज भी अपने को जनता का मालिक समझे हुये हैं, अपने को जनता का सेवक नहीं समझते।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि जो ज़िलों की डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं उनके चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न हों बल्कि नानआफिशियल्स हों। यह चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने इस बात को हंस कर उड़ा दिया कि यह ग़लत चीज़ है। इन अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जब ये लोग कमेटी की बैठक बुलाते हैं तो संसद् सदस्यों को बहुत देर से सूचना देते हैं ताकि वे वहां पहुंच न पावें। ये लोग नहीं चाहते कि संसद् सदस्य इन कमेटियों में भाग लें। इनका सदस्यों के प्रति ऐसा वर्ताव होता है कि जो स्वाभिमानी हैं वे जाना नहीं चाहते। यह बहुत ज़रूरी है कि आप नान आफिशियलस को चेयरमैन बनाइये। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इन एडवाइज़री काउंसिलस की वहां रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज सरकारी

[श्री आर० एन शाह]

अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अनाप शनाप खर्च हो रहा है मैं इसका एक उदारहण देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट की स्कीम है : ब्लाक डेवलपमेंट आफिस की ओर से एक सरकारी आदमी सिलाई का काम सिखाता है। अक्सर यह होता है कि जब गांव की स्त्रियां काम सीखने जाती हैं तो कह दिया जाता है कि अभी आफिसर साहब की स्त्री नहीं है इसलिये आज काम नहीं होगा। इस तरह से काम हमारे यहां चल रहा है।

दूसरे आपके विभागों में आपस में कोई सहयोग नहीं है। मेरे क्षेत्र में एक गांव है खेड़ी कलां। वहां पर २ अक्तूबर, १९५३ को एक विकास केन्द्र खोला गया। वहां के ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्कूल की इमारत बनायी। उस गांव तक सड़क नहीं थी, तो उन्होंने एक मील की सड़क भी बनायी। लेकिन आगे एक रेलवे क्रासिंग पड़ता था इसलिये सड़क आगे नहीं बढ़ सकी। इसके लिये मैं ने रेलवे मंत्री जी से भी कहा और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि हम यह काम करवा देंगे लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ और यह सड़क आगे नहीं चल पायी। नतीजा यह हुआ कि ग्रामीणों का उत्साह ठंडा पड़ गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको अपने विभागों में सहयोग बढ़ाना चाहिये।

हम पंच वर्षीय योजना की प्रगति को सन्तोषजनक नहीं कह सकते। मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें अधिक दिलचस्पी ले। मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैं ने कही हैं उन पर ध्यान दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : योजना इतनी बड़ी है और १९५३-५४ की प्रगति रिपोर्ट इतनी व्यापक है कि .....

श्री एन० एम० लिंगम् : जानकारी के हेतु, क्या यह वाद विवाद ६ बजे तक जारी रहेगा ?

सभापति महोदय : यों तो समय ५ बजे है, इसे ५ बजे स्थगित कर दिया जायेगा। किन्तु बोलने वाले बहुत हैं ....

श्री एन० एम० लिंगम : मद्रास का कोई सदस्य नहीं बोला। उन्हें अवसर देना चाहिये।

श्री कानावड़े पाटिल (अहमदनगर--उत्तर) : बम्बई से कोई नहीं बोला।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : भोपाल से कोई नहीं बोला।

डा० एस० एन० सिंह (सारन पूर्व) : उत्तर बिहार से कोई नहीं बोला।

सभापति महोदय : मैं इस बात के लिये उत्तरदायी नहीं हूं कि मद्रास का या भारत के किसी अन्य भाग का कोई सदस्य नहीं बोला। सरकार ने या किसी अन्य व्यक्ति ने यह प्रार्थना नहीं की कि वाद-विवाद को ५ बजे स्थगित न किया जाये। मैं नहीं जानता, सरकार का कार्यक्रम क्या है ?

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

श्री कानावडे पाटिल : हम ६ बजे तक बैठ सकते हैं।

सभापति महोदय : यदि सरकार और सदन सहमत हों, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं ८ या ९ बजे तक भी बैठ सकता हूं और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : प्रत्येक राज्य (के सदस्यों) को बोलने का अवसर देना चाहिये।

सभापति महोदय : इस से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं किन्तु मैं यह अवश्य चाहता

हूं सि सब राज्यों के अधिक-से-अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाये। यदि सभा ६ बजे तक या इस से देर तक बैठना चाहती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

डा० सुरेश चन्द्र : सदन अधिक देर तक बैठने के लिये तैयार है।

सभापति महोदय : तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि वे उत्तर देने के लिये कितना समय लेंगे। मैं वाद-विवाद को ८ घंटे से लम्बा नहीं करता। सके लिये ८ घंटे निश्चित किये गये थे और यदि हम कल भी इस के लिये समय लें, तो अनुसूचित जाति आयुक्त की रिपोर्ट का क्या होगा ?

डा० सुरेश चन्द्र : यदि सदन कल भी चर्चा जारी रखना चाहता है, तो मंत्री महोदय कल उत्तर दे सकते हैं।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री कितना समय लेंगे।

योजना व सिचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : लगभग ३५ से ४० मिनट तक।

सभापति महोदय : तो हम ६ बजे तक बैठ सकते हैं और माननीय मंत्री को ५-२० पर उत्तर देने के लिये बुलाया जा सकता है।

श्री कानावडे पाटिल : उन्हें उत्तर कल देना चाहिये।

समापति महोदय : मैं तो इस चर्चा को कल तक जारी रखने के लिये तैयार हूं किन्तु अनुसूचित जाति आयुक्त की रिपोर्ट का क्या होगा ? इस रिपोर्ट पर चर्चा के लिये कुल २½ घंटे का समय दिया गया है, जो कि पहले ही पर्याप्त नहीं है। मैं इस में से एक मिनट भी नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि सभा चाहे जितनी देर तक हो बैठी रहे, यह वाद-विवाद आज समाप्त हो जाना चाहिये।

श्री गिवडानी (थाना) : कल प्रश्न काल क्यों न उड़ा दिया जाये ?

सभापति महोदय : यदि सदन यही चाहता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि यह वाद-विवाद ६ बजे तक जारी रखा जाये, और माननीय मंत्री कल उत्तर दें। प्रश्न काल उड़ा दिया जाये। क्या सभा इस से सहमत है ?

माननीय सदस्य : जी हां।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : कल के लिये कुछ महत्वपूर्ण अल्पसूचना प्रश्न हैं।

सभापति महोदय : कुल कितने हैं ?

श्री टी० के० चौधरी (बहरमपुर) : केवल दो।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री तो केवल ४० मिनट लेंगे। इन दो प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा—मध्य) : अन्य प्रश्नों का क्या होगा ?

सभापति महोदय : जहां तक अन्य प्रश्नों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में सभा की यह राय है कि इन्हें न लिया जाये। अतः हम ६ बजे तक बैठेंगे। माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे और दो अल्प सूचना प्रश्नों के अतिरिक्त और कोई प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : योजना में कहा गया है कि अभ्रक खनन उद्योग के विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये, ताकि इस का निर्यात जारी रखा जा सके और हमें डालरों की आय भी होती रहे। किन्तु आंकड़ों से पता चलता है कि १९५१-५२ से हमारे अभ्रक के निर्यात में कमी होती

[रामचन्द्र रेड्डी]

जा रही है । इस बात का उल्लेख प्रगति-तिवेदन में भी किया गया है । किन्तु सरकार ने इस बात के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया है कि अभ्रक का निर्यात बराबर जारी रहे और अन्य देशों में अभ्रक की खपत को स्थिर किया जाये । खेद की बात है कि समय समय पर इस मामले की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है किन्तु इस पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया ।

अन्य देशों में अभ्रक की मंडियों को स्थिर करने के लिये एक सुझाव यह है कि उन देशों के साथ जो हमारा अभ्रक का आयात करते हैं, यह समझौता किया जाये कि वे जितने मूल्य का अभ्रक आयात करते हैं, उतने मूल्य का सामान और मशीनरी भारत में भेजें । यदि यह सुझाव स्वीकार्य है तो सरकार इस मामले में कार्यवाही कर सकती है । इसके साथ श्रमिकों की बेकारी का प्रश्न भी है । मैं दो साल से सरकार को कह रहा हूं कि अभ्रक की खानों से जिन श्रमिकों को निकाला जा रहा है, उन के लिये काम की व्यवस्था की जाये । दुर्भाग्यवश इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया । यदि सरकार इस मामले की जांच करे, तो उसे न केवल डालरों की बचत होगी, बल्कि हमारे श्रमिक भी बेकारी से बच जायेंगे ।

इस वाद-विवाद के दौरान कल और आज कृषि-उत्पाद के मूल्यों में कमी हो जाने का उल्लेख किया गया है । हमें अधिक उत्पादन करने के लिये कहा जाता है, किन्तु ऐसा किये जाने पर यह डर रहता है कि इसे बेचा नहीं जा सकेगा । इस सम्बन्ध में काफी मूल्य सम्बन्धी सहायता देना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त हमारे कृषि उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन देना भी अत्यावश्यक है । इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि भूमि का राष्ट्रीयकरण करना और भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करके भूमि के स्वामित्व में कमी करना कितना खतरनाक होगा ।

सामुदायिक परियोजनाओं और विस्तार योजनाओं के सम्बन्ध में भी मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा । यद्यपि सरकार इन क्षेत्रों के लोगों का स्तर ऊंचा करने के लिये उत्सुक है, फिर भी लोगों में उतना उत्साह पैदा नहीं किया जा रहा जितना कि होना चाहिये । इस का कारण यह है कि पर्याप्त प्रचार नहीं किया जाता और लोगों को इन चीजों को अच्छी तरह समझने के लिये प्रेरित नहीं किया जाता । केवल रिपोर्ट छाप कर इन्हें संसद् के सदस्यों में बांट देना काफी नहीं है । लोगों में उत्साह पैदा किया जाना चाहिये, ताकि वे स्वेच्छा से इन योजनाओं को क्रियान्वित करें । यह उत्साह पैदा करना देश के सब राजनैतिक दलों का कर्तव्य है ।

इन सामुदायिक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में, लाल फीताशाही से गति में जो बाधा पड़ती है, वह अब भी जारी है । यह सरकार और ज़िला प्रशासकों का कर्तव्य है कि इसे यथासम्भव अधिक-से-अधिक घटाया जाये ।

श्री **विमला प्रसाद चालिहा** (शिवसागर—उत्तर—लखीमपुर) : पंच वर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में सरकार को जो सफलतायें प्राप्त हुई हैं, उन के लिये विरोधी पक्ष के सदस्य उसे कुछ श्रेय नहीं देना चाहते । वे केवल उस की निन्दा ही करना चाहते हैं । हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं । हम केवल भारत की उन्नति और विकास चाहते हैं और भारत के लोगों का कल्याण चाहते हैं । जो चीज़ देश के लिये

हानिकारक है, वह निराशा की भावना है, जो कि दुर्भाग्य से विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों में पाई जाती है और यह उन थोड़े से लोगों में पाई जाती है जिन्होंने योजना को कार्यान्वित करने में कोई योग नहीं दिया। मुझे विश्वास है कि देश को अपने भविष्य के बारे में कोई चिन्ता नहीं है। हम देखते हैं कि पहले जो कमी की स्थिति थी, वह अब नहीं रही और आत्म निर्भरता प्राप्त की जा चुकी है।

सरकारी और ग़ैर सरकारी क्षेत्रों के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। प्रधान मंत्री ने ठीक कहा है कि इस देश में ग़ैर सरकारी क्षेत्र किसानों के हाथ में है। और देश का विकास इन के परिश्रम और उत्साह पर निर्भर है। कई बार यह शिकायत की जाती है कि अन्य देशों के लोगों की अपेक्षा हमारे लोगों में उत्साह कम है। मेरे विचार में इस का कारण यह है कि हम ने अब तक देश के सामने ऐसी कोई योजना नहीं रखी जिस से यह प्रकट होता हो कि देश में जितना धन प्राप्त होगा है या भविष्य में प्राप्त होगा वह यथा सम्भव सब में समान रूप से वितरित किया जायेगा। जब तक ऐसा न हो, लोगों में उत्साह की कमी होना स्वाभाविक है। मैं इस बात को नहीं मानता कि धन के समान वितरण का अर्थ दरिद्रता का वितरण है। यदि लोगों को आर्थिक समानता का आश्वासन दिया जाये, तो इस से लोगों में जो उत्साह पैदा होगा वह उत्पादन बढ़ाने के लिये और देश की दरिद्रता दूर करने के लिये काफी होगा संविधान में इस बात को माना गया है और कांग्रेस इस बात पर बार बार जोर देती रही है।

कांग्रेस कार्य कारिणी ने सम्पदा शुल्क विधेयक का समर्थन करते हुए यह मत प्रकट किया था कि करारोपण नीति का मूलभूत उद्देश्य यह होना चाहिये कि आर्थिक असमानता को कम किया जाये। इस अधिनियम से सरकार को कुछ राजस्व तो अवश्य प्राप्त होगा, किन्तु मुझे सन्देह है कि यह आर्थिक समानता लाने में सफल हो सकेगा। आर्थिक असमानता की समस्या न केवल सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिये, अपितु प्रशासनात्मक कारणों से भी महत्वपूर्ण है। मद्रास और कलकत्ता पुलिस की हड़तालों से हमारी आंखें खुलनी चाहियें। अतः हम उद्योग तथा कृषि आदि के सम्बन्ध में जितनी भी योजनायें बनायें हमें एक निश्चित अवधि के अन्दर आर्थिक असमानता को दूर करने की योजना बनानी चाहिये।

हमें प्रादेशिक विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिये। भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेश के विकास की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार ने इस भाग को भारत के साथ ऐसी बुरी रेलवे के द्वारा मिलाया है जो छः महीने तक बिल्कुल बन्द रहती है। इसी कारण यहां के लोगों को चीजें बहुत महंगी मिलती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कब तक वहां की जनता इस बुरी अवस्था में पड़ी रहेगी। अपीलों और अभ्यावेदनों का कोई फल नहीं होता। ऐसी रेलवे के होते हुये मुझे वाणिज्यिक तथा उद्योग मंत्री का यह भाषण पढ़ कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आसाम में रेशम, चाय तथा प्लाईवुड उद्योगों में बहुत प्रगति हुई है और वहां शीघ्र ही क़ाग़ज़ मिल, चीनी मिल और पटसन मिल स्थापित की जायेगी। पंच वर्षीय योजना के प्रगति-प्रतिवेदन के पृष्ठ २०७ पर यह लिखा हुआ है कि आसाम और अन्डमान में प्लाइवुड के नवीन कारखानों की योजनाओं की कार्यान्विति में कोई प्रगति नहीं हुई है।

जब तक इस रेलवे लाइन में सुधार नहीं होता और राज्य उद्योगों का विकास

[श्री बिमला प्रसाद चालिहा]

करने में अग्रसर नहीं होता, तब तक इस प्रदेश में औद्योगिक विकास सर्वथा असम्भव है । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उत्तर पूर्वी प्रदेश के विकास की ओर समुचित ध्यान दे ।

श्री कानावडे पाटिल : मैं सामान्यतया पंच वर्षीय योजना की प्रगति की सराहना करता हूं । मैं समझता हूं कि वर्गरहित तथा जाति रहित समाज की स्थापना से योजना का उद्देश्य है । भारत ने निस्सन्देह प्रगति की है । यद्यपि सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों आदि योजनाओं ने एक निश्चित रूप धारण कर लिया है, परन्तु हम निश्चित समय के अन्दर लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हुये हैं । यद्यपि हमारे पास पर्याप्त वित्त नहीं है, परन्तु जनता के उत्साह और दिली सहयोग के द्वारा हमने पर्याप्त प्रगति की है ।

विद्युत, जल तथा सड़कों के विकास की दिशा में भी हमने पर्याप्त प्रगति की है । प्रायः सभी नदी परियोजनायें पूर्ण होने वाली हैं, किन्तु अहमदनगर, नासिक शोलापुर, और पूना के पूर्वी भाग ऐसे क्षेत्र हैं जहां अकाल पड़ा करता है । वहां स्थायी रूप से अकाल को रोकने का उपाय किया जाना चाहिये, इसलिये उस की समीपवर्ती परियोजनाओं को सब से पहले कार्यान्वित करना चाहिये, ताकि अकाल ग्रस्त क्षेत्र को आराम पहुंच सके । अकेले अहमदनगर ज़िले में, फसलों के नष्ट हो जाने के कारण दस से १२ करोड़ रुपये तक की क्षति हो गई है, अतः इन ज़िलों की अवस्था का ध्यान रखते हुये सब से पहले इन परियाजनाओं को कार्यान्वित किया जाये और बन्धन धन जल-विद्युत परियोजना से मेरे ज़िले की ामीण जनता को बिजली भी दी जानी चाहिये ।

हमारे जिले में चीनी की कुछ सहकारी फैक्टरियां हैं और कु नवीन फैक्टरियां खोली जा रही हैं, मैं इस प्रकार की कार्यवाही के लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं । बम्बई राज्य में बहुत से छोटे सिंचाई के काम और देहाती क्षेत्रों में साधार तालाब बनाये गये हैं । कई क्षेत्रों में ट्रैक्टरों की सहायता से खेती की जा रही ह ैर कई स ानों पर बांध बनाय गये ह । सहकारी आन्दोलन ने ी प्रगति की है और हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं किबम्बई राज्य में च वर्षीय योजना के द्वारा पर्याप्त प्रगति हुई है ।

रूस ने कृषि विकास के लिये बहुत से ट्रैक्टर और फसल काटने वाली मशीनें बनाई थीं । हमें भी कृषि विकास के निमित्त अधिक औज़ार और ट्रैक्टरों का निर्माण करना चाहिये ताकि यह योजना सफल हो सके ।

यद्यपि सरकार ने गन्ना और चीनी के भावों को गिराने का सफल प्रयत्न किया है, परन्तु सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है क्योंकि आजकल भी चीनी का भाव २७ रुपये के निश्चित भाव से अधिक है । गन्ना उत्पादकों की यह शिकायत है कि गन्ने के भाव गिराने के कारण कृषकों को पिछले दो वर्षों में २० करोड़ रुपये की हानि हुई है । ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में जो समस्त राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की आधारशिला है, यदि कुछ गड़बड़ हुई तो समस्त राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था के नष्ट होने की आशंका है । इसी नीति के कारण गन्ने की खेती में कमी हो गई है । अतः सरकार को कृषकों के लाभार्थ चीनी सम्बन्धी इस नीति का संशोधन करना चाहिये ।

हमारी सरकार को यह निश्चय करना चाहिये कि क्या वह सार्वजनिक क्षेत्र

हितों को प्रोत्साहन देना चाहती है अथवा निजी क्षेत्र को उत्साहित करना चाहती है ।

भाण्डारदास सिंचाई बांध का ५० प्रतिशत से अधिक जल चीनी की फैक्टरियों के उपयोग में आता है और इस प्रकार कृषकों को अपनी खेती के लिये पर्याप्त जल नहीं मिलता । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उसे एक निश्चित नीति बनानी चाहिये । हमें निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि यह देश के निर्धन कृषकों और निर्धन व्यक्तियों का शोषण न कर सके ।

डा० सुरेश चन्द्र : सभापति महोदय, इस योजना आयोग की प्रगति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मै उस के सैद्धान्तिक आधार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि यद्यपि हमारे यहां एक नक्शा बना और योजना बनाई गई और उस योजना की तरफ जाने की हम ने कोशिश की, लेकिन यह जो बार बार हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, हाउस में और हाउस के बाहर जगह जगह के प्लेटफार्मों के ऊपर, कहा जा रहा है कि हमारी प्रगति ऐसी हो गई है कि उस की तुलना दूसरे मुल्कों की तरक्कियों से की जा सकती है मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार का कथन हमारे वज़ीर और दूसरे नुमाइन्दे करते हैं उस से लोगों के दिलों में एक प्रकार की कम्प्लेसेंन्सी पैदा हो रही है और मैं यह समझता हूं कि जनता का एक नुमाइन्दा होने की हैसियत से मेरा यह फ़र्ज हो जाता है कि मैं इस बात को इस सदन के सामने पेश करूं कि यह एक बहुत ग़लत बात है । हम अपने योजना आयोग की प्रगति की तुलना न सिर्फ एशिया के मुल्कों से करते हैं बल्कि योरप के मुल्कों की तरफ भी कई लोग चले जाते हैं । यह बहुत ग़लत बात है । मुझे योरप के बहुत से मुल्कों में जाने का मौक़ा मिला है और न सिर्फ मुझे इस का मौक़ा मिला है बल्कि मैं ने उन की योजनाओं का अध्ययन करने की भी कोशिश की है । मैं ने उन की बहुत सी इन्डस्ट्रीज़ को जा कर देखा है और मैं यह कह सकता हूं कि यह ठीक है कि इस विषय में हम ने काफी प्रगति की है लेकिन इन पांच छः सालों में जब से हम ने योजना बनाई है यदि सचमुच जैसा हम कहते हैं कि यह एक प्रजातन्त्र राज्य है और जनता की आवाज़ से काम हो रहा है, जनता का सहयोग प्राप्त कर के उन के अन्दर इस योजना के लिये उत्साह पैदा करते तो मैं समझता हूं कि आज हम दामोदर वैली योजना जैसा एक बांध नहीं, सैकड़ों ऐसे बांध बांध देते, और इरिगेशन की ऐसी हज़ारों योजनायें तैयार कर देते और आज जिन सिंचाई की कठिनाइयों के बारे में मेरे से भूतपूर्व सदस्य ने कहा है वह कठिनाइयां इन स्केअर्सिटी एरियाज़ में न पैदा होतीं । मैं इस बात को गम्भीरतापूर्वक कह रहा हूं क्योंकि मैं उस कास्टिटुएन्सी की नुमाइन्दगी करता हूं जो कि एक स्केअर्सिटी एरिया है और जिस कान्स्टिटुएन्सी के बारे में एक क्रिमिनल नेग्लिजेन्स हुई है । सभापति जी, जब आप ने भाषण दिया तब आप ने कहा था "गाय की रक्षा में ही राज्य की रक्षा है, यदि गाय अरक्षित है तो सरकार अवैधानिक है ।" मैं समझता हूं कि हमारी स्केअर्सिटी एरियाज़ में जो पाकेट्स हैं वह आग के शोले हैं, वह राजनैतिक आग के भी शोले हैं और आर्थिक आग के भी शोले हैं । जो हमारे वज़ीर यहां बैठे हैं वह इस बात को सुन लें । यहां पर दो उपवज़ीर बैठे हैं । हमारे वज़ीर यहां नहीं हैं, इस का मुझे अफ़सोस है, मैं चाहता था कि और भी वज़ीर यहां होते, वह भी सुन लें । मैं हंसी में नहीं कह रहा हूं, गम्भीरतापूर्वक कह रहा हूं कि वह इस को सुन लें कि अगर

[डा० सुरेश चन्द्र]

उन स्केअर्सिटी एरियाज़ की तरफ जहां से कि मैं आता हूं, महाराष्ट्र की स्केअर्सिटी एरियाज़ की तरफ जिन के बारे में उन्होंने इतना कहा है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अगर उन की छोटी छोटी इरिगेशन स्कीम्स की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो वह ऐसे आग के शोले हो जायेंगे कि जिन की लपट से आप सब भस्मीभूत हो जायेंगे । मैं यह बात बहुत गम्भीरतापूर्वक कह रहा हूं ।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद-दक्षिण): वज़ीर लोग तो बाहर हैं इस लिये वह लोग बच जायेंगे ।

डा० सुरेश चन्द्र : सब से पहले वज़ीर आग की लपटों में आयेंगे । यह मैं इस लिये कहता हूं कि यह योजना का सब से बड़ा सवाल है । मुझे दामोदर वैली घाटी योजना का थोड़ा बहुत अध्ययन करने का मौक़ा मिला है और मैं ने वहां देखा है कि किस प्रकार से करोड़ों रुपया उस में खर्च हुआ । ज़रूर हमने कुछ काम किया है, लेकिन करोड़ों रुपया खर्च कर के हम ने वह काम किया और उस से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ । वहां के कुछ इंजीनियर्स ने मुझ से यह बताया था कि किस प्रकार से ऐसा स्कीम गवर्नमेंट के सामने रक्खी गई, दामोदर वैली कारपोरेशन के सामने रक्खी गई । जितना रुपया इस दामोदर वैली कारपोरेशन ने खर्च किया, उस से बहुत कम में छोटे छोटे बांधों के ज़रिये से फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन का काम हो सकता था और यह स्कीम गवर्नमेंट के सामने है । स्वायल कंजर्वेशन भी उस में रक्खा गया है । आज दामोदर वैली के जितने बांध हैं शायद ९९ वर्षों में स्वायल कंजर्वेशन के हिसाब से सब समाप्त हो जायेंगे और नये बांध बनाने पड़ेंगे । लेकिन उन छोटी योजनाओं पर हमारी गवर्नमेंट ने कोई खास ध्यान नहीं दिया । मैं इस बात की तरफ, सभापति महोदय आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो छोटी छोटी योजनायें हैं उन की तरफ सरकार ज्यादा ध्यान दे और इन योजनाओं को भी बड़ी योजनाओं के साथ शामिल कर ले ताकि आगे किसी भी प्रकार की तक़लीफ न हो ।

एक बात और है । इस सिलसिले में ४० करोड़ रुपया स्केअर्सिटी एरियाज़ के लिये रक्खा है । अगर इस ४० करोड़ रुपये को आप स्केअर्सिटी एरियाज़ के अन्दर छोटी छोटी इरिगेशन स्कीम्स के लिये खर्च कर देंगे तो वहां पर आप के बहुत से सवाल हल हो जायेंगे ।

मैं एक बात और कह दूं । पूर्णा प्रोजेक्ट के बारे में हैदराबाद की जनता के जो लोग हैं उन्होंने हमारे वज़ीर साहब से बहुत दफा बहस की । वज़ीर साहब और उपवज़ीर साहब दोनों ही से इस के बारे में बातचीत की । उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन कल के सवाल से मालूम हुआ कि उसे फिर स्थगित कर दिया गया है और दूसरी प्रोजेक्ट में रक्खा गया है । मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप नन्दकोंडा प्रोजेक्ट को कम कर दें या किसी दूसरी प्रोजेक्ट को कम कर दें, लेकिन यदि आप ने इस पूर्णा प्रोजेक्ट को और दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट्स को महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में नहीं लिया तो वहां पर आप लोगों की कठिनाइयां बहुत बढ़ जायेंगी ।

इतना ही कह कर मैं आप को धन्यवाद देता हूं ।

श्री बबूराघस्वामी (पेराम्बलूर) : पिछले तीन वर्षों में इस योजना ने जो प्रगति की है मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हूं । कुल राशि

का ४० प्रतिशत ही खर्च हुआ है और वह भी उचित ंग से नहीं, इसी कारण सभी योजनाओं में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है ।

नल कूपों पर बहुत भारी पूंजी खर्च की गई है, परन्तु कोई भी नल अच्छी तरह काम नहीं कर सकता । न कोई कुण्ड बना है और न कोई नालियां ही बनाई गई हैं केवल खुदाई हुई है और कुयें खोदे गये हैं ।

बहुमुखी परियोजनाओं पर हमारी सरकार के कथनानुसार १२,०५९ लाख रुपये खर्च हुये हैं जब कि योजना आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार १२,९९३ लाख रुपये खर्च हुये हैं । अब इन दोनों रक़मों में से किसे सच माना जाय ? मुझे समझ में नहीं आता कि ग़लती से ऐसा हुआ है या संसद् के सदस्यों को सन्तुष्ट करने के लिये जान बूझ कर ऐसा किया गया है ।

पिछड़ी हुई श्रेणियों के सुधार के लिये जो राशि निश्चित की गई थी, उस का एक तिहाई ही खर्च हुआ है, इसलिये स दिशा में भी सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है ।

प्रथम ंच वर्षीय योजना में सरकार ने उत्तर भारत के लिये बड़ी बड़ी परियोजनायें बनाई हैं और उन पर करोड़ों रुपया खर्च किया है और दक्षिण भारत के साथ विमाता जैसा व्यवहार किया है । इस लिये दक्षिण भारत के लोग स्वभावतः असन्तुष्ट हैं, विशेष कर तामिल के लोग । अब हमारी सरकार द्वितीय पंच वर्षीय योजना बना रही है । हमारी राज्य सरकार ने भी कई योजनायें प्रस्तुत की हैं और मोहनूर नहर योजना उन में से एक है । इस योजना का क्षे अकालग्रस्त है, इसलिये सरकार को शीघ्र ही इस योजना की जांच करनी चाहिये, ताकि कावेरी नदी के जल का अधिक उपयोग किया जा सके । मद्रास की नदियों के जल का भी अधिक उपयोग किया जा सकता है । इस लिये इन पुलबन्दी तथा अन्य परियोजनाओं को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करना चाहिये ।

यदि वृद्धाचालम में एक इस्पात संयं स्थापित किया जाये, तो वहां के लोगों को पर्याप्त कारोबार मिल सकता है और यह उद्योग काफी विकसित हो सकता है तथा तामिल के लोगों की मांग को पूरा कर सकता है ।

श्री ए० एन० बोरकर (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : पंच वर्षीय योजना की उन्नति के बारे में जो बहस चल रही है उसको मैं ने बड़े ग़ौर से सुना है ।

श्री कक्कन (मदुरै—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : भारत सरकार ने तामिलनाड में कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं बनाई है ।

सभापति महोदय : अभी मैं ने उन से बोलने के लिये नहीं कहा है ।

श्री ए० एन० बोरकर : मैं कह रहा था कि जो चर्चा चल रही है उसको मैं ध्यान से सुन रहा हूं । मैं चाहता था कि भारत सरकार की मज़दूरों के बारे में जो नीति है और जो लैंड पालिसी है उस पर भी इस हाउस में चर्चा होती लेकिन ऐसा नहीं हुआ । मेरा विचार है कि मज़दूर नीति और लैंड पालिसी को तै किये बग़ैर हम अपनी आर्थिक स्थिति का सुधार नहीं कर सकते हैं । ये दो ऐसे सवाल ं जो कि आगे बढ़ने के लिये रास्ता तैयार करते हैं । मिनिस्टर साहब ने रास्ता तो तैयार किया और उस रास्ते पर चलने के लिये एक अच्छी कार भी तैयार की लेकिन ड्राइवर न ो और पैट्रोल न ो तो वह कार चले कैसे ? ं दावे से कह सकता हूं

[श्री ए० एन० बोरकर]

कि जब तक भारत सरकार की मज़दूर नीति और लैंड पालिसी तै नहीं हो जाती तब तक हमें आर्थिक क्षेत्र में या पंच वर्षीय योजना में सफलता नहीं मिल सकती । यदि हमें पंच वर्षीय योजना को सफल बनाना है तो मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज़ करूंगा वह न दो सवालों का पहले हल ढूंढे । तीन चार दिन से मैं आशा कर रहा था कि इन दो मसलों पर भी कुछ प्रकाश डाला जायेगा लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे इन दो मसलों पर कोई चर्चा न होते देख कर बहुत निराशा हुई है । जो लोग अपना खून पसीना एक करके और अपनी तमाम ताक़त देश की पैदावार बढ़ाने के लिये काम कर रहे हैं अगर हम ने उन के बारे में कुछ न किया तो हम उन्नति नहीं कर सकते । हैं । हमारे मिनिस्टर साहब ने और दूसरे मैम्बरों ने यह कहा है कि लोगों को देश को ऊंचा उठाने के लिये त्याग करना होगा । मैं कहता हूं कि वे आज तक त्याग करते आये हैं और आगे भी त्याग करने को तैयार हैं लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आप उन की खातिर क्या कर रहे हैं और किस तरह से उन को किसमत का फैसला करने का विचार रखते हैं । अगर आप ने उनको उन्नति के लिये कुछ न किया तो वे निराश हो जायेंगे और उन में त्याग करने की ताक़त नहीं रहेगी । ऐसी सूरत में यह जो आपकी स्कीमें हैं यह महज़ क़ाग़ज़ी स्कीमें ही रह जायेंगी । इस वास्ते अगर आप उन की शुभ कामनायें अपने साथ लेना चाहते हैं, उनका त्याग अपने साथ लेना चाहते हैं तो पहले आप अपनी लैंड पालिसी और वह पालिसी आप जो मज़दूरों के प्रति बरतना चाहते हैं उस को तै कीजिये ।

अब मैं अपने सूबे के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मध्य प्रदेश की तरफ हमारी सरकार की निगाह अभी तक नहीं गई । अभी कुछ मैम्बरों ने कहा कि बम्बई में स्कीमें शुरू की जा चुकी हैं और वह सूबा तरक्की भी कर रहा है । लेकिन मध्य प्रदेश जो कि सारे हिन्दुस्तान की तरक्की कर सकता है, जिस के बारे में कहा जा सकता है कि यदि हम ठीक तरह से सोचें और कोशिश करें तो वहां इतना ज्यादा अनाज पैदा हो सकता है जितना कि हमें उम्मीद भी न हो, उसकी तरफ हमारा ध्यान अभी तक नहीं गया । मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितनी भी योजनायें मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास भेजी हैं उन में से एक भी मंजूर नहीं हुई । हमारी सरकार ने एक मेजर वंगांगा प्रोजैक्ट केन्द्रीय सरकार के पास भेजी थी जो अगर चालू हो जाती तो हमारे प्रदेश को काफी उन्नति हो सकती थी लेकिन उसको मंजूर नहीं किया गया । इसके बाद एक लोयर वंगांगा प्रोजैक्ट भी भेजी गई थी जो एक मेजर प्रोजैक्ट थी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसकी तरफ भी केन्द्रीय सरकार का ध्यान नहीं गया । ये दोनों प्राजैक्ट्स एडवाइज़री कमिटी की मंजूरी लेने के बाद भेजी गई थीं । इसके बाद स्टील प्लांट खोलने की बात चली थी । एक्सपर्ट भी मध्य प्रदेश भेजे गये थे और उन्होंने राय दी थी कि भिलाई में स्टील प्लांट खोला जाना चाहिये लेकिन इस पर भी अमल नहीं किया गया । अब दूसरा स्टील प्लांट खोलने के लिये बातचीत चल रही है । मैं अर्ज़ करूंगा कि यह प्लांट ज़रूर मध्य प्रदेश में ही लगाया जाय । वहां पर मैंगनीज़ का धंधा चल रहा है और स्टील प्लांट के लिये हर चीज़ वहां मौजूद है । उस सूबे की उन्नति के लिये और वहां पर लोगों को काम दिलाने के लिये यह स्टील प्लांट वहां पर लगाया ही जाना चाहिये ।

अन्त में मैं यह कह देना चाहता हूं कि भारत की उन्नति करने के लिये हमें देहातों की तरफ खास ध्यान देना चाहिये क्योंकि भारत देहातों में ही बसता है। जो लोग देहातों में रहते हैं वे किसान और मज़दूर हैं। उनमें बेरोज़गारी हटाने के लिये हमें योजनायें बनानी चाहियें। हम ने यह तो फैसला कर लिया है कि १० साल के अन्दर हम बेरोज़गारी की समस्या हल करेंगे लेकिन देहातों में बेरोज़गारी हटाने के लिये हम ने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया। देहातों में जो बेरोज़गारी है उस को खत्म करने के लिये हमें क़दम उठाने चाहिये और .स बढ़ती हुई समस्या को हल करना चाहिये।

एक बात मैं मिनिमम वेजेज़ के बारे में कहना चाहता हूं। अभी तक हमारी सरकार ने बहुत सी जगह मीनिमम वेजिज एक्ट एग्रीकल्चरल लेबरर्ज़ पर लागू नहीं किया और जहां लागू किया भी है वहां सफलता नहीं मिली। इसको ठीक तरह से लागू करने के लिये हमारी सरकार को कोशिश करनी चाहिये।

एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी लेबर पालिसी और लैंड पालिसी साफ साफ तै करनी चाहिये और जब तक वह ऐसा नहीं करती तब तक उसे ंच वर्षीय योजना में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।

पंडित सी० एन० मालवीय: सरकार के वि द्ध भ्रष्टाचार का और इस योजना कार्य कुशलता के अभाव का आरोप लगाया जाता है। विरोधी दल भी यह स्वीकार करता है कि हमने प्रगति की है। परन्तु जितनी गति हमें करनी चाहि भी, हम उतनी प्रगति नहीं कर सके हैं।

अब सरकार की केवल यही आलोचना की जा रही है कि हम प्रचार कर रहे हैं। वास्तव में हम प्रचार नहीं कर रहे हैं परन्तु हम यथार्थ ढंग से सब बातों को आंकते हैं। यह योजना भारत की वास्तविक स्थिति और तथ्यों पर आधारित होने के कारण सर्वोत्तम योजना है। अन्य देशों में जो योजनायें बनाई जाती हैं उन में बहुत ग़लतियां होती हैं। हंगरी में स बात पर ज़ोर दिया जा रहा था कि औद्योगीकरण के बिना प्रगति नहीं हो सकती, परन्तु बाद में योजना निर्माताओं ने ी अनुभव किया कि उन्हें कृ पर ज़ोर देना पड़ेगा।

ूपाल राज्य में एक सरकारी फार्म है और हमने ३,००,००० एकड़ भूमि को कृषि के योग्य बनाया है। वहां इस चीज़ की मांग है। वहां सिंचाई और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है। मैं योजना आयोग से प्रार्थना करता हूं कि वहां एक पशु-चिकित्सा कालेज और एक मैडिकल कालेज खोलना चाहिये। यदि कोई क्षे न कार्यों के लिये धन खर्चने को यार नहीं है, ो हम धन खर्चने को तैयार हैं। अत: यह दो कालिज अवश्य खोलने चाहियें।

हमें मानव को योजना का आधार मानना चाहिये, न कि पशुओं, वृक्षों और चीलों की गिनती करनी चाहिये। हमें बेकारी को दूर करने के लिये भी प्रत्येक संभव प्रयत्न करना चाहिये।

दूसरी समस्या हमारी ग्रामीण समस्या है, जिसमें ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता की समस्या सम्मिलित है। जब तक बिजली और विदेशी शक्तियों का हमारी आर्थिक व्यवस्था पर प्रभुत्व रहेगा, हमारी आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती।

ोजना आयोग से मेरा यह निवेदन है कि मूल्य-स्तर, मानव-श्रम पर ही आधारित,

[पंडित सी० एन० मालवीय]

हो । मानव श्रम के आधार पर ही मूल्य तथा मजूरी को निर्धारित किया जाये । इसी प्रकार से कृषिकर भी अपने उत्पादन की क़ीमत, लगाये गये धन के अनुपात से प्राप्त करें । यदि योजना आयोग इस आधार पर अपनी नीति बनाये तो कृषक तथा मज़दूर--दोनों ही सन्तुष्ट हो कर अधिक उत्साहपूर्वक अपना कार्य करेंगे ।

सके लिये आवश्कयता इस बात की है कि योजना के विषय में अधिकाधिक प्रचार किया जाय । प्रत्येक ज़िले में प्रदर्शिनियां आयोजित की जायें, जिससे सारे देश में उत्साह की लहर दौड़ जायेगी ।

एक महान कठिनाई यह भी है कि हमने देश में ऐसा वातावरण ही नहीं उत्पन्न किया जिससे मज़दूरों को अपेक्षित श्रेय प्राप्त हो सके । देश की स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर इन्ही व्यक्तियों ने अपने आपको अधिकांश रूप में चढ़ाया था । चीन में देश पर मर मिटने वालों को कितना मान दिया गया है, परन्तु यहां किसी को इस बात की चिन्ता ही नहीं । सीलिये मज़दूर निरुत्साहित हो गये हैं और किसी भी योजना में सहयोग प्रदान नहीं करते ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : विपक्ष के वक्ताओं ने हमारी आधारभूत योजना को कितने हीनरूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, परन्तु हम इसकी महानता के विषय में तभी अनुभव कर सकते हैं, जब हम विदेशों की योजनाओं के साथ इसकी तुलना करें ।

यह सत्य है कि समें कुछ कमियां अवश्य हैं, परन्तु हम ने तीन वर्षों में ही इस दिशा में बहुत प्रगति की है । हमें तो अपने देश की स प्रगति पर गौरव अनुभव करना चाहिये और अधिक उत्साहपूर्वक कार्य में जुट जाना चाहिये ।

योजना में एक त्रुटि अवश्य है, और वह यह कि ग्रामों को बिजली देने पर अधिक ज़ोर नहीं दिया गया है ।

श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी

सभापति महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि इम्फाल के ज़िला दण्डाधिकारी का २२ दिसम्बर, १९५४ का यह तार मिला है कि "भारतीय दंड संहिता की धारा १४५/१५१/३५३ और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/१५१ के अधीन श्री रिशांग किशिंग, संसद् सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया ।"

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : कब ?

सभापति महोदय: मैं यह नहीं कह सकता । तार का दिनांक २२ दिसम्बर है ।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : श्रीमान्, राज्य-सभा के सचिव से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुये हैं :--

(१) "लोक सभा द्वारा १८ दिसम्बर, १९५४ को पारित आंध्र विनियोग विधेयक, १९५४, जो सिफारिश के लिये राज्य-सभा में भेजा गया था बिना किसी सिफारिश के वापिस भेजा जाता है ।"

(२) "राज्य सभा, अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक, १९५४ को, बिना किसी कार के संशोधन के स्वीकार करती है ।"

(३) राज्य सभा, लोक सभा द्वारा १८ दिसम्बर, १९५४ को चाय (संशोधन)

विधेयक, १९५४ में किये गये इन संशोधनों से सहमत है :

'(१) कि बड़े शीर्षके' में "to amend" ["संशोधन करने"] से पूर्व "further" ["अग्रेतर"] लगाया जाय ।

(२) कि पृष्ठ १, पंक्ति ३ में "(Amendment)" ["संशोधन"] के स्थान पर "(Second Amendment)" ["द्वितीय संशोधन"] रखा जाय ।"

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

GIPD—HS—598 LSD—22-7-55—000